अध्याय 3

अनुपालन लेखापरीक्षा

जल संसाधन विभाग

3.1 सिंचाई परियोजना हेतु नाबार्ड सहायता प्राप्त ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)

3.1.1 प्रस्तावना

जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख जल संरक्षण एजेंसी है, जो राज्य के सिंचाई उद्देश्यों के लिए जल संसाधनों के उपयोग करने हेतु उत्तरदायी है। जल संसाधन विभाग राज्य में निम्नलिखित कार्य/गतिविधियाँ करता है :–

- जल संसाधनों के 'नियोजन' के लिए जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों का संग्रहण।
- राज्य के सतही और अधो सतही (भूमिगत) जल संसाधनों का मूल्यांकन और 'उपयोग हेतु कार्यक्रम तैयार करना'।
- बहुउद्देशीय बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण, डिजाइन, निर्माण और संधारण तथा आधुनिकीकरण करना। परियोजना में बांध, बैराज, टैंक, एनीकट और चेक डैम इत्यादि शामिल हैं।
- सिंचाई योजनाओं और बाढ़ नियंत्रण कार्यों का कार्यान्वयन।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना वर्ष 1995–96 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा की गई थी। यह निधि शुरू में चल रही मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं, भूमि संरक्षण, जल ग्रहण प्रबंधन और ग्रामीण अवसंरचना के अन्य रूपों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदाय करने हेतु बनाई गई थी। आरआईडीएफ के अंतर्गत, अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को बजटीय बाधाओं के कारण विलंबित परियोजनाओं को पूर्ण करने में सहायता प्रदाय करने हेतु 'अंतिम चरण प्रक्रिया' के रूप में वित्तपोषित किया जाता है।

3.1.2 संगठनात्मक संरचना

छत्तीसगढ़ सरकार के जल संसाधन विभाग का संचालन प्रमुख सचिव/सचिव करते हैं, जबकि प्रमुख अभियंता, विभागाध्यक्ष होते हैं और विभाग की सभी गतिविधियों पर समग्र पर्यवेक्षण शक्ति रखते हैं। प्रमुख अभियंता विभाग के समुचित कामकाज के लिए सरकार के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। विभाग के प्रशासकीय अधिक्रम में मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता के प्रभार के अंतर्गत क्रमशः परिक्षेत्र/कछार, मंडल और संभाग शामिल हैं। कार्यपालन अभियंता विभाग की सभी योजनाओं/गतिविधियों को क्रियान्वित करते हैं, जिसमें संभागों के स्तर पर आरआईडीएफ के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाएं भी शामिल हैं।

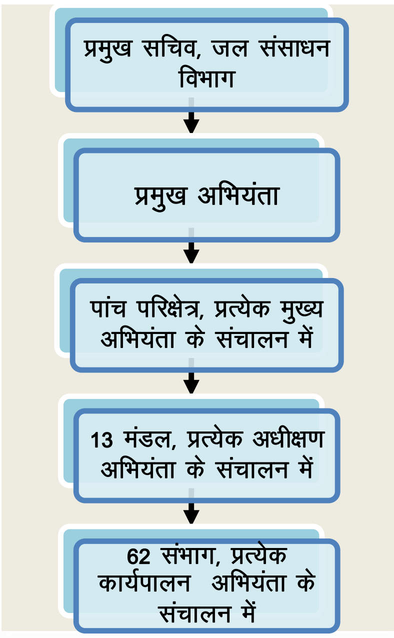

3.1.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और पद्धति

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त आरआईडीएफ सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी 39 इकाइयों में से कुल 24[1] इकाइयों का चयन अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए किया गया था। अनुपालन लेखापरीक्षा अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान किया गया था, जिसमें 2019 से 2022 तक की समयावधि शामिल थी। लेखापरीक्षा ने चरण XIV (2008–09) से XXVII (2021–22) के दौरान नाबार्ड द्वारा स्वीकृत 39 अनुबंधो/कार्यों की नमूना जाँच की, जिन्हें 2019–20 से 2021–22 तक की अवधि में निष्पादित/पूर्ण किया जा रहा था। आगे, विभागीय अधिकारियों के साथ तीन कार्यो का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया। प्रारूप प्रतिवेदन राज्य सरकार को जून 2023 में प्रेषित किया गया। दिसम्बर 2024 तक उत्तर अपेक्षित है।

3.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्याः–

- परियोजनाओं की योजना, क्रियान्वयन एवं संधारण उचित ढंग से किया गया था;
- परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने और संधारण के लिए धनराशि जारी की गई और उसका उपयोग किया गया एवं
- लक्षित सिंचाई क्षमता और जल भंडारण का सृजन और उपयोग किया गया।

3.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

नाबार्ड सहायता प्राप्त आरआईडीएफ के माध्यम से क्रियान्वित सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदंडों के संदर्भ में किया गयाः

- नाबार्ड स्वीकृति आदेश और आरआईडीएफ पुस्तिका (2014–15) में निर्धारित शर्तें।
- निर्माण विभाग नियमावली;
- कार्यों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और अंतिम सिंचाई प्रतिवेदन;
- पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006;
- सिंचाई परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के दिशानिर्देश 2010;
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013;
- वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 और
- विभाग/राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र/आदेश।

3.1.6 नाबार्ड सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत निधि का प्रवाह

प्रमुख अभियंता बजट नियंत्रण अधिकारी होता है और योजना बनाने, सरकार से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने तथा निधियों के उपयोग के लिए उत्तरदायी होता है। आरआईडीएफ के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं को नाबार्ड द्वारा राज्य सरकार को ऋण स्वीकृत करके वित्तपोषित किया जाता है।

---

[1] (20 निष्पादन ईकाईयां, 03 पर्यवेक्षी इकाईयां और एक शीर्ष इकाई)

आरआईडीएफ के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाएं नाबार्ड द्वारा परियोजना लागत के 95 प्रतिशत तक ऋण के लिए पात्र हैं और शेष भाग राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाता है। आरआईडीएफ के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया था। आरआईडीएफ पुस्तिका के कंडिका 8 में प्रावधान है कि निधि निकासी के लिए अनुरोध राज्य सरकार के वित्त विभाग (नोडल विभाग) द्वारा किया जाना है और तदनुसार, नाबार्ड 'मोबिलाइजेशन अग्रिम' के रूप में दिये गए परियोजना ऋण के प्रारंभिक 20 प्रतिशत को छोड़कर 'प्रतिपूर्ति आधार' पर निधि प्रदान करता है। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यों के निष्पादन पर किए गए व्यय का विवरण प्रस्तुत करने पर नाबार्ड ऋण राशि का वितरण करेगा। आरआईडीएफ ऋणों का भुगतान राज्य शासन द्वारा नाबार्ड द्वारा निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाएगा। वर्तमान में आरआईडीएफ दिशानिर्देशों (सितंबर 2021) के अनुसार, ऋण को निकासी की दिनांक से सात वर्षों के अन्दर समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जिसमें दो साल की छूट अवधि भी शामिल है। इस ऋण के लिए लागू ब्याज दर, प्रचलित बैंक दर से 1.5 प्रतिशत कम है (संवितरण की तिथि के अनुसार)।

3.1.7 भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान विभाग के अंतर्गत समग्र रूप से जल संसाधन विभाग तथा नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाओं के आवंटन और व्यय की वर्षवार स्थिति ***तालिका 3.1.1*** में दी गई है।

तालिका 3.1.1: 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा किया गया आवंटन और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जल संसाधन विभाग के लिए बजटीय आवंटन और व्यय		नाबार्ड के लिए बजटीय आवंटन और व्यय			
	आवंटन	व्यय	आवंटन	कुल बजट के विरुद्ध नाबार्ड के अंतर्गत आवंटन का प्रतिशत	व्यय	व्यय का प्रतिशत
2019–20	2,133.73	1,092.64	700.00	35	200.87	29
2020–21	2,096.95	1,124.58	697.31	35	177.54	25
2021–22	2,031.72	1,013.96	699.06	36	157.03	22
योग	**6,262.40**	**3,231.18**	**2,096.37**	**35**	**535.44**	**26**

(स्त्रोतः प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पिछले तीन वर्षों (2019–20 से 2021–22) के दौरान विभाग के कुल बजटीय आवंटन का लगभग 35–36 प्रतिशत, नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड के अंतर्गत कुल आवंटन के विरुद्ध व्यय 22 से 29 प्रतिशत के मध्य रहा। इस प्रकार, पिछले तीन वर्षों के अवधि में नाबार्ड मद में ₹ 2096.37 करोड़ की स्वीकृत राशि के विरुद्ध विभाग ने केवल ₹ 535.44 करोड़ (26 प्रतिशत) का व्यय किया। इसके आगे, 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान आरआईडीएफ के अंतर्गत स्वीकृत 60 परियोजनाओं में से केवल 15 परियोजनाएं (25 प्रतिशत) पूर्ण हुई हैं और 45 परियोजनाएं अपूर्ण हैं, जिनकी चर्चा बाद के कंडिका में की गई है। विभाग द्वारा प्रदान की गई मासिक प्रगति प्रतिवेदन मार्च

2022 के अनुसार स्वीकृत और पूर्ण की गई कुल परियोजनाओं की चरणवार स्थिति नीचे ***तालिका 3.1.2*** में दी गई है।

तालिका 3.1.2: नाबार्ड सहायता प्राप्त आरआईडीएफ सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति (मार्च 2022 तक)

चरण संख्या (वर्ष)	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं	अपूर्ण परियोजनाएं (प्रतिशत)	नाबार्ड का अंश	राज्य सरकार का अंश
XVIII (2012–13)	02	02	00 (00)	8.12	0.47
XIX (2013–14)	19	15	04 (21)	69.55	2.48
XX (2014–15)	21	16	05 (24)	684.82	38.93
XXI (2015–16)	19	13	06 (32)	205.80	11.40
XXII (2016–17)	19	15	04 (27)	183.63	9.74
XXIII (2017–18)	17	06	11 (65)	174.40	12.09
XXIV (2018–19)	28	12	16 (57)	317.12	22.25
XXV (2019–20)	32	13	19 (59)	214.08	11.02
XXVI (2020–21)	21	2	19 (90)	119.24	6.28
XXVII (2021–22)	7	0	7 (100)	63.36	3.33
योग	**185**	**94**	**91**	**2,040.12**	**117.99**

स्त्रोतः प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चरण XVIII (2012–13) से XXVII (2021–22) के मध्य स्वीकृत परियोजनाओं में से केवल 51 प्रतिशत ही पूर्ण हो सकीं और शेष परियोजनाएं मार्च 2022 तक अपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, संभागीय स्तर पर अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत चरण XIV (2008–09) और XVI (2010–11) के क्रमशः चार अनुबंधों/कार्यों और एक अनुबंध/कार्य की जांच की। इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने चयनित संभागों में कुल 39 कार्यों/अनुबंधों (पूर्णः 23, अपूर्ण अंतिमः 06, अपूर्ण/प्रगतिशीलः 10) की नमूना जांच की, जिसकी चर्चा आगामी कंडिका में की गई है।

3.1.7.1 ऋण और उसके पुनर्भुगतान का परियोजनावार विवरण का संधारित नही किया जाना

आरआईडीएफ पुस्तिका के खंड 8 में यह प्रावधान है कि ऋण को निकासी की तिथि से सात वर्षों के भीतर समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना था, जिसमें दो वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है। छूट अवधि के दौरान भी ब्याज देय है। ब्याज का भुगतान वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में किया जाना चाहिए। आरआईडीएफ ऋण पर ब्याज की गणना संवितरण के समय प्रचलित बैंक दर से 1.5 प्रतिशत घटाकर की जानी थी। इसके अतिरिक्त, अनुलग्नक VI के खंड 9 में यह प्रावधान है कि ऋण पुनर्भुगतान के उद्देश्य से, निधियों के प्रत्येक आहरण को एक अलग ऋण माना जाएगा।

नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, नया रायपुर में अभिलेखों की जांच में यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2019–22 की अवधि के दौरान नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ₹ 396.68 करोड़ के ऋण के विरुद्ध वित्त विभाग ने 60 परियोजनाओं के लिए ₹ 272.40 करोड़ की प्रतिपूर्ति का दावा किया था, जिनमें से 45 परियोजनाएं/कार्य अभी भी अपूर्ण हैं। जबकि, इस मांग के विरुद्ध नाबार्ड ने वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान केवल ₹ 272.18 करोड़ की प्रतिपूर्ति किया। विवरण ***तालिका 3.1.3*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1.3: नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण और राज्य शासन द्वारा ऋण पुनर्भुगतान का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण	वित्त विभाग द्वारा मोबिलाइजेशन अग्रिम सहित किया गया दावा	नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन अग्रिम सहित की गई प्रतिपूर्ति	राज्य शासन द्वारा ऋण पुनर्भुगतान	
				मूल धन	ब्याज राशि
2019–20	214.08	167.19	153.85	नाबार्ड या वित्त विभाग (नोडल एजेंसी) द्वारा संधारित नहीं किया गया	नाबार्ड या वित्त विभाग (नोडल एजेंसी) द्वारा संधारित नहीं किया गया
2020–21	119.24	83.28	89.97		
2021–22	63.36	21.93	28.36		
योग	**396.68**	**272.40**	**272.18**		

(स्त्रोतः नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि शासन द्वारा भुगतान किए गए ऋण और ब्याज की पुनर्भुगतान से संबंधित परियोजनावार जानकारी और अभिलेख वित्त विभाग द्वारा संधारित नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा ऋण, उसके पुनर्भुगतान और ब्याज की परियोजनावार जानकारी और अभिलेख की मांग किए जाने पर, वित्त विभाग ने बताया (दिसम्बर 2022) कि अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड, रायपुर से प्राप्त किए जाएंगे। तथापि, जब लेखापरीक्षा द्वारा नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर से यह जानकारी और अभिलेख मांगा गया (दिसम्बर 2022), जिसने ऋण वितरित किया था, परन्तु उनके द्वारा यह उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण के विरूद्ध की गई पुनर्भुगतान के साथ–साथ प्रत्येक परियोजना की बकाया ऋण एवं शासन द्वारा नाबार्ड को किये गये ब्याज भुगतान की राशि को सुनिश्चित नहीं कर सका।

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसंबर 2024)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.8 परियोजनाओं की योजना, क्रियान्वयन और संधारण

3.1.8.1 भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से पहले ही कार्य सौंपे जाने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पाना

आरआईडीएफ की पुस्तिका के अनुलग्नक–III के खंड 22 (बी) के अनुसार, राज्य शासन को स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में भूमि अधिग्रहण, यदि कोई हो, सहित सभी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करना चाहिए।

जल संसाधन मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन ने निर्देश जारी किए (दिसंबर 2013) कि जब तक वन विभाग से स्वीकृति नहीं मिल जाती और भूमि अधिग्रहण नहीं हो जाता, तब तक कोई भी कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग ने भी आदेश जारी किया (जनवरी 2014) और उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन के लिए सभी मुख्य अभियंताओं को प्रेषित किया।

लेखापरीक्षा ने चार संभागों में पाया कि वर्ष 2016–20 के दौरान भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण किए बिना ही ₹ 40.63 करोड़ की निविदा की अनुमानित राशि ***(परिशिष्ट 3.1.1)*** के छः कार्यों के लिए निविदा जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण न होने और इससे संबंधित मुद्दों के कारण सभी छः कार्यों में विलंब हुआ और लेखापरीक्षा की तिथि तक पूर्ण नहीं किया जा सका।

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसंबर 2024)।

3.1.8.2 नहर कार्य का निष्पादन न होने के कारण शीर्ष कार्य पर ₹ 2.06 करोड़ का निरर्थक व्यय

निर्माण विभाग नियमावली के खंड 2.006 के अंतर्गत, अपवादात्मक प्रकरणों में, जहां किसी परियोजना पर कार्य प्रारंभ करना वांछनीय हो, जिसके लिए संपूर्ण परियोजना के लिए विस्तृत प्राक्कलन स्वीकृत किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी हो, वहां अंतिम तकनीकी प्राक्कलन स्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी को परियोजना के घटक भागों के लिए विस्तृत प्राक्कलन प्रदान करने की अनुमति इस शर्त के अधीन है कि (क) प्रत्येक ऐसे कार्य या घटक भाग के लिए पूर्ण रूप से तैयार विस्तृत प्राक्कलन होना चाहिए, तथा संपूर्ण व्यय की स्वीकृति, संबंधित कार्य या घटक भाग के अनुरूप स्पष्ट और विशिष्ट राशि होनी चाहिए, (ख) विस्तृत प्राक्कलन की राशि, व्यय की स्वीकृति में सम्मिलित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए, (ग) स्वीकृति देने से पूर्व स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि व्यय स्वीकृति के प्रयोजन के लिए तैयार संपूर्ण परियोजना में कोई महत्वपूर्ण विचलन प्रत्याशित नहीं किया जाना है तथा संपूर्ण परियोजना के लिए तकनीकी स्वीकृति की राशि, व्यय की राशि से अधिक होने की संभावना नहीं है।

छत्तीसगढ़ शासन ने (सितंबर 2007) लघु सिंचाई योजना (आदिवासी क्षेत्र) नाबार्ड के अंतर्गत बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक में कल्हामार व्यपवर्तन योजना के लिए 262 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का निर्माण करने के लिए ₹ 2.30 करोड़ का प्रशासकीय स्वीकृति कार्य प्रारंभ होने के पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने एवं प्रभावित निजी भूमि के लिए मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने की शर्त के अधीन प्रदान किया था। प्रारंभिक प्राक्कलनों, जिसके आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया गया था, के अनुसार इस योजना में शीर्ष कार्य और नहर कार्य का निर्माण शामिल था, जिसकी अनुमानित लागत क्रमशः ₹ 1.88 करोड़ और ₹ 42.51 लाख थी। अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन संभाग, बिलासपुर के द्वारा शीर्ष कार्य के लिए ₹ 2.27 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति दिया गया (फरवरी 2008)। कंक्रीट वीयर और नहर जलमार्ग द्वार (नहर स्लुइस गेट) के निर्माण के लिए शीर्ष कार्य ठेकेदार को ₹ 2.05 करोड़ की लागत पर प्रदान किया गया जो मई 2009 में ₹ 2.06 करोड़ की व्यय के साथ पूर्ण हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत भी, नहर के लिए सर्वेक्षण नहीं किया गया था और नहर के कार्य के लिए विस्तृत प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था तथा केवल शीर्ष कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई थी। पूरी परियोजना के लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना और नहर के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना संभाग द्वारा शीर्ष कार्य शुरू करना निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधान के विचलन के साथ परियोजना के आंशिक निष्पादन को दर्शाता है।

वर्ष 2010 में नई दरों की अनुसूची (एसओआर) प्रभावी होने के पश्चात्, संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव 2013 में प्रस्तुत किया गया था तथा शासन द्वारा अगस्त 2016 में ₹ 7.58 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय करने से पहले, नहर के कार्य के लिए विस्तृत कमांड क्षेत्र और नहर सर्वेक्षण किए बिना विस्तृत प्राक्कलन तैयार किए गए थे। प्रारंभिक सर्वेक्षण के आधार पर नहर का संभावित संरेखण निर्धारित किया गया था। विस्तृत प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति भी नहीं ली गई थी। यह परियोजना को पूर्ण करने में विभाग के उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाता है क्योंकि नहर के कार्य के लिए आवश्यक विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया था और संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति

दिये जाने के आठ वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी कार्य को तकनीकी रूप से स्वीकृति नहीं दी गई थी।

आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि ग्रामीणों ने अपनी भूमि देने का विरोध किया क्योकि नहर का संरेखण उच्च कटाव क्षेत्र से होकर गुजर रहा था तथा कमांड एरिया भी उनकी भूमि से बहुत दूर था, जिसके कारण किसानों को कोई सिचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। शिकायत में आगे यह कहा गया (2016) कि एक ही गांव में विभाग द्वारा अलग–अलग व्यपवर्तन योजनाओं के अंतर्गत ओवरलैपिंग कमांड एरिया वाली दो नहरों का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, कोटा बिलासपुर ने कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, संभाग पेंड्रा को (जुलाई 2016) सूचित किया कि कल्हामार व्यपवर्तन योजना की नहर के निर्माण के लिए अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पूर्व में सिलदहा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु अर्जित किया जा चुका था जिसमें जल संसाधन संभाग, खारंग द्वारा तीन वर्ष पूर्व 20 से 30 फीट की खुदाई किया जा चुका था तथा इस संबंध में कार्यपालन अभियंता को जांच करने एवं तीन दिवस के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। तथापि, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों में उक्त जाँच करने एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया।

आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि अधीक्षण अभियंता, बिलासपुर द्वारा नहर के संशोधित संरेखण हेतु सर्वेक्षण के लिए ₹ 2.75 लाख की तकनीकी स्वीकृति फरवरी 2022 में स्वीकृत किए गए थे। तदनुसार, नहर के पुनर्सरेखण प्रस्तावित किया गया था और सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार प्राक्कलन तैयार किए गए थे तथापि, मुख्य अभियंता, हसदेव बेसिन ने सिलदाहा व्यपवर्तन योजना के साथ कमांड क्षेत्र के ओवरलैपिंग, चांपी नदी के साथ प्रस्तावित नहर की निकटता और परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण पाइप नहर के माध्यम से सिंचाई का प्रस्ताव दिया (दिसंबर 2023)। तथापि, परियोजना अभी भी अपूर्ण है।

इस प्रकार, विस्तृत सर्वेक्षण करने और विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने में विभाग के उदासीन दृष्टिकोण के कारण, नहर का कार्य, शीर्ष कार्य के साथ–साथ नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, सिलदाहा व्यपवर्तन योजना जिसमें नहर का कार्य पूर्व में ही प्रारंभ किया जा चुका था, के साथ कमांड क्षेत्र के ओवरलैप होने के कारण, कल्हामार व्यपवर्तन योजना अपूर्ण रह गई। यह विभाग द्वारा विभिन्न व्यपवर्तन योजनाओं के क्रियान्वयन में नियोजन की कमी को दर्शाता है जिसके कारण शीर्ष कार्य के निर्माण पर किए गए ₹ 2.06 करोड़ का व्यय निरर्थक हो गया, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से संरचनाएं बेकार पड़ी हैं और 262 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

फोटोग्राफ 3.1.1 और 3.1.2 : निर्मित शीर्ष और नहर के प्रस्तावित स्थल का फोटोग्राफ

निर्मित शीर्ष कार्य

नहर का प्रस्तावित स्थल

फोटोग्राफ की तारीखः 24.02.2022

कार्यपालन अभियंता, संभाग पेंड्रा ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2022) कि संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात, उप–संभागीय अधिकारी ने अन्य तकनीकी अधिकारियों के साथ नहर के कमांड क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण शुरू किया और पाया कि कमांड क्षेत्र के कुछ हिस्से में, सिलदहा व्यपवर्तन योजना के लिए जल संसाधन संभाग खारंग, बिलासपुर द्वारा एक अन्य नहर का निर्माण किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, तीन प्रभावित गांवों के ग्रामीणों ने भी अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए सुनवाई के दौरान प्रस्तावित नहर के निर्माण पर आपत्ति जताई थी। उपरोक्त परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, संभाग द्वारा नहर के पुनर्संरेखण के लिए नए सर्वेक्षण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया (जनवरी 2022)। इसके अतिरिक्त, कार्यपालन अभियंता ने उत्तर दिया (जून 2024) कि योजना के कमांड क्षेत्र को दर्शाने वाले निर्देशिक मानचित्र (इंडेक्स मैप) के साथ नई सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार की गई तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन का सार जो मुख्य अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित था, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया (दिसम्बर 2023)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने नहर के संरेखण, कमांड क्षेत्र, समोच्च आरेख के साथ विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन मांगी थी, परन्तु संभाग ने सूचकांक मानचित्र के साथ केवल एक पृष्ठ में सर्वेक्षण प्रतिवेदन का सार प्रदान किया परन्तु योजना के कमांड क्षेत्र को दर्शाने वाले अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे नहर का संरेखण, रेखा आरेख, समोच्च आरेख और विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार नहीं किये गये थे।

उत्तर से प्रतीत होता है कि विस्तृत सर्वेक्षण के बिना व्यपवर्तन योजना बनाई गई, जिसके कारण विभाग द्वारा एक ही कमांड क्षेत्र के साथ कई व्यपवर्तन योजनाएं क्रियान्वित की जा रही थी। आगे, नहर के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना शीर्ष कार्य के निष्पादन किये जाने के परिणामस्वरूप शीर्ष कार्य के निर्माण में ₹ 2.06 करोड़ का निरर्थक व्यय किया गया।

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसंबर 2024)।

3.1.8.3 अरपा भैसाझार परियोजना के क्रियान्वयन में अनियमितताएं एवं विलंब।

छत्तीसगढ़ शासन ने बिलासपुर जिले के 92 गांवों में 25000 हेक्टेयर खरीफ फसलों के सिंचाई के लिये एक वृहद परियोजना अरपा भैसाझार बैराज परियोजना के लिए

₹ 606.43 करोड़ (निजी और वन भूमि अधिग्रहण की लागत, वृद्धि और अन्य मदें जैसे वृक्षारोपण, विविध आदि जो सहायक मदें थीं, सहित) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया (जून 2012)। तत्पश्चात, परियोजना के शीर्षकार्य और नहर के निर्माण के लिए ₹ 372.75 करोड़ के अनुमान को मुख्य अभियंता, हसदेव बेसिन, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर द्वारा केवल एकमुश्त निविदा के आधार पर अनुमोदित किया गया (फरवरी 2013)। इस परियोजना को नाबार्ड द्वारा चरण XX (2014–15) में ₹ 417.49 करोड़ की ऋण राशि के साथ स्वीकृति दिया गया तथा शेष राशि ₹ 188.94 करोड़ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदान किया जाना था।

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी होने (सितंबर 2013) के पश्चात्, कार्य को ₹ 326.45 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर कार्य सौपा गया तथा कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 36 माह अर्थात सितंबर 2016 तक निर्धारित की गई (सितंबर 2013)। लेखापरीक्षा की तिथि तक (अगस्त 2023) ठेकेदार को कुल ₹ 317.59 करोड़[2] का भुगतान किया गया। 147 मीटर बैराज का निर्माण कार्य ₹ 65.25 करोड़ के लागत के साथ पूर्ण हो चुका (नवंबर 2018) है जबकि बैराज के नियंत्रण कक्ष का कार्य अपूर्ण था। परियोजना के कार्य के निष्पादन के लिए ठेकेदार को सितंबर 2016 से दिसंबर 2023 के दौरान आठ बार बिना किसी शास्ति के समय वृद्धि (ईओटी) स्वीकृत किया गया। यह देखा गया कि ठेकेदार को पहले पांच मौकों (सितंबर 2016 से जुलाई 2021) पर वन स्वीकृति (23 अप्रैल 2015) और पर्यावरण स्वीकृति (08 मई 2015) तथा कोविड और भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरणों में विलंब के आधार पर समय वृद्धि स्वीकृत किया गया, क्योंकि इन सभी वैधानिक स्वीकृतियों के प्राप्त होने से पहले ही विभाग द्वारा ठेकेदार को कार्य प्रदान किया गया था। इसके पश्चात, विभाग द्वारा दिसंबर 2023 तक तीन समय वृद्धि भी प्रदान किए गए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 95वें चल देयक तक किये गये कार्य के लिये ठेकेदार को अंतिम भुगतान मई 2021 में किया गया था तथा दिसंबर 2023 तक का समय वृद्धि दिया गया था। दिसंबर 2023 के पश्चात् न तो काम में कोई प्रगति हुई न ही ठेकेदार द्वारा कोई समय वृद्धि मांगा गया। तथापि, विभाग द्वारा भी ठेकेदार द्वारा लंबित कार्य को पूरा करवाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं किया गया। नहर का निर्माण कार्य अपूर्ण था तथा केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा अनुमोदित डीपीआर के अनुसार, नहर की अनुमानित लंबाई 386.90 किमी में से केवल 329.46 किमी[3] का निर्माण कार्य ₹ 252.34 करोड़ की लागत से किया गया। परियोजना के अंतर्गत, खरीफ फसलों के लिए 25,000 हेक्टेयर के डिजाइन किए गए सिंचाई क्षमता के विरुद्ध केवल 13,500 हेक्टेयर (54 प्रतिशत) का सिंचाई क्षमता सृजित हुआ। अनुबंध के अनुसार, ठेकेदार को 25,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए अतिरिक्त मद/बढ़ी हुई मात्रा हेतु किसी भी मूल्य वृद्धि के बिना कार्य पूर्ण करना था, जिसके विरुद्ध खरीफ फसल हेतु केवल 13,500 (54 प्रतिशत) का सिंचाई क्षमता सृजित हुआ।

इस प्रकार, परियोजना अपूर्ण रही तथा कार्य प्रारंभ होने के 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी नहर का कार्य पूर्ण न होने के कारण डिजाइन की गई सिंचाई क्षमता प्राप्त नहीं हो सकी।

इस परियोजना में पाई गई अन्य अनियमितताओं और विलंब के कारणों का विवरण अगली कंडिकाओं में दिया गया है:

---

[2] 95वें चल देयक का भुगतान वाउचर संख्या. 34 डीएल/मई 2021 के माध्यम से किया गया।

[3] 329.46 किमी तक मिट्टी का काम पूरा हुआ, जिसमें से केवल 54.25 किमी में सीसी लाइनिंग का कार्य पूरा हुआ

(अ) *केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक वैधानिक स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त करने से पहले ही कार्य प्रारंभ किया जाना*

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए जारी दिशानिर्देशों (2010) के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी–आर्थिक जांच के अधीन होती हैं।

दिशानिर्देश के खंड 2.3 में यह प्रावधान है कि प्रारंभिक प्रतिवेदन की उस कार्यालय में शीघ्रता से जांच की जानी चाहिए जहां वह प्रस्तुत की गई हैं। तथापि, एक बार प्रतिवेदन स्वीकार्य योग्य पाए जाने पर, स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जांच और स्वीकृति के पश्चात मुख्य अभियंता, परियोजना मूल्यांकन संगठन (पीएओ), सीडब्ल्यूसी के कार्यालय से डीपीआर तैयार करने के लिए सैद्धांतिक सहमति संप्रेषित की जाएगी। डीपीआर तैयार करने हेतु सीडब्ल्यूसी की सैद्धांतिक सहमति देने की समय–सीमा 18 सप्ताह के भीतर है।

आगे, खंड 2.6 में यह प्रावधान है कि परियोजना प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वन स्वीकृति, पर्यावरण प्रभाव आकलन हेतु पर्यावरण स्वीकृति जैसी स्वीकृतियाँ उचित मूल्यांकन के उपरांत समय रहते संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त की जाए तथा जब भी आवश्यकता हो, इन स्वीकृतियों के साथ डीपीआर प्रस्तुत की जाए। इसके अतिरिक्त, खंड 3.2 में प्रावधान है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन, वन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना आदि के संबंध में प्राप्त स्वीकृतियों को भी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए तथा निहित लागत को अनुमान में उचित रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संभाग ने परियोजना की प्रारंभिक प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत कर दी थी (नवम्बर 2011) और तदनुसार केन्द्रीय जल आयोग ने जल विज्ञान, सिंचाई योजना और अन्तर्राज्यीय पहलुओं पर टिप्पणियों के अनुपालन के अधीन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया था (फरवरी 2012)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अरपा भैसाझार परियोजना की प्रारंभिक डीपीआर मुख्य अभियंता, हसदेव बेसिन, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर द्वारा तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई (मार्च 2012) तथा उसी को निदेशक, सीडब्ल्यूसी को (सितंबर 2013) भेजा गया। फरवरी 2013 में, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग हसदेव बेसिन, बिलासपुर ने अरपा भैसाझार बैराज के लिए ₹ 372.75 करोड़ का अनुमान केवल एकमुश्त निविदा के आधार पर निविदा प्रयोजन के लिए स्वीकृत किया। तथापि, सीडब्ल्यूसी को तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति डीपीआर प्रस्तुत करने से पहले ही, विभाग ने निविदा आमंत्रित किया (मई 2013) एवं ठेकेदार को 13 सितंबर 2013 को कार्य आदेश जारी कर दिया गया, जिसने कार्य के दो मदों[4] का निष्पादन किया तथा प्रथम रनिंग बिल (आरए) की राशि ₹ 5.54 करोड़ का भुगतान ठेकेदार को 15 मई 2014 को किया गया। इसके पश्चात्, सितम्बर 2016 तक ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य हेतु कुल ₹ 128.94 करोड़ का भुगतान किया गया।

कार्य प्रारंभ होने से पहले प्राप्त की जाने वाली वैधानिक स्वीकृतियों का विवरण नीचे दिया गया है:–

➢ **वन स्वीकृति** :– संभाग, कोटा ने परियोजना के लिए आवश्यक 442.35 हेक्टेयर वन भूमि की स्वीकृति हेतु जिला वन अधिकारी (डीएफओ), बिलासपुर को एक

[4] मद नंबर. एफ–1–1 और एफ–3–1

प्रस्ताव प्रस्तुत किया (नवंबर 2011) और वन विभाग ने इसे पंजीकृत[5] किया (जनवरी 2012)। राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के जांच के उपरांत, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ने निर्धारित शर्तों के अनुपालन के निर्देश के साथ 442.350 हेक्टेयर[6] वन भूमि को परिवर्तित किये जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किया (दिसंबर 2014) और उसके पश्चात् वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अंतर्गत अंतिम अनुमोदन प्रदान किया (अप्रैल 2015)। इस प्रकार, वन स्वीकृति हेतु के लिए आवश्यक शर्तों के अनुपालन करने और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने में तीन साल से अधिक समय लग गया।

- **पर्यावरण स्वीकृति** :– संभाग, कोटा ने पर्यावरण स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजा (सितंबर 2012) और पर्यावरण मूल्यांकन समिति की सिफारिश के आधार पर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ने प्रस्तावित स्थल पर निर्माण–पूर्व गतिविधियों के लिए स्वीकृति दिया (फरवरी 2013) जिसमे प्रचलित पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के अनुसार अंतिम पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन तैयार करने के लिए संदर्भ की शर्ते भी जारी की, जो इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो साल के लिए वैध थी। तदनुसार, संभाग ने संदर्भ अवधि की वैध अवधि के अंतर्गत अंतिम पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया (फरवरी 2015) जिसके पश्चात्, पर्यावरण मूल्यांकन समिति द्वारा अंतिम पर्यावरण स्वीकृति दी गई (मई 2015)।

- **आदिम जाति विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)**:–सहायक संचालक, आदिम जाति विभाग, बिलासपुर ने अरपा भैंसाझार परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 29 अप्रैल 2015 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया था।

- **अंतर–राज्यीय स्वीकृति**:–सीडब्ल्यूसी ने दिनांक 13 जुलाई 2016 को अंतर–राज्यीय स्वीकृति प्रदान किया।

इस प्रकार, आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां जैसे वन स्वीकृति, पर्यावरण स्वीकृति, आदिम जाति विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र और अंतरराज्यीय स्वीकृति तथा सीडब्ल्यूसी से डीपीआर की तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्य का निष्पादन शुरू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूसी दिशानिर्देशों के खंड 2.6 का उल्लंघन हुआ।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि भूमि अधिग्रहण की लागत एवं वन स्वीकृति हेतु क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि होने के कारण परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 606.43 करोड़ (सितंबर 2013) से संशोधित होकर ₹ 1141.90 करोड़ (जून 2016) हो गया। परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 1141.90 करोड़ का संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया (जुलाई 2016) जिसके पश्चात सीडब्ल्यूसी की सलाहकार समिति ने प्रस्ताव को अंतिम रूप से दिनांक 06 अक्टूबर 2016 को स्वीकार किया।

इस ओर इंगित किए जाने पर, प्रमुख अभियंता (जुलाई 2024) ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया और कहा कि अरपा भैसाझार परियोजना की प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हसदेव कछार, बिलासपुर द्वारा प्रेषित किया गया (नवंबर 2011) तथा केन्द्रीय जल आयोग के परियोजना मूल्यांकन (केन्द्रीय) निदेशालय ने डीपीआर बनाने हेतु परियोजना का सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किया (फरवरी 2012) परन्तु इसे त्रुटिवश अंतिम स्वीकृति

---

[5] केस नंबर. 2012/04

[6] 141.885 हेक्टेयर का आरक्षित वन, 242.377 हेक्टेयर का संरक्षित वन और 58.088 हेक्टेयर का राजस्व वन

मानकर सीडब्ल्यूसी की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के बिना निविदा आमंत्रित की गई। इसके अलावा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण स्वीकृति और वन स्वीकृति वर्ष 2015 में प्रदान किया। इस प्रकार, त्रुटिवश सीडब्ल्यूसी के निर्देशों का उल्लंघन हो गया और भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं की जाएगी तथा लेखापरीक्षा आक्षेप के बिंदुओं का अनुपालन किया जाएगा।

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसंबर 2024)।

(ब) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विलंब

भूमि अधिग्रहण किसी भी सिंचाई परियोजना में प्रमुख चरणों में से एक है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 4 से 11ए के अनुसार, जब भी सरकार को ऐसा उचित प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र में भूमि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है या आवश्यता होने की संभावना है, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के विवरण के साथ उस आशय की अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी।

अनुबंध दस्तावेज के खंड 2.1.3.4 में यह प्रावधान है कि ठेकेदार को मिट्टी क्षेत्र और यदि कोई अन्य निर्माण गतिविधियों के लिए आवश्यक क्षेत्र के लिए अस्थायी भूमि अधिग्रहण प्रकरण तैयार करने होंगे। इसके अलावा, ठेकेदार को स्थायी भूमि अधिग्रहण मामले (निजी भूमि, सरकारी भूमि) के साथ–साथ उत्खनन सामग्रियों के निस्तारण हेतु आवश्यक क्षेत्र के लिए संपत्ति मुआवजा मामले, यदि कोई हो, तैयार करने थे और इसे राजस्व विभाग को आगे प्रस्तुत करने के लिए जल संसाधन विभाग को प्रस्तुत करना था, जिसमें सभी निर्माण गतिविधियों के लिए अस्थायी आधार पर भूमि की व्यवस्था भी शामिल थी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि संभाग ने निविदा आमंत्रित किया और ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि सितंबर 2016 तक के साथ कार्य सौपा (सितंबर 2013) और ठेकेदार ने पर्यावरण स्वीकृति (23 अप्रैल 2015) एवं वन स्वीकृति (08 मई 2015) प्राप्त होने से पहले ही कार्य शुरू कर दिया था। तथापि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा के अंतर्गत, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना शासन द्वारा सबसे पहले अगस्त 2015 में प्रकाशित किया था और इसके बाद भूमि अधिग्रहण के 156 प्रकरणों के लिए जुलाई 2023 तक अधिसूचना जारी की गयी थी।

यह पाया गया कि ठेकेदार को पहले पांच बार समय वृद्धि (13 सितम्बर 2016 से 30 जून 2021) भूमि अधिग्रहण एवं पर्यावरण स्वीकृति में विलंब के एकसमान आधार पर स्वीकृत किया गया जबकि छठे और सातवें समय वृद्धि 2019–20 एवं 2020–21 में कोविड–19 के कारण लॉकडाउन तथा भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृति एवं वन स्वीकृति में विलंब के आधार पर स्वीकृत किया गया। ठेकेदार ने कुल 159 भूमि अधिग्रहण के प्रकरण प्रस्तुत किए थे, जिसमे से 156 प्रकरणों हेतु राजस्व विभाग द्वारा अवार्ड पारित किया गया था तथा तीन प्रकरण जून 2023 तक अभी भी लंबित थे। इस प्रकार कार्य को प्रदान किए जाने से 10 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी भी पूर्ण नहीं हुई।

आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदा हेतु मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन (फरवरी 2013) के अनुसार, प्रारम्भ में उपशाखाओं सहित 180 किलोमीटर लंबी नहर निर्माण के लिए 495 हेक्टेयर निजी भूमि की आवश्यकता थी। तथापि, सीडब्ल्यूसी द्वारा अनुमोदित (अक्टूबर 2016) अंतिम डीपीआर के अनुसार, नहर की लंबाई 180 किलोमीटर से बढ़कर 386.90 किलोमीटर हो गया और परिणामस्वरूप नहर के निर्माण

के लिए अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि का क्षेत्रफल भी 495 हेक्टेयर से बढ़कर 1012.60 हेक्टेयर हो गया। तदनुसार भूमि अधिग्रहण की लागत भी बढ़ गई। संभाग ने 955.175 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिकारी को ₹ 572.92 करोड़ का भुगतान किया, जिसमें से 943.403 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका था तथा प्रभावित किसानों को ₹ 380.05 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जा चुका था जबकि 11.383 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण लंबित था। इस प्रकार, भूमि अधिग्रहण के मामलों की प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण परियोजना के निष्पादन में देरी हुई।

इस ओर इंगित किए जाने पर, प्रमुख अभियंता ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसंबर 2024)।

(स) निर्माण कार्य क्षेत्र में होने के उपरांत भी 'रेलवे ट्रैक के नीचे नहर क्रॉसिंग पुल' का निर्माण नहीं कराये जाने के कारण ठेकेदार को ₹ 2.83 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान

अरपा भैसाझार परियोजना के बैराज कार्य हेतु किए गए एकमुश्त अनुबंध के खंड 2.1.3.11 के अनुसार, नहर के विस्तृत कार्य क्षेत्र में जलसेतु और निकासी द्वार, रेलवे क्रॉसिंग, रोड क्रॉसिंग, क्रॉसिंग रेगुलेटर सह क्रॉस रेगुलेटर, निकासी द्वार, नाला व्यपवर्तन, यदि आवश्यक हो, फॉल्स, वितरण शाखाएं और माइनर एवं माइनर हेड्स, मीटरिंग फ्लूम आदि शामिल था, जिन्हें जल संसाधन विभाग द्वारा जारी परिपत्रों, प्रासंगिक भारतीय मानक (आईएस), भारतीय रोड कांग्रेस (आईआरसी) प्रकाशन आदि के अनुसार डिजाइन और निष्पादित किया जाना था। मुख्य नहर की डिजाइन की आवश्यकता के अनुसार निकासी प्रदान की जानी थी, जल को नजदीक के नाले में जाने देने के लिए उपयुक्त निकास प्रणाली (एस्केप चैनल) प्रदान किया जाना था और यह कार्य क्षेत्र में उल्लेखित अनुसार ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एस.ई.सी.आर), बिलासपुर ने परियोजना के अंतर्गत एक नहर क्रॉसिंग पुल[7] के निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति प्रदाय करने के लिए मार्ग अधिकार छोड़ने हेतु शुल्क के रूप में ₹ 5.30 लाख की मांग की थी और तदनुसार, संभाग ने यह राशि जमा कर दिया था। इसके अलावा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एस.ई.सी.आर) बिलासपुर ने इस परियोजना के अंतर्गत एक नहर क्रॉसिंग पुल[8] के निर्माण के लिए ₹ 3.00 करोड़ का प्राक्कलन तैयार किया और कोटा, संभाग को कार्य की योजना और प्राक्कलन तैयार करने के लिए दो प्रतिशत की दर से ₹ 6.00 लाख जमा करने की मांग इस शर्त के साथ किया कि अंतिम प्राक्कलन तैयार होने के बाद शुल्क की राशि में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए, प्रारम्भ में संभाग ने ₹ 6.00 लाख जमा[9] किए (जुलाई 2016) और बाद में संभाग ने एस.ई.सी.आर द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्राक्कलन के अनुसार ₹ 2.71 करोड़ जमा किए (सितंबर 2016)। संभाग द्वारा एस.ई.सी.आर को किए गए भुगतान का विवरण ***तालिका 3.1.4*** में दर्शाया गया है।

---

[7] क्रमांक. 10 एके बिलासपुर–कटनी सेक्शन पर कालमित्रा–कारगी रोड स्टेशन के बीच किमी 743/08–10 पर

[8] क्रमांक. 10 एके बिलासपुर–कटनी सेक्शन पर कालमित्रा–कारगी रोड स्टेशन के बीच किमी 743/08–10 पर

[9] चेक नंबर. 567625 दिनांक 08.07.2016 द्वारा

तालिका 3.1.4: संभाग द्वारा एस.ई.सी.आर को किए गए भुगतान का विवरण

क्र. सं.	चेक सं./डिमांड ड्राफ्ट सं.	दिनांक	(राशि ₹ में)
1.	ए568419	13.06.2016	529846
2.	567625	08.06.2017	600000
3.	108369	27.09.2016	27140120
किया गया कुल भुगतान			**28269966**

(स्त्रोतः संभागीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि उपर्युक्त कार्य ठेकेदार के साथ निष्पादित एकमुश्त अनुबंध के कार्यक्षेत्र में शामिल था और इसकी लागत कार्य के अनुबंध राशि में शामिल थी। हालांकि, यह कार्य एसईसीआर द्वारा अलग से निष्पादित किया गया था जिसके लिए संभाग ने ₹ 2.83 करोड़ का भुगतान उनके माँग के अनुसार किया। चूंकि, यह कार्य परियोजना के एकमुश्त अनुबंध के कार्यक्षेत्र में शामिल था, इसलिए इस कार्य के निष्पादन की लागत को इस परियोजना के एकमुश्त अनुबंध के तहत ठेकेदार को किए गए भुगतान से घटाया जाना था। तथापि, विभाग ने इस कार्य की लागत को घटाने या ठेकेदार से वसूलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 2.83 करोड़ अतिरिक्त भुगतान हुआ।

इस ओर इंगित किए जाने पर, प्रमुख अभियंता (जुलाई 2024) ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया और कहा कि मुख्य नहर के आरडी 7843 मीटर पर रेलवे ट्रैक पर नहर क्रॉसिंग पुल का निर्माण अनुबंध के कार्यक्षेत्र में शामिल था और इसे रेलवे विभाग के माध्यम से ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाना था। परन्तु, ठेकेदार द्वारा उपरोक्त कार्य को निष्पादित न किए जाने के कारण, विभाग द्वारा एसईसीआर, बिलासपुर के माध्यम से निष्पादित किया गया एवं भुगतान किया गया। प्रमुख अभियंता ने आगे कहा कि लेखापरीक्षा आक्षेप के अनुपालन में, विभाग ने ठेकेदार को राशि ₹ 2.76 करोड़ जमा करने हेतु निर्देश दिया था (सितंबर 2023)। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में, यह राशि ठेकेदार की सुरक्षा निधि (एस.डी.) से वसूल की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को सूचित की जाएगी।

हालांकि, प्रमुख अभियंता ने ठेकेदार को केवल ₹ 2.76 जमा करने का निर्देश दिया था जबकि एसईसीआर को कुल ₹ 2.83 करोड़ का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, ठेकेदार से ₹ 6.56 लाख (₹ 28269966 – ₹ 27613890) की वसूली भी कराया जाना अपेक्षित था।

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसंबर 2024)।

(द) कार्यक्षेत्र में शामिल होने के उपरांत भी एचटी और एलटी विद्युत लाइनों के स्थानांतरण और पुनःस्थापना का कार्य निष्पादित नहीं किये जाने के कारण ठेकेदार को ₹ 64.46 लाख का अतिरिक्त भुगतान

अरपा भैसाझार परियोजना के बैराज कार्य हेतु किए गए एकमुश्त अनुबंध के खंड 2.1.3.13 के अनुसार, नहर कार्य के विस्तृत कार्यक्षेत्र में उच्च दाब (एचटी) और निम्न दाब (एलटी) विद्युत लाइनों, टेलीफोन लाइन, जल आपूर्ति लाइन और कार्य के मार्ग में आने वाली किसी भी अन्य सुविधा आदि को स्थानांतरित करना और पुनः स्थापित करना तथा जहां आवश्यक हो, वहां आवश्यक अनुमति प्राप्त करना आदि शामिल था। अतः ठेकेदार को नहर के निर्माण के अन्य कार्यों के साथ–साथ उपरोक्त कार्य भी निष्पादित करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सकरी, गरियारी चकरभाठा डी/सी के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर नवनिर्मित नहर से 33 किलोवोल्ट (केवी), 11 केवी और एलटी लाइन को स्थानांतरित करने का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), बिलासपुर द्वारा किया जाना था। संभाग ने सीएसपीडीसीएल के ₹ 64.46 लाख के मांग पत्र के आधार पर सीएसपीडीसीएल को ₹ 64.46 लाख का भुगतान किया। संभाग द्वारा सीएसपीडीसीएल को किए गए भुगतान का विवरण ***तालिका 3.1.5*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1.5: संभाग द्वारा सीएसपीडीसीएल को किए गए भुगतान का विवरण

(राशि ₹ मे)

क्र. सं.	सीएसपीडीसीएल द्वारा जारी डिमांड नोट का विवरण		संभाग द्वारा किए गए भुगतान का विवरण	
	मांग संख्या/ दिनांक	राशि	वाउचर. सं./ दिनांक	राशि
1.	6054/24.01.2017	1401495	32/16.03.2017	1401495
2.	6357/27.02.2018	2265600	13/08.03.2018	2265600
3.	2965/22.08.2019	1174128	56/23.08.2019	1174128
4.	8618/22.02.2019	1604423	45/23.02.2019	1604423
योग		**6445646**		**6445646**

(स्त्रोतः संभागीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

लेखापरीक्षा ने पाया कि एचटी/एलटी बिजली के तार को स्थानांतरित करना तथा संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना एकमुश्त अनुबंध के अंतर्गत कार्य के क्षेत्र में शामिल था। इसलिए, इस कार्य के निष्पादन की लागत को इस परियोजना के एकमुश्त अनुबंध के विरुद्ध ठेकेदार को किए गए भुगतान से घटाया जाना आवश्यक था। तथापि, विभाग ने बिजली लाइन को स्थानांतरित करने की लागत को घटाने/समायोजित करने या ठेकेदार से ₹ 64.46 लाख वसूलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया।

इस ओर इंगित किए जाने पर, प्रमुख अभियंता ने (जुलाई 2024) लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया तथा बताया कि एचटी एवं एलटी विद्युत लाइनों का स्थानांतरण एवं पुनःस्थापना अनुबंध के दायरे में था तथा इसे ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाना था, परन्तु ठेकेदार द्वारा इसे निष्पादित नहीं किए जाने के कारण विभाग ने इस कार्य को क्षेत्रीय लेखा अधिकारी (आरएओ), सीएसपीडीसीएल, बिलासपुर के माध्यम से निष्पादित किया तथा उसी एजेंसी को भुगतान किया गया। प्रमुख अभियंता ने आगे बताया कि लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुपालन में, विभाग ने ठेकेदार को उतनी ही राशि जमा करने का निर्देश दिया था (सितंबर 2023)। उक्त राशि जमा न करने की स्थिति में ठेकेदार के एसडी से राशि वसूल कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसंबर 2024)।

(घ) भू–अर्जन अवार्ड में कृषि भूमि की बढ़ी हुई दरों के निर्धारण के कारण अनुचित लाभ

पंजीयन महानिरीक्षक (केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड) छत्तीसगढ़ द्वारा प्रतिवर्ष भूमि के बाजार मूल्य संबंधी दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं। वर्ष 2018–19 के लिए जारी दिशानिर्देशों में प्रावधानित किया गया था कि द्वि–फसली भूमि का बाजार मूल्य एक–फसली भूमि से 25 प्रतिशत अधिक होगा।

अरपा भैसाझार परियोजना के चकरभाठा शाखा नहर से संबंधित सकरी गांव के भूमि अधिग्रहण प्रकरणों के खसरावार विवरण की जांच से पता चला कि पांच मामलों में भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अवार्ड एक–फसली भूमि के बजाय द्वि–फसली भूमि मानकर तैयार किया गया था, जबकि ऑनलाइन भू–अभिलेख (पी–II) में इन भूमियों का उल्लेख एक–फसली भूमि के रूप में दर्ज किया गया था। इसके परिणामस्वरूप किसानों को मुआवजे के रूप में अधिक भुगतान किया गया। इन पांचों प्रकरणों का विवरण ***तालिका 3.1.6*** में दिया गया है।

तालिका 3.1.6: एक–फसली भूमि के स्थान पर द्वि–फसली भूमि मानकर अधिक मुआवजा भुगतान का विवरण

(राशि ₹ में)

खसरा सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर)	अधिग्रहण अवार्ड जो गणना/भुगतान किया जाना था				भुगतान के लिए विभाग द्वारा गणना की गई मुआवजा		
		भूमि/फसल का प्रकार	बाजार दर/हेक्टेयर	प्राप्त दर[10]	अवार्ड राशि (2) • (5)	भूमि/फसल का प्रकार	वास्तविक अवार्ड राशि	अतिरिक्त अवार्ड (8)–(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18/29	0.194	एकल	1,75,00,000	3,78,00,000	73,33,200	दोहरी	91,66,500	18,33,300
18/35	0.320	एकल	1,75,00,000	3,78,00,000	1,20,96,000	दोहरी	1,51,20,000	30,24,000
19/4	0.433	एकल	1,75,00,000	3,78,00,000	1,63,67,400	दोहरी	2,04,68,624	41,01,224
40/4	0.887	एकल /अन्य पहुंच मार्ग	2,20,00,000	4,75,20,000	4,21,50,240	दोहरी /अन्य पहुंच मार्ग	5,26,66,397	1,05,16,157
42/26	0.474	एकल	1,75,00,000	3,78,00,000	1,79,17,200	दोहरी	2,23,81,579	44,64,379
योग					**9,58,64,040**		**11,98,03,100**	**23939060**

(स्त्रोतः भू–अर्जन अधिकारी कार्यालय कोटा, बिलासपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि पांच मामलों में किसानों को देय मुआवजा राशि की गणना द्वि–फसली मानकर की गई अर्थात एक–फसली सिंचित/असिंचित भूमि के लिए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा जारी बाजार दर दिशानिर्देशों में उल्लिखित सामान्य दरों से 25 प्रतिशत अधिक दर लागू की गई, जबकि राजस्व विभाग के भूमि अभिलेख (पी– II) में इन भूमियों को एकल फसल के रूप में दर्ज किया गया था। इस प्रकार, बाजार दर दिशानिर्देशों के त्रुटिपूर्ण उपयोग के परिणामस्वरूप किसानों को मुआवजा के रूप में ₹ 2.39 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी कोटा, जिला बिलासपुर ने अपने उत्तर में यह बताया (अक्टूबर 2023) कि कलेक्टर द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति ने मामले की जांच कर ली है तथा जांच प्रतिवेदन जल संसाधन विभाग एवं आयुक्त, बिलासपुर को अग्रिम आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गयी है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि जाँच प्रतिवेदन में भूमि अधिग्रहण निर्णय के बाद किसानों को देय मुआवजे की गणना में कृषि भूमि की बढ़ी हुई दरों का उल्लेख नहीं किया गया।

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसंबर 2024)।

---

[10] बाजार दर/हे. एकल फसल के अनुसार + 16 महीने के लिए 12 प्रतिशत की दर से ब्याज +100 प्रतिशत हर्जाना (बाजार दर प्रति हेक्टेयर)

3.1.8.4 सूरजपुर जिले में रेहर एनीकट का निर्माण

(अ) उपयोगिता सुनिश्चित किए बिना रेहर एनीकट के निर्माण करने से ₹ 28.02 करोड़ का अपव्यय

छत्तीसगढ़ शासन ने सूरजपुर ब्लॉक में रेहर नदी पर व्यपवर्तन योजना के निर्माण के लिए ₹ 16.88 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया था (दिसम्बर 2007), जिससे 1,500 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए इस शर्त पर जल उपलब्ध कराया जाना था कि व्यय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी) की जमा राशि से पूर्ण किया जाएगा, जिसे प्रस्तावित थर्मल पावर प्लांट को जल की आपूर्ति होने पर जल कर से समायोजित किया जाना था और साथ ही 1,250 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी थी। इसकी अनुमानित लागत ₹ 16.88 करोड़ में शीर्ष कार्य (₹ 14.35 करोड़) और नहर कार्य (₹ 2.53 करोड़) शामिल थे। सूरजपुर संभाग के कार्यपालन अभियंता ने प्रस्तावित नहर के लिए सर्वेक्षण किया और यह पाया कि नदी के पास नहर के कार्य के लिए बड़ी मात्रा में मिट्टी की कटाई के कार्य के कारण नहर के दोनों तरफ सिंचाई के लिए कमांड क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, व्यपवर्तन योजना चयनित स्थल के लिए उपयुक्त/योग्य नहीं थी। अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मंडल, अंबिकापुर ने मुख्य अभियंता हसदेव बेसिन बिलासपुर को सूचित किया (2008) कि प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लिखित 1250 हेक्टेयर का कमांड क्षेत्र प्रस्तावित नहर के निर्माण के उपरांत भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, परन्तु चूंकि परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए जल की आपूर्ति भी प्रस्तावित थी, इसलिए व्यपवर्तन योजना के स्थान पर एनीकट का निर्माण किया जाना उचित होगा। मुख्य अभियंता (सीएसईबी) ने भी जून 2008 में मुख्य अभियंता, हसदेव बेसिन, बिलासपुर को जल की आपूर्ति की उच्च लागत के आधार पर व्यपवर्तन योजना का निर्माण नहीं करने का सुझाव दिया। तथापि, छत्तीसगढ़ शासन ने सीएसईबी द्वारा लागत वहन करने की शर्त को हटाते हुए व्यपवर्तन/एनीकट योजना के लिए ₹ 27.06 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की (जुलाई 2009)। इस परियोजना को बाद में नाबार्ड से वित्तपोषित किया गया, जिसने इस परियोजना को ₹ 26.67 करोड़ के वित्त पोषण के साथ स्वीकृति (मार्च 2011) दी।

मुख्य अभियंता, हसदेव बेसिन, बिलासपुर द्वारा व्यपवर्तन/एनीकट योजना के अंतर्गत एनिकट निर्माण के लिए ₹ 24.63 करोड़ की संशोधित तकनीकी स्वीकृति (अगस्त 2009) दी गई। ठेकेदार को राशि ₹ 17.08 करोड़ पर कार्य प्रदाय किया गया (दिसंबर 2009) तथा कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 21 माह थी। कार्य के निष्पादन के दौरान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ठेकेदार को सात बार समयवृद्धि विभिन्न कारणों के लिए स्वीकृत किया गया था, जैसे कि निधि की कमी, मजदूरों की अनुपलब्धता, ग्रामीणों का आक्रोश, आकस्मिक बारिश, शासन स्तर पर अनुपूरक स्वीकृति में विलंब इत्यादि। कुल व्यय ₹ 28.02 करोड़ के साथ कार्य पूर्ण (मार्च 2018) हुआ तथा अंतिम बिल का भुगतान अगस्त 2019 में किया गया था।

मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर के अभिलेखों की जांच से पता चला कि उपरोक्त योजना मूल रूप से सीएसईबी द्वारा निर्मित 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए थर्मल पावर परियोजना को जलापूर्ति और नहर के माध्यम से 1250 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए डिजाइन की गई थी। तथापि, सीएसईबी ने निर्माण की बहुत अधिक लागत के कारण योजना से जल लेने से मना कर दिया (जून 2008)। इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि परियोजना उच्च कटाव/पहाड़ी क्षेत्र के कारण नहर के माध्यम से सिंचाई के लिए व्यवहारिक नहीं थी, विभाग ने नहर के बिना वीयर (हेड वर्क) के निर्माण के लिए नाबार्ड के वित्तपोषण के

साथ परियोजना को आगे बढ़ाया और ठेकेदार को किए गए कुल कार्य के लिए ₹ 28.02 करोड़ का भुगतान किया।

तथापि, निर्मित संरचना का उपयोग न तो किसी बिजली संयंत्र या उद्योग को जल की आपूर्ति के लिए किया जा रहा था और न ही सिंचाई के लिए कोई कमांड क्षेत्र आस–पास उपलब्ध था। इस प्रकार, निर्मित संरचना से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई और किया गया व्यय निष्फल रहा। आगे, लेखापरीक्षा द्वारा किए गए एनीकट के संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसंबर 2022) से पता चला कि संरचना आंशिक रूप से जल में डूब गई है और जीर्ण स्थिति में है, जैसा कि नीचे दी गई तस्वीरों से स्पष्ट है।

फोटो 3.1.3 और 3.1.4: रेहर एनीकट का क्षतिग्रस्त स्ट्रक्चर और गेट

फोटोग्राफ का दिनांकः 07.12.2022

(ब) निम्न विशिष्टियों के साथ कंक्रीट कार्य का निष्पादन

यह भी पाया गया कि एनीकट के निर्माण में निष्पादित प्लेन सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) और रिइन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) कार्य निम्न विशिष्टियों के थे क्योंकि एम–10 और एम–20 कंक्रीट की समग्र दबाव क्षमता के स्वीकार्य मानदंडों का पालन नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया हैः

➢ ***निम्न ग्रेड के कंक्रीट के साथ पीसीसी और आरसीसी कार्य का निष्पादन***

सिंचाई से संबंधित कार्यो (जैसे एनीकट, बैराज, व्यपवर्तन योजना) की संरचनाएं मोडरेट वातावरण के संपर्क में होती हैं, जिसे भारतीय मानक कोड 456:2000 की तालिका–3 के साथ पढ़ने पर इस प्रकार परिभाषित किया गया है– ऐसा पर्यावरण जहां कंक्रीट की सतहे तीव्र वर्षा से प्रभावित होती है या लगातार पानी में डूबी रहती हैं या ऐसी मिट्टी/भूजल के संपर्क में होती है या उसमें दबी होती है जो अक्रामक नहीं होती (नॉन एग्रेसिव सोइल) हैं। ऐसी पर्यावरणीय परिस्थितियों में आईएस कोड 6.1.2 और तालिका 5 के अनुसार पीसीसी और आरसीसी के लिए न्यूनतम ग्रेड क्रमशः एम–15 और एम–25 होना चाहिए। तथापि, एनीकट के निर्माण के लिए ठेकेदार द्वारा राशि ₹ 5.97 करोड़ के 29321.04 घन मीटर पीसीसी (एम–10) कार्य तथा राशि ₹ 1.90 करोड़ के 6644.26 घन मीटर आरसीसी (एम–20) कार्य निष्पादित किये गए। इस प्रकार, पीसीसी और आरसीसी कार्यों के लिए क्रमशः एम–15 और एम–25 की आवश्यकता के विपरीत, आईएस 456:2000 में दिए गए मानकों के विपरीत निम्न श्रेणी के कंक्रीट कार्य निष्पादित किए गए।

➢ ***कंक्रीट कार्य के निष्पादन में स्टैण्डर्ड कॉम्प्रेस्सिव स्ट्रेंथ की आवश्यकता का अनुपालन न किया जाना***

आईएस कोड 456:2000 में प्रावधान है कि एम–10 और एम–20 के निष्पादन की कॉम्प्रेस्सिव स्ट्रेंथ के स्वीकार्य मापदंड क्रमशः 130 किग्रा/सेमी^{2} तथा 240 किग्रा/सेमी^{2} होने चाहिए। ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्यो के एम–10 और एम–20 ग्रेड कंक्रीट के परीक्षण प्रतिवेदनों की जांच में यह पाया गया कि इन ग्रेडों के लिए प्राप्त कॉम्प्रेस्सिव स्ट्रेंथ क्रमशः 102.22 किग्रा/सेमी^{2} से 104.44 किग्रा/सेमी^{2} और 233.33 किग्रा/सेमी^{2} से 237.77 किग्रा/सेमी^{2} तक थी, जो उनके संगत स्वीकार्य मापदंड से कम थी और विभाग मानकों के अनुसार कार्य के निष्पादन की निगरानी करने में विफल रहा। इस प्रकार, सीमेंट कंक्रीट कार्य के निम्न विशिष्टियों के साथ कार्य के निष्पादन से संरचना की गुणवत्ता की उपेक्षा की गयी जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मई 2021 में एनिकट और स्तंभ की संरचनाएं क्षतिग्रस्त पाई गई। मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार, अंबिकापुर ने क्षतिग्रस्त संरचना की जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि गेट क्रमांक 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत नींव के बैठने के कारण एनिकट बॉडी और संरचना के स्तंभ क्षतिग्रस्त हो गए।

इंगित किये जाने पर, कार्यपालन अभियंता ने उत्तर में यह बताया (दिसंबर 2022) कि भारी बारिश के कारण स्तंभ, डायाफ्राम वाल एवं स्ट्रक्चर गेट क्षतिग्रस्त हो गए थे। कार्यपालन अभियंता ने आगे बताया कि एनीकट/व्यपवर्तन योजना के क्षतिग्रस्त हेडवर्क की मरम्मत के लिए ₹ 18.66 करोड़ का प्राक्कलन प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को प्रेषित गया था (सितंबर 2022), जिसे सितंबर 2023 तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था।

हालांकि 2018 से 2021 के दौरान सूरजपुर में औसत वर्षा के आंकड़े कार्यपालन अभियंता के उत्तर का समर्थन नहीं करते हैं। आगे अधीक्षण अभियंता ने जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया कि एनिकट बॉडी की दीवार और स्तंभ में क्षति का कारण नींव का धंसना और जल उबाल था तथा स्वीकृत डिजाइन के अनुसार निर्माण कार्य न किए जाने का भी पता चला, जबकि मुख्य अभियंता ने क्षति का कारण नींव का धंसना बताया। यह जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माण कार्य की निगरानी/पर्यवेक्षण की कमी को दर्शाता है।

इस प्रकार, विभाग द्वारा रेहर एनीकट की उपयोगिता सुनिश्चित किए बिना तथा निम्न गुणवत्ता वाले कंक्रीट कार्य के साथ निर्माण करना अविवेकपूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 28.02 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ।

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसंबर 2024)।

3.1.8.5 वार्षिक निरीक्षण पंजी का संधारण नहीं किया जाना

निर्माण विभाग नियमावली के खंड 8.016 के अनुसार, सिंचाई कार्यों का वार्षिक/आवधिक निरीक्षण विभिन्न अधिकारियों (मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता) द्वारा किया जाना है और कंडिका 8.017 के अनुसार, निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण कार्यों का एक चार वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसमें वर्षवार निरीक्षण किए जाने वाले कार्यों को दर्शाया जाएगा और सिंचाई कार्यों के वार्षिक/आवधिक निरीक्षण के परिणामों को निरीक्षण अधिकारी द्वारा संभाग स्तर पर बनाए गए वार्षिक निरीक्षण पंजी में दर्ज किया जाना चाहिए।

चयनित सभी 19 संभागों में अभिलेखों की जांच से पता चला कि विभिन्न अधिकारियों (मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता) द्वारा किए गए सिंचाई कार्यों के वार्षिक/आवधिक निरीक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार के अभिलेख का संधारण नहीं किया गया था। इस प्रकार, वार्षिक निरीक्षण पंजी का

संधारण न किए जाने के कारण, लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि नाबार्ड सहायता प्राप्त ऋण के माध्यम से निर्मित परिसंपत्तियों के आवश्यक संधारण एवं मरम्मत के विश्लेषण हेतु सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा आवधिक निरीक्षण किया जा रहा था।

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसंबर 2024)।

3.1.8.6 सिंचाई क्षमता की उपलब्धि

किसी सिंचाई परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित सिंचाई क्षमता का सृजन और उपयोग करना होता है। निर्मित सिंचाई क्षमता वह कुल क्षेत्र है जिसे परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात सिंचित किया जा सकता है। प्रत्येक परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में सिंचाई क्षमता सृजन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। परियोजनाओं के समग्र उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति महत्वपूर्ण थी।

नाबार्ड से ऋण प्राप्त करने का उद्देश्य, अपूर्ण/नई परियोजनाओं को पूर्ण करना तथा सिंचाई क्षमता सृजन करना था। सिंचाई परियोजनाओं के लिए नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त आरआईडीएफ ऋण के संबंध में चरणवार निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में सृजित सिंचाई क्षमता की स्थिति ***तालिका 3.1.7*** में दर्शाई गई है।

तालिका 3.1.7: नाबार्ड के अंतर्गत प्रस्तावित सिंचाई क्षमता सृजन के चरणवार लक्ष्य और उपलब्धियां (31 मार्च 2022 तक)

चरण	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण हो चुकी परियोजनाए	अपूर्ण परियोजनाएं	लक्षित सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)	निर्मित सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)	लक्षित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध सृजन का प्रतिशत
XVIII (2012–13)	02	02	00	813	813	100
XIX (2013–14)	19	15	04	7957	5882	74
XX (2014–15)	21	16	05	77940	54728	70
XXI (2015–16)	19	13	06	17252	12879	75
XXII (2016–17)	19	15	04	71383	70728	99
XXIII (2017–18)	17	06	11	8041	2365	29
XXIV (2018–19)	28	12	16	15489	3283	21
XXV (2019–20)	32	13	19	13750	1281	09
XXVI (2020–21)	21	2	19	7980	31	00
XXVII (2021–22)	7	0	7	1914	00	00
कुल योग	**185**	**94**	**91**	**222519**	**151990**	**68**

(स्त्रोतः प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि लक्ष्य केवल चरण XVIII (2012–13) और XXII (2016–17) में ही प्राप्त किया जा सका।

सिंचाई क्षमता निर्माण से संबंधित 20 संभागों में निष्पादित 39 अनुबंधों/कार्यों[11] की नमूना जाँच से पता चला कि 23 पूर्ण हो चुके कार्यों में से तीन पूर्ण हो चुके कार्यों में 1953 हेक्टेयर के लक्षित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध केवल 142 हेक्टेयर (07 प्रतिशत) सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया था। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विलंब के कारण छः कार्यों को अपूर्ण रूप से अंतिमिकरण किया गया और 8277 हेक्टेयर के लक्षित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध केवल 2450 हेक्टेयर (30 प्रतिशत) सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि दस अपूर्ण कार्यों में से नौ

[11] पूर्णः 23, अपूर्ण अंतिमः 06, अपूर्णः 10

में 28,499 हेक्टेयर के लक्षित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध 15,268 हेक्टेयर (54 प्रतिशत) सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया था। विवरण ***तालिका 3.1.8*** में दिखाए गए है।

तालिका 3.1.8: भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विलंब के कारण सिंचाई क्षमता का कम/सृजन न होना

(सिंचाई क्षमता हेक्टेयर में और व्यय ₹ करोड़ में)

कार्यों की संख्या	व्यय	निर्धारित किया गया सिंचाई क्षमता	सृजित सिंचाई क्षमता	सिंचाई क्षमता का कम/नहीं सृजित किया जाना	सृजित सिंचाई क्षमता (प्रतिशत में)	कार्य की स्थिति
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विलंब और अन्य तकनीकी कारणों से सिंचाई क्षमता का शून्य/कम सृजन						
09	344.02	28499	15268	13231	54	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया, वैधानिक स्वीकृति, कोविड–19 महामारी आदि के कारण अधूरा
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण न होने और नहर के प्रमुख घटकों का निष्पादन न होने के कारण कार्यों का अपूर्ण अंतिमीकरण						
06	36.00	8277	2450	5827	30	अपूर्ण अंतिमिकरण
कार्य/अनुबंध पूर्ण होने के बाद भी सिंचाई क्षमता का शून्य/कम सृजन						
03	40.12	1953	142	1811	07	पूर्ण

(स्त्रोतः संभागीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विलंब, वैधानिक स्वीकृति, कोविड–19 महामारी आदि के कारण नौ कार्य अपूर्ण रहे और विलंब की अवधि 32 महीने से नौ साल और तीन महीने तक थी, जिसके कारण ₹ 344.02 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही। आगे, छः कार्यों पर ₹ 36 करोड़ का व्यय हुआ तथा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विलंब तथा नहर के प्रमुख घटक का निष्पादन नहीं किये जाने एवं अन्य तकनीकी कारणों से ये सभी कार्य अपूर्ण रहे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ₹ 40.12 करोड़ के व्यय के उपरांत तीन कार्य पूर्ण हुए परन्तु नहर निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना परियोजना की अनियमित स्वीकृति एवं अन्य भूमि संबंधी प्रकरणों के कारण लक्षित सिंचाई क्षमता का सृजन नहीं किया जा सका ***(परिशिष्ट 3.1.2)।***

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.1.9 निष्कर्ष

नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त आरआईडीएफ निधि का निर्माण राज्य शासन को चल रही और अपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के लिए सहायता देने के उद्देश्य से किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के माध्यम से 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान स्वीकृत 60 परियोजनाओं में से केवल 15 परियोजनाएं ही पूर्ण हुईं और मार्च 2022 तक 45 परियोजनाएं अपूर्ण रहीं।

लेखापरीक्षा ने 39 कार्यों की नमूना जांच की और पाया कि विभिन्न कारणों से 15 कार्य अभी भी अपूर्ण हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण में विलंब, कोविड–19 के दौरान कार्य की धीमी प्रगति और नहर नेटवर्क में कमांड क्षेत्र का ओवरलैपिंग और अन्य मुद्दे आदि। परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब के कारण 36,776 हेक्टेयर की निर्धारित/प्रस्तावित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध 17,715 हेक्टेयर (48 प्रतिशत) की सिंचाई क्षमता की कम/सृजन नहीं हो पाया।

छत्तीसगढ़ शासन के आदेश (दिसंबर 2013) का उल्लंघन करते हुए, जल संसाधन विभाग के चार संभागों ने 2016–20 के दौरान ₹ 40.63 करोड़ के निविदा की अनुमानित लागत के साथ छः कार्यों के लिए निविदा जारी की थी और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा किए बिना कार्य का निष्पादन भी शुरू कर दिया था और भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरणों में देरी के कारण ये सभी कार्य अपूर्ण रहे (जून 2024)। कल्हामार व्यपवर्तन योजना के लिए नहर का कार्य नहीं करने के कारण शीर्ष कार्य के निर्माण पर किए गए ₹ 2.06 करोड़ का व्यय निरर्थक हो गया क्योंकि विगत 15 वर्षों से संरचना का उपयोग नहीं किया गया था और 262 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका। सूरजपुर ब्लॉक में रेहर नदी पर व्यपवर्तन योजना के लिए उपयोगिता सुनिश्चित नहीं करते हुए नहर के बिना वीयर (हेड वर्क) का निर्माण किया गया, जिससे ₹ 28.02 करोड़ का अपव्यय हुआ।

अरपा भैसाझार वृहद परियोजना में, लेखापरीक्षा ने पाया कि वन मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी, अंतर–राज्यीय मंजूरी और सीडब्ल्यूसी द्वारा डीपीआर की मंजूरी जैसे आवश्यक वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने से पूर्व ही काम शुरू कर दिया गया था। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी के कारण परियोजना अधूरी रह गई, सीडब्ल्यूसी द्वारा अनुमोदित डीपीआर के अनुसार 386.90 किलोमीटर की निर्धारित की गई लंबाई में से केवल 329.46 किलोमीटर लंबाई की नहर का निर्माण पूरा हो पाया। इसके अलावा, काम शुरू होने के 10 साल से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी नहर का काम पूरा न होने के कारण निर्धारित की गई सिंचाई क्षमता प्राप्त नहीं की जा सकी।

3.1.10 अनुशंसाएं

- ***परियोजना की निर्धारित सिंचाई क्षमता को प्राप्त करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने का प्रयास किया जाना चाहिए।***
- ***परियोजना प्रारंभ करने से पूर्व नहर कार्य के लिए भूमि की उपलब्धता का आकलन/सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण करने के पश्चात् हेडवर्क और नहर कार्य की तकनीकी स्वीकृति समग्र रूप से प्रदान की जानी चाहिए।***
- ***परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब से बचने के लिए निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी वैधानिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जानी चाहिए।***

कृषि विकास, किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

3.2 पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना

3.2.1 प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा पूर्वी भारत के सात राज्यों[12] में ''चावल आधारित फसल प्रणाली'' की उत्पादकता को सीमित करने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए वर्ष 2010–11 में ''पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई)'' कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रमुख फसलों की उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना और पूर्वी भारत में चावल उत्पादन बढ़ाने के लिए जल क्षमता का सदुपयोग करना था।

प्रारंभ में, बीजीआरईआई में तीन व्यापक श्रेणियों के हस्तक्षेप शामिल थे, जिनके नाम हैं (i) ब्लॉक प्रदर्शन (ii) परिसंपत्ति निर्माण गतिविधियाँ जैसे कि चेक डैम, लघु सिंचाई टैंक और अन्य जल संसाधन विकास कार्य एवं (iii) सुविधा और लागत प्रभावशीलता के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण में कृषि प्रयोजनों के लिए सिंचाई चैनलों/बिजली के निर्माण/नवीनीकरण जैसे छोटे कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए साइट–विशिष्ट गतिविधियाँ। वर्ष 2013–14 में, फसल कटाई के बाद प्रबंधन को किसानों को उनके उत्पादों के लिए विपणन समर्थन प्रदान करने के लिए एक हस्तक्षेप के रूप में शामिल किया गया था। बीजीआरईआई को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक उप–योजना के रूप में लागू किया गया था। वर्ष 2021–22 में, भारत सरकार द्वारा बीजीआरईआई उप–योजना को वर्ष 2021–25 की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) में समाहित किया।

3.2.2 संगठनात्मक संरचना

बीजीआरईआई योजना को राज्य स्तर पर मुख्य नियंत्रण अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/संयुक्त सचिव के समग्र नियंत्रण में कृषि विभाग द्वारा लागू किया जाता है, जबकि संचालक, कृषि राज्य स्तर पर विभाग के कार्यात्मक प्रमुख होते हैं। संचालक, कृषि को अपर संचालक, कृषि, संयुक्त संचालक, कृषि संभागीय स्तर पर और उप संचालक, कृषि जिला स्तर पर सहायता प्रदान करते हैं। विभाग की संगठनात्मक संरचना का **चार्ट 3.2.1** में दर्शाया गया है।

---

[12] असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

चार्ट 3.2.1: कृषि विभाग की संगठनात्मक संरचना

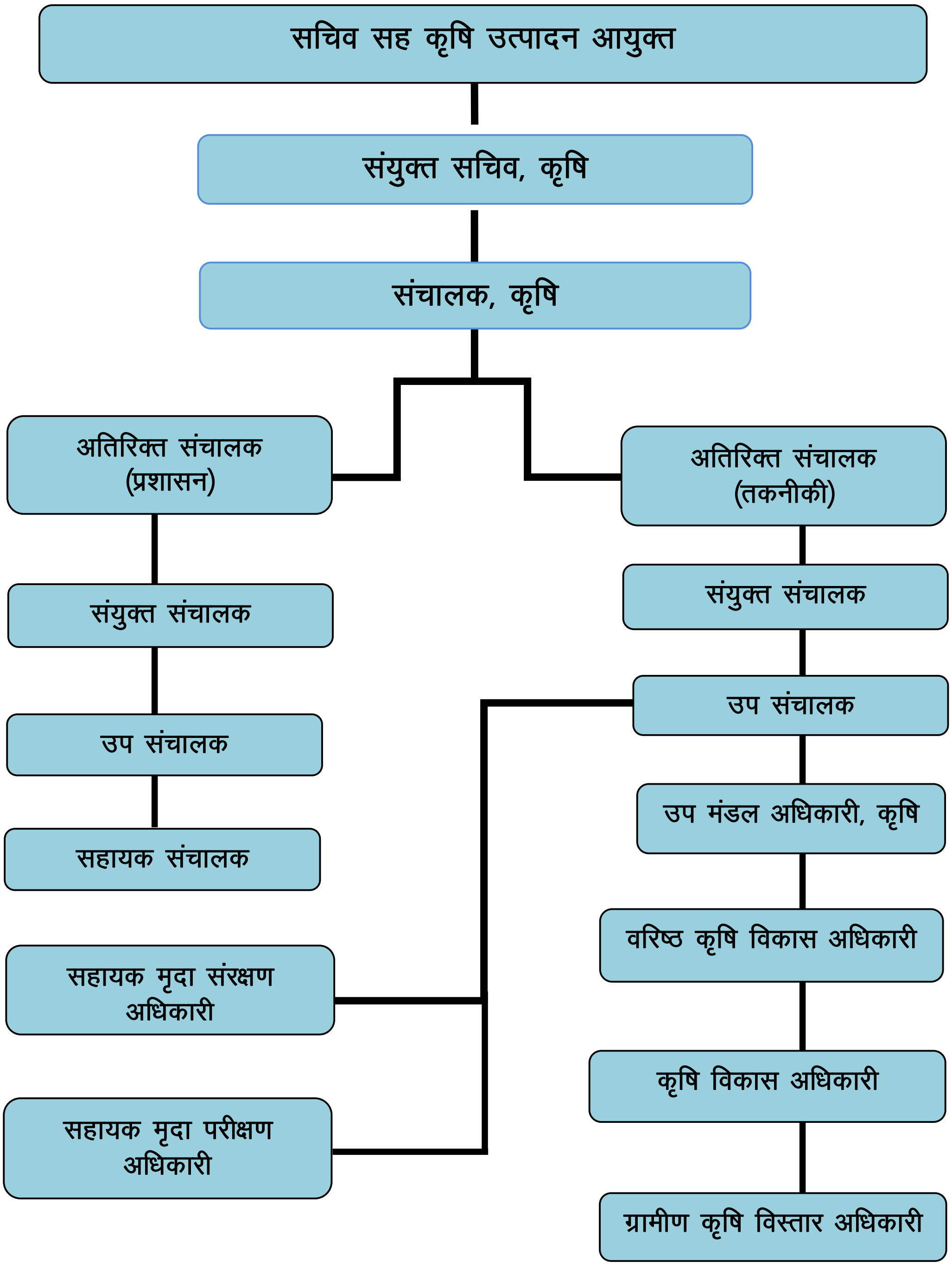

3.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

बीजीआरईआई की अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आक्कलन करना था किः–

- क्या बीजीआरईआई योजना भारत सरकार के योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन में एक योजनाबद्ध तरीके से लागू की जा रही थी;
- क्या योजना के अंतर्गत विभिन्न हस्तक्षेप जैसे कि ब्लॉक प्रदर्शन, परिसंपत्ति निर्माण, स्थल विशेष गतिविधियाँ एवं विपणन समर्थन सहित फसल कटाई के बाद प्रबंधन कुशलता और प्रभावी ढंग से किए गए थे;
- क्या विभाग द्वारा निधि जारी की गई थी, लेखांकित की गई थी और आर्थिक रूप से उपयोग किया गया था और योजना की निगरानी/मूल्यांकन की गई थी।

3.2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निम्नलिखित मानदंडों के विरूद्ध मापे गए थेः

- बीजीआरईआई योजना दिशानिर्देश 2015;
- केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश;
- राज्य स्तरीय संचालन समिति, जिला स्तरीय संचालन समिति, राज्य कार्य योजना, जिला कार्य योजना की कार्यवाही;
- केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तकनीकी समर्थन की वार्षिक निगरानी रिपोर्ट, राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी टीम की रिपोर्ट, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन;
- राज्य स्तरीय एजेंसियों द्वारा प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन और मूल्यांकन अध्ययन, व्यापक राज्य कृषि योजना।

3.2.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

बीजीआरईआई की अनुपालन लेखापरीक्षा वर्ष 2017–22 की अवधि के लिए की गई थी। यह योजना राज्य के 28 जिलों में से 14 में कार्यात्मक थी। इन 14 में से आठ जिलों[13] का चयन सरल यादृच्छिक नमूनाकरण बिना प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से किया गया था। कृषि संचालनालय के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए चुने गए जिलों में उप संचालक, कृषि और सहायक मृदा संरक्षण कार्यालय की कार्यान्वयन इकाई शामिल थी। मसौदा प्रतिवेदन फरवरी 2023 में राज्य सरकार को भेजी गई थी। प्रतिवेदन पर शासन का उत्तर जून 2023 में प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार के उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

[13] धमतरी, बालोद, कांकेर, बलरामपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, सूरजपुर और दुर्ग

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.6 राज्य कार्य योजना

3.2.6.1 राज्य कार्य योजना तैयार करना

बीजीआरईआई दिशानिर्देशों के खंड 9 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के आधार पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन का प्रावधान प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। इसके अलावा, दिशानिर्देशों के खंड 4.2.1 के अनुसार, राज्य संचालन समिति हर तिमाही में बैठक करेगी और बीजीआरईआई के कार्यान्वयन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालय और अन्य हितधारकों के परामर्श से राज्य कार्य योजना को अंतिम रूप देगी।

वर्ष 2021–22 को छोड़कर, वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हर साल राज्य कार्य योजना तैयार किया गया था, जैसा कि ***तालिका 3.2.1*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.1: राज्य कार्य योजना प्रस्ताव, अनुमोदन और राज्य संचालन समिति बैठकों का विवरण

वर्ष	भारत सरकार को राज्य कार्य योजना प्रस्तुत करने की तिथि	भारत सरकार द्वारा राज्य कार्य योजना के अनुमोदन की तिथि	राज्य संचालन समिति की बैठक की तिथि
2017–18	6.9.2017	25.10.2017	14.11.2017
2018–19	24.5.2018	06.06.2018	30.05.2018
2019–20	21.5.2019	29.05.2019	04.02.2020
2020–21	19.6.2020, 24.08.2020	23.06.2020, 28.08.2020	–
2021–22	–	–	–

(स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, त्रैमासिक बैठकों के स्थान पर वर्ष 2017–22 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य संचालन समिति की केवल तीन बैठकें आयोजित की गईं। इसके अलावा, बैठकें राज्य कार्य योजना भारत सरकार को प्रस्तुत करने के बाद आयोजित की गईं, जो दर्शाता है कि राज्य कार्य योजना भारत सरकार को प्रस्तुत करने से पहले राज्य संचालन समिति में चर्चा/अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020–21 में राज्य संचालन समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। इस प्रकार, भारत सरकार को योजना भेजने से पहले राज्य संचालन समिति की निर्धारित संख्या में बैठकें आयोजित न करने/देरी के कारण योजना को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक जिलेवार भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी समर्थन की समीक्षा और दिशानिर्देशों में परिकल्पित सभी हितधारकों की भागीदारी जैसे विभिन्न उपाय नही किए गए।

अनुमोदित कार्य योजना की जांच से पता चला कि राज्य कार्य योजना में शामिल लक्ष्य वर्ष 2017–21 की अवधि में कम हो गए, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.2.1*** में दर्शाया गया है।

- ➢ वर्ष 2018–21 की अवधि के दौरान चावल के प्रदर्शन क्षेत्र का भौतिक लक्ष्य 51 प्रतिशत[14] घटकर 49136 हेक्टेयर से 24157 हेक्टेयर रह गया।

---

14 (2017–18 का भौतिक लक्ष्य – 2020–21 का भौतिक लक्ष्य) *100/2017–18 का भौतिक लक्ष्य = (49136–24157)*100/49136) = 51 प्रतिशत

- प्रदर्शन में स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों के लिए निधि का आवंटन/प्रावधान बीजीआरईआई दिशानिर्देशों में निर्धारित 30 प्रतिशत के मानदंड के विरूद्ध 7 से 27 प्रतिशत तक रहा।
- वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक भारत सरकार द्वारा बीजीआरईआई के अंतर्गत विभिन्न हस्तक्षेपों जैसे कि बीजों का उत्पादन, बीजों का वितरण, पोषक तत्व प्रबंधन और परिसंपत्ति निर्माण में अनुमोदित लक्ष्यों में क्रमशः 60 प्रतिशत, 68 प्रतिशत, 33 प्रतिशत और 82 प्रतिशत की कमी आई, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.2.1*** में दर्शाया गया है।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि संचालक/सचिव, कृषि द्वारा आयोजित समीक्षा बैठकों के दौरान केंद्र एवं राज्य प्रायोजित दोनों योजनाओं के लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया गया और उपलब्धियों की बार–बार समीक्षा की गई। प्रदर्शनों के लिए लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और अधिकतम सीमा के भीतर समीक्षा बैठकों के दौरान जिलों की सिफारिशों के आधार पर तय किए गए थे। आगे, बताया गया कि राज्य संचालन समिति में नामित कुलपति ने राज्य कृषि विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया और इस प्रकार राज्य संचालन समिति स्तर पर आवश्यक हितधारकों को शामिल किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि जिला स्तर पर प्रस्ताव की प्राप्ति दर्शाने वाले अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, यह पाया गया कि राज्य कार्य योजना को सचिव द्वारा जिला स्तर के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य संचालन समिति के सभी हितधारकों को शामिल किए बिना अंतिम रूप दिया गया था, जैसा कि दिशानिर्देशों में परिकल्पित किया गया था।

3.2.7 कार्यक्रम का कार्यान्वयन

कार्यक्रम में हस्तक्षेप की चार व्यापक श्रेणियां शामिल थीं, अर्थात; (i) चावल और गेहूं का ब्लॉक प्रदर्शन (ii) जल संरक्षण और उपयोग से युक्त परिसंपत्ति निर्माण गतिविधियाँ (iii) कृषि उद्देश्यों के लिए सिंचाई चैनलों/बिजली आपूर्ति के निर्माण/नवीनीकरण जैसे छोटे कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए साइट विशिष्ट गतिविधियाँ और (iv) कटाई के बाद का प्रबंधन।

3.2.7.1 ब्लॉक प्रदर्शन

इस योजना के अंतर्गत ब्लॉक प्रदर्शन एक प्रमुख घटक/हस्तक्षेप है, जिसके लिए 40 प्रतिशत निधि आबंटित की गई है। चावल के लिए विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों में चावल गहनता प्रणाली, प्रत्यक्ष बीजित चावल, हाईब्रिड चावल प्रौद्योगिकी, लाइन ट्रांसप्लांटिंग, स्ट्रेस टालरेन्स और प्रथाओं का बेहतर उपयोग शामिल है। विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों के अंतर्गत लक्ष्यों और उपलब्धियों की स्थिति ***परिशिष्ट 3.2.2*** में दी गई है। कुल चावल प्रदर्शनों का कम से कम 30 प्रतिशत क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण के अंतर्गत आयोजित किया जाना आवश्यक था।

3.2.7.1 (i) चावल के प्रदर्शन क्षेत्र में कमी

वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान राज्य में बीजीआरईआई योजना के अंतर्गत चावल एवं गेहूं क्षेत्र प्रदर्शन के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धि की स्थिति **तालिका 3.2.2** में दी गई है:

तालिका 3.2.2: वर्ष 2017–21 के दौरान राज्य में चावल एवं गेहूं के प्रदर्शन का लक्ष्य और उपलब्धि

वर्ष	चावल				गेहूं			
	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि
	(हेक्टेयर में)		(₹ करोड़ में)		(हेक्टेयर में)		(₹ करोड़ में)	
2017–18	49136	49136	44.42	44.42	6620	5533	4.97	3.62
2018–19	25205	25205	26.53	26.53	9211	9211	8.29	8.29
2019–20	28679	28579	31.58	31.58	10961	10961	9.86	9.86
2020–21	24157	24159	27.54	18.16	9561	9561	8.60	7.75
2021–22	0	0	0	0	0	0	0	0

(स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चावल के प्रदर्शन क्षेत्र का भौतिक लक्ष्य वर्ष 2017–18 में 49,136 हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2020–21 में 24,157 हेक्टेयर (51 प्रतिशत) रह गया। इस अवधि के दौरान चावल के लिए वित्तीय परिव्यय भी ₹ 44.42 करोड़ से घटकर ₹ 27.54 करोड़ (38 प्रतिशत) रह गया। इसके अलावा, यह पाया गया कि वर्ष 2017–18 की तुलना में वर्ष 2019–20 में गेहूं के प्रदर्शन क्षेत्र में 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार, वर्ष 2017–20 के दौरान गेहूं के प्रदर्शन के लिए वित्तीय आबंटन में पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि की गई। वर्ष 2021–22 के दौरान योजना के अंतर्गत कोई आबंटन नहीं किया गया।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि भारत सरकार के आदेश द्वारा प्रदान की गई हस्तक्षेपवार स्वीकृतियों के अनुसार व्यय किया गया था।

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय परिव्यय आम तौर पर कम हो गए थे जो दर्शाता है कि विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत चावल प्रदर्शन को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई थी।

3.2.7.1 (ii) अनुसूचित जातियों और महिला किसानों को प्राथमिकता दिए बिना लाभार्थियों का चयन

क्षेत्रों एवं लाभार्थियों की पहचान हेतु मानदंड के संबंध में बीजीआरईआई दिशानिर्देशों के खंड 12 के अनुसार, सामान्य, अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए विशेष घटक योजना और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए जनजातीय उपयोजना के लिए राज्य की आबादी में इन श्रेणियों के अनुपात के अनुसार निधि का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा, कम से कम 33 प्रतिशत धनराशि छोटे और सीमांत किसानों के लिए निर्धारित की जाएगी और कम से कम 33 प्रतिशत धनराशि का प्रावधान महिला किसानों के लिए किया जाएगा।

तदनुसार, योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन संबंधित श्रेणियों (सामान्य, एससी, एसटी और महिला किसानों) में उसी अनुपात में किया जाना आवश्यक है जैसा कि निधि आवंटन के संबंध में दिशानिर्देशों में उल्लिखित है।

इसके अलावा, दिशानिर्देशों के खंड 14.3 के अनुसार, चावल और गेहूं के प्रत्येक क्लस्टर प्रदर्शन का आकार कम से कम 100 हेक्टेयर होगा। प्रत्येक भाग लेने वाले किसान के लिए, कम से कम 0.4 हेक्टेयर एवं अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्र प्रदर्शन में शामिल किया जाएगा।

आठ चयनित जिलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 54,225 हेक्टेयर भूमि वाले कुल 68,828 किसानों को ब्लॉक प्रदर्शन के लिए चयनित किया गया था, जैसा कि ***तालिका 3.2.3*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.3: वर्ष 2017–21 के दौरान चयनित जिलों में ब्लॉक प्रदर्शन के लिए चयनित लाभार्थियों का विवरण

जिला	कुल चयनित किसान (संख्या में)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कुल अनुसूचित जाति किसान (संख्या में) (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कुल अनुसूचित जनजाति किसान (संख्या में) (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कुल महिला किसान (संख्या में) (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
धमतरी	9620	9209	543(5.64)	532.35	3252(33.8)	2901.71	790(8.21)	639.16
कांकेर	5750	3500	325(5.65)	175.00	2651(46.1)	1750.00	522(9.07)	315.00
बालोद	5929	6350	443(7.47)	468.00	1981(33.41)	1893.00	626(10.55)	520.00
कोंडागांव	2746	2300	30(1.09)	23.40	1992(72.54)	1680.00	305(11.1)	268.45
जगदलपुर	2160	2700	–	–	1684(77.96)	2106.00	276(12.77)	220.80
बलरामपुर	17938	15166	145(0.8)	86.00	15787(88)	12542.00	280(1.56)	229.00
सूरजपुर	20090	9700	581(2.89)	278.00	9235(51.48)	4385.00	236(1.17)	262.00
दुर्ग	4595	5300	328(7.13)	387.30	364(7.92)	398.10	336(7.31)	269.00
कुल	**68828**	**54225**	**2395(3.47)**	**1950.05**	**36946(53.67)**	**27655.81**	**3371(4.89)**	**2723.41**

(स्त्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि केवल 4.8 प्रतिशत महिला लाभार्थी किसानों को प्रदर्शन के लिए चयनित किया गया था। इसके अलावा, योजना में अनुसूचित जाति के किसानों का प्रतिनिधित्व केवल 3.5 प्रतिशत था, जो कुल जनसंख्या में उनके प्रतिनिधित्व (13 प्रतिशत) के अनुपात में नहीं था।

इस प्रकार, उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति और महिला किसानों की कम भागीदारी के कारण अनुसूचित जाति और महिला किसानों के लिए निर्धारित आवंटन प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग द्वारा छोटे और सीमांत किसानों से संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसलिए, डेटा के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार कुल निधि का आवश्यक 33 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों को आवंटित किया गया था।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि योजना को ग्राम पंचायतों की स्वीकृति के बाद लागू किया जा रहा है। व्यावहारिक रूप से 100 हेक्टेयर क्लस्टर प्रदर्शन में 30 प्रतिशत छोटे, सीमांत एवं महिला किसानों के पास खेती योग्य भूमि होना संभव नहीं है। इसलिए, यह मात्र संयोग था कि क्लस्टर प्रदर्शन में छोटे, सीमांत और महिला लाभार्थियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत के अनुपात में नहीं था।

तथ्य यह है कि अनुसूचित जाति एवं महिला किसानों का योजना के अंतर्गत पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। इसके अलावा, प्रदर्शन के लिए उठाए गए छोटे और सीमांत किसानों का डेटा भी विभाग द्वारा संधारित नहीं किया गया था।

3.2.7.1 (iii) स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों एवं क्रोपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण के अंतर्गत कवरेज

दिशानिर्देश के खंड 14.1 में चावल के लिए विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन जैसे कि चावल गहनता प्रणाली, प्रत्यक्ष बीजित चावल, हाईब्रिड चावल प्रौद्योगिकी, लाइन ट्रांसप्लांटिंग, स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों और प्रथाओं का बेहतर उपयोग (किस्म, पोषक तत्व प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन आदि) प्रदान किए गए हैं। चावल के प्रदर्शनों के लिए निर्धारित निधियों में से 30 प्रतिशत स्ट्रेस टालरेन्स किस्मो को बढ़ावा देने के लिए आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य को कुल चावल प्रदर्शनों का कम से कम 30 प्रतिशत क्रोपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण के अंतर्गत आयोजित करना चाहिए। इसका अर्थ है कि प्रदर्शनों को दूसरी फसल के रूप में गेहूं/मोटे अनाज/दलहन/तिलहन की खेती के माध्यम से चावल के परती क्षेत्रों का उपयोग करने के लिए भूमि के एक ही भूखंड पर फसल क्रम में आयोजित किया जाना है। स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों के लिए सहायता की स्वीकृत दर वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 7,500 प्रति हेक्टेयर और वर्ष 2018–21 की अवधि के लिए ₹ 9,000 प्रति हेक्टेयर थी।

स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों के प्रदर्शन के अंतर्गत वर्षवार निधि आवंटन ***तालिका 3.2.4*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.4: स्ट्रेस टालरेन्स प्रदर्शन के अंतर्गत निधि आवंटन का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सहायता के लिए मानदंड (₹ प्रति हेक्टेयर) (1)	क्लस्टर प्रदर्शन के अंतर्गत वित्तीय आवंटन (2)	स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों	
			वित्तीय आवंटन (3)	कॉलम 2 के संबंध में प्रतिशत
2017–18	7500	44.42	11.25	25.21
2018–19	9000	26.53	1.89	7.12
2019–20	9000	31.58	8.55	27.07
2020–21	9000	27.53	3.6	13.08
कुल		**130.06**	**25.29**	**19.44**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस अवधि के दौरान स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों के लिए किया गया आवंटन 7–27 प्रतिशत के मध्य था, जो दिशानिर्देशों में निर्धारित 30 प्रतिशत के मानदंड से कम था।

क्रोपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण: आठ चयनित जिलों में अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान पांच जिलों, अर्थात् धमतरी, बलरामपुर, सूरजपुर, बालोद और दुर्ग में 20 में से 15 अवसरों पर क्रोपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण के अंतर्गत चावल का प्रदर्शन 5.56 से 27.27 प्रतिशत तक था, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.2.3*** में दर्शाया गया है। इस प्रकार, क्रोपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण के अंतर्गत चावल प्रदर्शन के न्यूनतम 30 प्रतिशत के मानदंडों का पालन पांचों जाँचे गए जिलों में नहीं किया गया, हालांकि राज्य स्तर पर विभाग ने क्रोपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण के लिए लक्ष्य हासिल कर लिया।

शासन (जून 2023) ने स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों और क्रोपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण के बारे में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

इस प्रकार, विभाग द्वारा स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों और क्रोपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण के प्रदर्शन के संबंध में दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट मानदंडों का पालन नहीं किया गया।

3.2.7.2 *हाइब्रिड बीजों का उत्पादन एवं वितरण*

3.2.7.2 (i) हाइब्रिड बीजों के उत्पादन में कमी

बीजीआरईआई दिशानिर्देशों के खंड 16 के अनुसार, राज्य में किसानों के खेतों पर पिछले 10 वर्षों में प्रचलित किस्मों के बीजों के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी)/राज्य बीज निगम/राज्य द्वारा अधिकृत निजी कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत उच्च उपज देने वाली किस्मों (एचवाईवी) के लिए ₹ 2,000 प्रति क्विंटल और हाइब्रिड बीजों के लिए ₹ 10,000 प्रति क्विंटल की दर से सहायता प्रदान की जाएगी।

दस वर्षों से कम पुरानी किस्मों के बीज उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियाँ ***तालिका 3.2.5*** में दर्शायी गई हैं।

तालिका 3.2.5: दस वर्ष से कम पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन

वर्ष	घटक	लक्ष्य		उसी वर्ष मार्च तक लक्ष्य उपलब्धि	
		भौतिक (क्विंटल में)	वित्तीय (₹ करोड़ में)	भौतिक (क्विंटल में)	वित्तीय (₹ करोड़ में)
2017–18	हाइब्रिड चावल (₹ 5000 प्रति क्विंटल या 75 प्रतिशत)	3000	1.50	0	0.00
	प्रमाणित बीज चावल (₹ 1000 प्रति क्विंटल या 75 प्रतिशत)	40525	4.05	30051	2.41
2018–19	हाइब्रिड चावल (₹ 10000 प्रति क्विंटल या 75 प्रतिशत)	500	0.50	100	0.00
	प्रमाणित बीज चावल (₹ 2000 प्रति क्विंटल या 75 प्रतिशत)	14080	2.82	31343	2.61
2019–20	हाइब्रिड चावल (₹ 10000 प्रति क्विंटल या 75 प्रतिशत)	360	0.36	0	0.00
	प्रमाणित बीज (₹ 2000 प्रति क्विंटल या 75 प्रतिशत)	17940	3.59	53689	3.13
2020–21	हाइब्रिड चावल (₹ 10000 प्रति क्विंटल या 75 प्रतिशत)	0	0.00	0	0.00
	प्रमाणित बीज (₹ 2000 प्रति क्विंटल या 75 प्रतिशत)	17210	3.44	34133	1.90

(स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

वर्ष 2017–21 के दौरान 3,860 क्विंटल लक्ष्य के विरूद्ध केवल 100 (2.5 प्रतिशत) क्विंटल हाइब्रिड चावल बीज का उत्पादन किया गया तथा पांच में से चार वर्षों में हाइब्रिड चावल का उत्पादन शून्य रहा। वर्ष 2020–21 में हाइब्रिड बीजों का लक्ष्य घटकर शून्य हो गया, जो विभाग द्वारा पहल की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा यह भी देखा गया कि प्रमाणित बीजों के उत्पादन को हाइब्रिड बीजों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी गई, जबकि हाइब्रिड बीजों की उत्पादकता प्रमाणित बीजों की तुलना में अधिक थी।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि चूंकि हाइब्रिड बीजों का उत्पादन अत्यधिक तकनीकी है, इसलिए किसान हाइब्रिड बीजों का उत्पादन करने में संकोच करते हैं। हालांकि, राज्य के एचवाईवी बीज (प्रमाणित बीज) किसानों के बीच अधिक लोकप्रिय थे; इसलिए, मांग के अनुसार प्रमाणित बीजों का उत्पादन किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने राज्य कार्य योजना को स्वीकृति देते समय (जून 2020) हाइब्रिड बीज के उत्पादन पर जोर दिया था। हालांकि, विभाग और कार्यान्वयन एजेंसी (छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड) ने किसानों के खेतों में हाइब्रिड किस्मों के बीज उगाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक पहल नहीं की।

3.2.7.2 (ii) हाइब्रिड बीजों का वितरण

दिशानिर्देशों के खंड 15 के अनुसार, बीज उत्पादक एजेंसियाँ जैसे कि एनएससी/राज्य बीज निगम/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य द्वारा अधिकृत निजी कंपनियाँ चिन्हित जिलों में चावल और गेहूँ के उन बीजों का वितरण करेंगी जो 10 वर्षों से अधिक पुराने नहीं हैं। हाइब्रिड चावल के एचवाईवी बीज पर सहायता ₹ 100 प्रति किलोग्राम या लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, दी जाएगी। इसके अलावा, वर्ष 2020–21 के लिए आवंटन आदेश में भारत सरकार द्वारा निर्देश दिया गया था कि हाइब्रिड चावल के बीजों के वितरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(अ) बीजीआरईआई के अंतर्गत किसानों को हाइब्रिड बीज वितरण में कम उपलब्धि

वर्ष 2017–21 के दौरान 10 वर्षों से कम पुरानी किस्मों के बीजों के वितरण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति ***तालिका 3.2.6*** में दर्शाई गई है।

तालिका 3.2.6: दस वर्ष से कम पुरानी किस्मों का बीज वितरण

वर्ष	घटक	लक्ष्य		उपलब्धि	
		भौतिक (क्विंटल में)	वित्तीय (₹ करोड़ में)	भौतिक (क्विंटल में)	वित्तीय (₹ करोड़ में)
2017–18	हाइब्रिड चावल (₹ 5000 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत)	5000	2.50	5000	2.50
	प्रमाणित बीज चावल (₹ 1000 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत)	86050	8.61	86050	8.61
2018–19	हाइब्रिड चावल (₹ 10000 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत)	4632	4.63	1667	1.21
	प्रमाणित बीज चावल (₹ 2000 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत)	10000	2.00	54188	5.42
2019–20	हाइब्रिड चावल (₹ 10000 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत)	2000	2.00	613	0.61
	प्रमाणित बीज (₹ 2000 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत)	29480	5.90	67610	7.28
2020–21	हाइब्रिड चावल (₹ 10000 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत)	1284	1.28	1085	0.46
	प्रमाणित बीज (₹ 2000 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत)	28000	5.60	40279	3.54

(स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2017–18 को छोड़कर वर्ष 2017–21 की अवधि में हाइब्रिड बीजों के वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये। तथापि, वर्ष 2017–21 की अवधि में वितरित प्रमाणित बीजों की मात्रा उस घटक हेतु निर्धारित

लक्ष्य से 62 प्रतिशत अधिक थी। वर्ष 2018–19 में प्रमाणित बीजों का वितरण निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुआ। इस प्रकार, हाइब्रिड बीजों की तुलना में प्रमाणित बीजों के वितरण को वरीयता दी गई, जबकि फसल कटाई के परिणाम प्रमाणित बीजों की तुलना में हाइब्रिड बीज प्रदर्शन में अधिक उपज देते हैं।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि हाइब्रिड बीजों की तुलना में प्रमाणित बीजों की अधिक मांग के कारण प्रमाणित बीजों की आपूर्ति लक्ष्य से अधिक की गई। साथ ही, हाइब्रिड बीजों के प्रति किसानों में बढ़ती जागरूकता के कारण उन्होंने विभागीय योजनाओं के साथ–साथ अपने स्वयं के संसाधनों से भी हाइब्रिड बीजों की खरीद की।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2018–21 में हाइब्रिड बीजों के वितरण के लिए आवंटित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए यद्यपि भारत सरकार द्वारा हाइब्रिड बीजों के वितरण के लिए अधिक वरीयता देने के निर्देश दिये गये थे। इसके अलावा, जैसा कि उत्तर से स्पष्ट है, हाइब्रिड बीजों की मांग के बावजूद, किसानों ने अपने स्वयं के संसाधनों से बीज खरीदे, जबकि सरकार हाइब्रिड बीजों के वितरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी।

(ब) गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना अधिकृत एजेंसियों के बजाय निजी फर्मों से हाइब्रिड बीजों की अनियमित खरीद

विभाग ने जिले में योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रतिवर्ष लक्ष्य आवंटित करते हुए निर्देश दिए है कि बीज की सभी खरीद बीज निगम/मार्कफेड/प्राथमिक सहकारी समितियों से समय पर की जाए, ताकि आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण के बाद बुआई के मौसम से पहले किसानों को बीज उपलब्ध कराया जा सके।

उप संचालक, कृषि, सूरजपुर और जगदलपुर कार्यालयों के अभिलेखों की जांच से पता चला है कि वर्ष 2018–21 की अवधि के दौरान दोनों जिलों ने उपरोक्त अनुदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निजी स्थानीय फर्मों से क्रमशः 502 क्विंटल और 147 क्विंटल चावल के हाइब्रिड बीज खरीदे थे, जिसके लिए फर्म/किसानों को ₹ 0.61 करोड़ का अनुदान भुगतान किया गया था। किसानों को बीज वितरित करने से पहले निजी फर्मों से खरीदे गए हाइब्रिड बीजों की गुणवत्ता की जांच नहीं की गई थी।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि चूंकि बीज निगम, जगदलपुर एवं सूरजपुर ने बताया कि शासन द्वारा अधिकृत एजेन्सी अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड हाइब्रिड बीज की आपूर्ति करने के लिए सहमत नहीं है, इसलिए स्थानीय स्तर पर पंजीकृत निजी फर्म से बीज क्रय किया गया।

उत्तर से पता चलता है कि आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित किये बिना निजी फर्म से बीज खरीदने के कारण हाइब्रिड बीजों की खरीद और वितरण को मानकों के अनुसार सुनिश्चित नहीं किया गया था।

3.2.7.3 परिसंपत्ति निर्माण

3.2.7.3 (i) परिसंपत्ति निर्माण में अपर्याप्त व्यय से कृषि उपकरणों में तकनीकी प्रगति की पूर्ति नहीं होना

योजना दिशानिर्देशों के खंड 13.1 में कहा गया है कि विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए आवंटित कुल निधियों का 20 प्रतिशत परिसंपत्ति निर्माण हस्तक्षेपों (कृषि मशीनरी और सिंचाई उपकरणों) के लिए किया जाना चाहिए। वर्ष 2017–21 के दौरान परिसंपत्ति निर्माण पर किए गए निधि आवंटन और व्यय का विवरण ***तालिका 3.2.7*** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2.7: परिसंपत्ति निर्माण के लिए निधि आवंटन और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजना के अंतर्गत कुल आवंटन	परिसंपत्ति निर्माण पर आवंटन	परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय (उपलब्धि)	कुल आवंटन में परिसंपत्ति निर्माण के आवंटन का प्रतिशत	कुल आवंटन में परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय का प्रतिशत
चावल					
2017–18	111.05	21.01	15.10	18.92	13.60
2018–19	65.30	9.95	9.95	15.23	15.23
2019–20	78.95	11.85	11.85	15.01	15.01
2020–21	68.84	10.32	9.69	14.99	14.08
कुल	**324.14**	**53.13**	**46.59**	**16.39**	**14.37**
गेहूँ					
2017–18	7.25	1.45	0.08	20	1.08
2018–19	16.58	3.32	3.32	20	20.00
2019–20	19.73	3.95	3.95	20	20.00
2020–21	17.21	3.44	0.58	20	3.37
कुल	**60.77**	**12.16**	**7.93**	**20.01**	**13.05**
कुल योग	**384.91**	**65.29**	**54.52**	**16.96**	**14.16**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान चावल हस्तक्षेप घटक के अंतर्गत परिसंपत्ति निर्माण के लिए आवंटन 20 प्रतिशत के निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं किया गया था। यद्यपि, औसत निधि उपयोग 87 प्रतिशत था, वर्ष 2017–21 के दौरान योजना के अंतर्गत कुल आवंटन में से परिसंपत्ति निर्माण के लिए किया गया व्यय 13 से 15 प्रतिशत के बीच था जो कि दिशानिर्देशों के अनुसार 20 प्रतिशत के वांछित आवंटन से कम था। गेहूँ के लिए वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान आवंटन 20 प्रतिशत के निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया था। हालांकि, आवंटित निधि के विरूद्ध औसत निधि उपयोग 65 प्रतिशत था, कुल आवंटन में से व्यय क्रमशः वर्ष 2017–18 और 2020–21 में 1.08 प्रतिशत और 3.37 प्रतिशत था जो कि निर्धारित मानदंडों से बहुत कम था।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि भारत सरकार ने समय–समय पर राज्य सरकार के परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय में कमी और स्थल विशेष गतिविधियों पर व्यय में वृद्धि से संबंधित प्रस्तावों एवं उसी प्रकार से राज्य कार्य योजना को अनुमोदित किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समीक्षा किए गए किसी भी वर्षों (चावल के लिए वर्ष 2017–18 को छोड़कर) में परिसंपत्ति निर्माण हस्तक्षेप के लिए निधि का आवंटन मानदंडों को पूरा नहीं करता था और यहां तक कि इस आवंटन का विभाग द्वारा पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका।

3.2.7.3 (ii) उन्नत प्रौद्योगिकी–आधारित बिजली संचालित उपकरणों के बजाय मैनुअल उपकरणों का वितरण

बीजीआरईआई दिशानिर्देशों के खंड 18 के अनुसार, परिसंपत्ति निर्माण हस्तक्षेप में कृषि मशीनरी और कोनो–वीडर, मैनुअल/पावर स्प्रेयर आदि जैसे उपकरणों के लिए मानदंडों के अनुसार सहायता शामिल होगी।

छत्तीसगढ़ कृषि–यंत्रीकरण और सूक्ष्म सिंचाई निगरानी प्रक्रिया प्रणाली (चैम्प्स) (अप्रैल 2017) के माध्यम से वितरण की नई व्यवस्था के अनुसार, किसान जो योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उसे खुद या कृषि अधिकारियों की मदद से आवश्यक रूप से पंजीकृत होना है और ऑनलाइन मोड के माध्यम से बीज विकास निगम की वेबसाइट पर पंजीकृत विनिर्माण कंपनी/वितरक/अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से खरीदी करनी है। इसके अलावा, विभाग चैम्प्स के माध्यम से कृषि उपकरणों की खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार था।

संचालक, कृषि के कार्यालय में अभिलेखों की जांच से पता चला कि किसानों के लिए बीज ड्रिल, रोटावेटर, स्व–चालित धान ट्रांसप्लांटर, पावर नैपसैक स्प्रेयर, पावर वीडर, धान थ्रेशर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, लेजर लैंड लेवलर, पावर टिलर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, एमबी प्लो, लेवलर ब्लेड आदि जैसे बिजली संचालित उपकरणों की खरीद और वितरण के लिए वर्ष 2017–21 के दौरान किए गए ₹ 11 करोड़ के कुल वित्तीय आवंटन के मुकाबले केवल ₹ 0.88 करोड़ (8 प्रतिशत) का व्यय इस उद्देश्य के लिए किया गया था, जबकि इसी अवधि में ₹ 3.61 करोड़ (70 प्रतिशत) का व्यय चावल के संबंध में मैनुअल रूप से संचालित उपकरणों जैसे कोनो–वीडर, मैनुअल स्प्रेयर के लिए कुल लक्ष्य से अधिक था जैसा कि ***तालिका 3.2.8*** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2.8: बिजली संचालित और मैनुअल उपकरणों का वितरण

वर्ष	बिजली संचालित				मैन्युअल रूप से संचालित			
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय (₹ करोड़ में)	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय (₹ करोड़ में)	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय (₹ करोड़ में)	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय (₹ करोड़ में)
2017–18	5192	9.51	36	0.06	50000	3.00	94602	5.67
2018–19	0	0	0	0	17800	0.95	37990	2.19
2019–20	872	0.85	872	0.73	7750	0.78	7550	0.74
2020–21	503	0.64	231	0.09	3795	0.40	2325	0.14
कुल	**6567**	**11.00**	**1139**	**0.88**	**79345**	**5.13**	**142467**	**8.74**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

इस प्रकार, मैनुअल रूप से संचालित उपकरणों को बिजली संचालित उपकरणों पर प्राथमिकता दी गई थी और इसलिए, मैनुअल रूप से संचालित उपकरणों को अधिक संख्या में वितरित किया गया था, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.2.4*** में दर्शाया गया है, जो किसानों को चैम्प्स के माध्यम से बिजली संचालित कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभाग की नीति के विरूद्ध था।

इसके अलावा, आठ चयनित जिलों की जांच से पता चला कि उप संचालक, कृषि कार्यालयों ने कृषि उपकरणों की खरीद के लिए दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया था। चावल के संबंध में कृषि उपकरणों जैसे कोनोवीडर, मैनुअल नैपसैक स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर आदि की खरीद के लिए निर्धारित ₹ 8.92 करोड़ के लक्ष्यों में से केवल

₹ 1.95 करोड़ (22 प्रतिशत) खर्च किया गया था। इस प्रकार, जिला स्तर पर उपकरणों की खरीद में ₹ 6.97 करोड़ (78 प्रतिशत) की कमी थी।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि किसानों को बीजीआरईआई के अलावा अन्य योजनाओं से मैनुअल/बिजली संचालित उपकरण वितरित किए गए थे। इसके अलावा, नई प्रणाली (चैम्प्स) के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से बीज विकास निगम के माध्यम से बिजली संचालित उपकरणों का वितरण किया जाना था, लेकिन ऑनलाइन मोड के माध्यम से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण, जिला कार्यालयों के माध्यम से मैनुअल संचालित उपकरणों का वितरण किया गया था। इसके अलावा, राज्य में 80 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत थे और वे बिजली संचालित मशीनों में कम रुचि दिखाते हैं।

हालांकि, विभाग ने बिजली संचालित उपकरणों के वितरण का लक्ष्य हासिल नहीं किया क्योंकि बिजली संचालित उपकरणों की खरीद पर केवल आठ प्रतिशत व्यय किया गया था।

3.2.8 फसल कटाई के बाद प्रबंधन और विपणन सुविधाओं पर कम व्यय

बीजीआरईआई दिशानिर्देशों के खंड 13.1 के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन के लिए आवंटित कुल निधियों का पांच प्रतिशत विपणन सहायता और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, दिशानिर्देशों के खंड 20 के अनुसार, विपणन सहायता घटक सहायता के अंतर्गत उन गतिविधियों के लिए प्रदान की जाएगी जो खरीद में वृद्धि, भंडारण सुविधा के निर्माण, विपणन और मूल्य संवर्धन में मदद करेंगी। इन गतिविधियों में प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाओं का संवर्धन/निर्माण (सूखना, ग्रेडिंग, धान की पार बॉयलिंग और बैगिंग आदि) जिसमें फार्म स्तर का भंडारण, संस्था निर्माण, खरीद संचालन/विपणन के लिए लिंकेज शामिल है।

लेखापरीक्षा से पता चला कि राज्य सरकार ने वर्ष 2017–21 के दौरान विपणन सहायता और फसल कटाई के बाद प्रबंधन के अंतर्गत ₹ 15.23 करोड़ का आवंटन किया था। विपणन सहायता और फसल कटाई के बाद प्रबंधन पर किए गए निधि आवंटन और व्यय का विवरण ***तालिका 3.2.9*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.9: विपणन सहायता और कटाई उपरांत प्रबंधन के अंतर्गत निधि आवंटन और उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य कार्य योजना के अनुसार योजना के अंतर्गत आवंटित कुल निधि	राज्य कार्य योजना के अनुसार विपणन सहायता के अंतर्गत आवंटित निधि	राज्य कार्य योजना के अनुसार आवंटित निधि का प्रतिशत	विपणन सहायता के अंतर्गत किया गया व्यय	आवंटित निधि के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत
2017–18	118.30	5.55	4.69	5.55	100
2018–19	81.88	2.30	2.80	1.07	46.52
2019–20	98.68	3.94	3.99	1.79	45.43
2020–21	86.05	3.44	4.00	1.22	35.47
2021–22	0	0	0.00	0	0
कुल	**384.91**	**15.23**	**3.96**	**9.63**	**63.23**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान अनुमोदित राज्य कार्य योजना के अंतर्गत योजना के लिए आवंटित ₹ 384.91 करोड़ की कुल निधि में से केवल ₹ 15.23 करोड़ (3.96 प्रतिशत) विपणन सहायता और फसल कटाई के बाद प्रबंधन के लिए आवंटित किया गया था। इस प्रकार, विपणन सहायता और फसल कटाई के बाद प्रबंधन गतिविधियों के लिए ₹ 4.01 करोड़ (1.04 प्रतिशत) का कम आवंटन हुआ था।
- ₹ 15.23 करोड़ की आवंटित निधि के मुकाबले, वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान विपणन सहायता और फसल कटाई के बाद प्रबंधन गतिविधियों पर ₹ 9.63 करोड़ का व्यय किया गया था, जो दिशानिर्देशों में निर्धारित पांच प्रतिशत के मानदंडों के मुकाबले कुल निधि का केवल 2.5 प्रतिशत था।
- विपणन गतिविधियों के लिए ₹ 15.23 करोड़ की आवंटित निधि में से, विभाग द्वारा ₹ 9.63 करोड़ का व्यय किया गया था। जिनमें से, विभाग ने वर्ष 2017–22 अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (शीर्ष बैंक) को ₹ 9.27 करोड़ (96 प्रतिशत) की धनराशि सहकारी समितियों के लिए बीज और उर्वरकों के भंडारण के लिए गोदामों के निर्माण के उनके प्रस्ताव पर हस्तांतरित की थी। शेष धनराशि ₹ 2.28 करोड़ (15 प्रतिशत) को लघु चावल मिलों की खरीद के लिए जिला कार्यालयों को आवंटित की गई थी, जो वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान फसल कटाई के बाद प्रबंधन गतिविधियों से सीधे संबंधित थी।
- शेष निधियों के जारी न होने के कारण, वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान 182 मिनी चावल मिलों की खरीद के लिए जिला कार्यालय को आवंटित ₹ 2.28 करोड़ में से जिले द्वारा केवल ₹ 0.36 करोड़ व्यय 130 मिनी राइस मिलों की खरीद पर किया जा सका।

इस प्रकार, विभाग ने इस योजना के अंतर्गत राज्य में कटाई उपरांत प्रबंधन और विपणन सुविधाओं का पर्याप्त विकास नहीं किया, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए आवंटित कुल धनराशि के पांच प्रतिशत से भी कम धनराशि निर्धारित की गई थी।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान एपेक्स बैंक को दिए गए 85 गोदामों के निर्माण के लक्ष्य में से 68 गोदामों को पूरा किया गया और सोसायटी अपनी आवश्यकता के लिए उनका उपयोग कर रही हैं। आवंटन का पुनर्वैधीकरण न होने के कारण अभी तक 17 गोदामों का निर्माण शुरू नहीं हुआ था।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कटाई उपरांत प्रबंधन और विपणन सुविधाओं पर आवंटन दिशानिर्देशों में निर्धारित निर्दिष्ट प्रतिशत के अनुरूप नहीं था।

3.2.9 योजना के अंतर्गत उत्पादन/उत्पादकता की स्थिति

3.2.9.1 योजना के अंतर्गत उत्पादकता की स्थिति

इस कार्यक्रम का लक्ष्य नवीनतम फसल तकनीकों को अपनाते हुए पूर्वी भारत में चावल के उत्पादन को बढ़ाना है। वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान राज्य में बीजीआरईआई योजना के अंतर्गत चावल और गेहूँ के लिए प्रदर्शन के अंतर्गत लिया गया क्षेत्र, उत्पादन और संबंधित उत्पादकता को ***तालिका 3.2.10*** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2.10: बीजीआरईआई योजना के अंतर्गत उत्पादकता की स्थिति

वर्ष	बीजीआरईआई के अंतर्गत क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में	उत्पादन हजार मीट्रिक टन में	उत्पादकता किग्रा/हेक्टेयर	उत्पादकता में प्रतिशत वृद्धि
चावल				
2016–17	1914.28	4381.98	2289	.
2017–18	1915.00	2635.32	1376	(–)39.89
2018–19	1971.57	3807.41	1931	40.33
2019–20	1967.04	4248.30	2160	11.85
2020–21	1951.33	4721.56	2420	12.03
गेहूँ				
2016–17	88.61	135.37	1528	.
2017–18	83.05	116.87	1407	(–) 7.91
2018–19	88.43	148.57	1680	19.40
2019–20	98.21	111.12	1131	(–)32.67
2020–21	128.92	217.17	1685	48.98

(स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–21 के दौरान राज्य स्तर पर चावल और गेहूँ का उत्पादन मामूली रूप से बढ़ा। इसके अलावा, वर्ष 2017–18 के दौरान चावल की उत्पादकता में कमी आई जबकि पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2017–18 और 2019–20 में गेहूँ की उत्पादकता में कमी आई। वर्ष 2020–21 में 2017–18 की तुलना में 14 जिलों में से पांच जिलों[15] में चावल की जिला स्तर की उत्पादकता 0.47 प्रतिशत और 16.04 प्रतिशत के बीच घट गई, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.2.5*** में दर्शाया गया है।

इसके अलावा, राज्य में बीजीआरईआई योजना के कार्यान्वयन के बाद भी, चावल और गेहूँ (किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) की उत्पादकता इन फसलों की राष्ट्रीय उत्पादकता से बहुत कम थी, जैसा कि ***तालिका 3.2.11*** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2.11: राष्ट्रीय औसत की तुलना में चावल और गेहूँ की उत्पादकता

वर्ष	फसलों का नाम	क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)	उत्पादन (हजार मीट्रिक टन)	प्रति हेक्टेयर उपज (राष्ट्रीय औसत) (किग्रा/हेक्टेयर में)	उत्पादकता (राज्य) (किग्रा/हेक्टेयर में)	उत्पादकता में कमी (किग्रा/हेक्टेयर में)	राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्पादकता में कमी का प्रतिशत
2017–18	चावल	3711.48	4725.54	2576	1967	609	23.64
	गेहूँ	162.66	221.37	3368	1361	2007	59.59
2018–19	चावल	3817.00	6963.89	2638	1824	814	30.85
	गेहूँ	166.33	278.12	3533	1672	1861	52.67
2019–20	चावल	3876.13	7755.32	2722	2001	721	26.48
	गेहूँ	181.60	207.28	3440	1141	2299	66.83
2020–21	चावल	3903.92	8946.30	2717	2292	425	15.64
	गेहूँ	227.06	368.27	3521	1622	1899	53.93
2021–22	चावल	3899.34	8347.99	–	2141	–	–
	गेहूँ	219.68	274.88	–	1251	–	–

(स्त्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 और विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमान पर आधारित डेटा)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय उत्पादकता की तुलना में छत्तीसगढ़ में चावल (किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) की उत्पादकता में कमी थी, जो वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान चावल और गेहूँ के लिए क्रमशः 15 से 30 प्रतिशत और

[15] महासमुंद, जांजगीर–चांपा, सरगुजा, सूरजपुर और कोंडागांव

52 से 67 प्रतिशत के बीच थी। इसलिए, राज्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्पादकता की स्थिति उत्साहजनक नहीं थी।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि योजना का उद्देश्य बेहतर प्रौद्योगिकियों और उच्च उपज वाले इनपुट के साथ कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाना था। चूंकि राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित खेती पर निर्भर करती है, इसलिए खेती का उत्पादन या उत्पादकता भारी बारिश और सूखा से प्रभावित होती है। इसके अलावा, राज्य में कृषि भूमि की सिंचाई एक कृषि भूमि से दूसरी कृषि भूमि में पानी के प्रवाह द्वारा की जाती है, और इसलिए उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले इनपुट पानी के प्रवाह से बह जाते हैं जिससे उत्पादकता प्रभावित होती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उच्च उपज वाली हाइब्रिड बीज किस्मों के आवंटन को प्राथमिकता नहीं दी गई थी एवं जलवायु तनाव का सामना करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देश में निर्धारित स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रदान नहीं किया गया था।

3.2.10 वित्तीय प्रबंधन

बीजीआरईआई एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें भारत सरकार और राज्यों के मध्य वित्त पोषण का अनुपात क्रमशः 60:40 है तथा राज्य सरकार के बजट के माध्यम से निधियों को जारी किया जाता है। प्रत्येक राज्य कार्य योजना को राज्य के परामर्श से भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा/अनुमोदित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजनाओं को राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होगा। अनुमोदित राज्य कार्य योजना के अनुसार निधियों की आवश्यकता का विवरण, केंद्र और राज्य के हिस्से के रूप में प्राप्त निधि और वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान किए गए व्यय का विवरण ***तालिका 3.2.12*** में दर्शाया गया है:

3.2.10.1 वित्तीय परिव्यय और व्यय

वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान बीजीआरईआई योजना के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता और उपयोग **तालिका 3.2.12** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2.12: वित्तीय परिव्यय और व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य कार्य योजना के अनुसार स्वीकृत वित्तीय परिव्यय		प्रारंभिक शेष	वर्ष में जारी केंद्रीय हिस्सा	वर्ष में जारी राज्य का हिस्सा	वर्ष में कुल उपलब्धता	कुल व्यय	अंतिम शेष	निधि उपयोग का प्रतिशत
	केंद्र	राज्य							
2017–18	70.98	47.32	31.09	59.26	39.51	129.86	110.3	19.56	84.94
2018–19	49.13	32.75	19.56	56.49	37.66	113.71	54.31	59.40	47.76
2019–20	59.21	39.47	59.40	63.57	42.38	165.35	97.51	67.84[16]	58.97
2020–21	51.63	34.42	61.74	37.07	24.71	123.52	112.98	10.54	91.47
2021–22	0.00	0.00	10.54	0.00	0	10.54	7.16	3.37	67.93
कुल				**216.39**	**144.26**		**382.26**		

(स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

[16] अंतिम शेष 2019–20, ₹ 67.84 करोड़ – ₹ 6.10 करोड़ (2017–18 के अव्ययित शेष से भारत सरकार द्वारा निकाली गई धनराशि) = ₹ 61.74 करोड़

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- विभाग वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान संबंधित वर्षों में उपलब्ध निधियों का 47–91 प्रतिशत उपयोग कर सका।
- वर्ष 2017–18 के लिए जारी की गई निधियों में से, वर्ष 2020–21 तक ₹ 6.10 करोड़ (केंद्रांश और राज्यांश हिस्सेदारी) का उपयोग नहीं किया जा सका और इसे वर्ष 2020–21 के लिए जारी निधि में समायोजित किया गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017–18 के लिए स्वीकृत वित्तीय परिव्यय से ₹ 6.10 करोड़ की कटौती हुई।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंत में ₹ 3.37 करोड़[17] की अप्रयुक्त राशि अभी भी राज्य सरकार के पास शेष थी।
- भारत सरकार ने वर्ष 2020–21 के लिए अनुमोदित वित्तीय परिव्यय के अनुसार ₹ 14.56 करोड़ का केंद्रांश विमुक्त नहीं किया। तदनुसार, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ₹ 9.70 करोड़ का अपना अंश भी जारी नहीं किया गया। इस प्रकार, योजना के अंतर्गत ₹ 24.26 करोड़ की राशि कम विमुक्त हुई।
- वर्ष 2021–22 के दौरान, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के साथ बीजीआरईआई योजना के सम्मिलित किये जाने के कारण योजना के अंतर्गत कोई आवंटन प्रदान नहीं किया गया।
- आठ जिलों में जांच में यह पाया गया कि अवधि वर्ष 2017–22 के दौरान, जिलों द्वारा आवंटित निधि का केवल 69 से 88 प्रतिशत उपयोग किया जा सका।

इस प्रकार, विभाग ने वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए आवंटित निधि का पूरा उपयोग नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा वित्तीय परिव्यय में कमी आई और निधि कालातीत हो गई जिसने राज्य में योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि भारत सरकार द्वारा निधि जारी करने में विलंब के परिणामस्वरूप हस्तक्षेपों का कम निष्पादन और कार्यों को समय पर पूरा नही किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने आवंटित निधि की उपलब्धता के बावजूद उसका उपयोग नहीं किया और व्यय नहीं की गई धनराशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में शेष थी। विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी के कारण भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति में देरी हुई।

3.2.10.2 भारत सरकार के आदेशों के विरुद्ध कार्यालय व्यय पर ₹ 0.68 करोड़ का अनियमित व्यय

भारत सरकार ने राज्य को योजना की निगरानी और मूल्यांकन पर वर्ष 2017–18 के लिए कुल वित्तीय परिव्यय का एक प्रतिशत उपयोग करने की अनुमति दी थी (अक्टूबर 2017)।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि उपरोक्त आदेशों के अनुसार विभाग ने वर्ष 2017–18 के लिए संशोधित राज्य कार्य योजना में ₹ 1.18 करोड़ की राशि ''आकस्मिकता'' पर कुल आवंटन के एक प्रतिशत के लिए प्रावधान किया था, जिसे एसएलएससी द्वारा अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2017–18 में ''आकस्मिकता'' पर

---

[17] ₹ 3.37 करोड़ (वर्ष 2018–19 से संबन्धित अप्रयुक्त राशि ₹ 1.22 करोड़ और वर्ष 2019–20 से संबन्धित ₹ 2.15 करोड़)

व्यय के लिए स्वीकृत ₹ 1.18 करोड़ में से, वर्ष 2018–19 में इस उद्देश्य के लिए केवल ₹ 99.95 लाख जारी किए गए थे। जारी की गई राशि में से विभाग द्वारा वर्ष 2018–19 में ₹ 41.51 लाख, वर्ष 2019–20 में ₹ 55.91 लाख और वर्ष 2020–21 में ₹ 2.54 लाख व्यय किए गए। कुल व्यय में से ₹ 32.25 लाख (सितंबर–नवंबर 2018) बीजीआरईआई योजना की निगरानी और मूल्यांकन के लिए खर्च किए गए थे और शेष व्यय ₹ 67.70 लाख उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए कार्यालय व्यय जैसे स्टेशनरी, प्रिंटर टोनर आदि की खरीद पर किया गया था, जो कि अनियमित था।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि भारत सरकार ने राज्य कार्य योजना में 'आकस्मिकता' शीर्ष से व्यय को स्वीकृति दी थी और तदनुसार राशि 'निगरानी और मूल्यांकन', कार्यशालाओं और प्रशासनिक खर्चों पर व्यय किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसएलएससी ने अपनी बैठक में योजना की निगरानी और मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों को काम पर रखने के लिए राशि को स्वीकृति दी थी, न कि कार्यालय के खर्चों के लिए जिसके लिए विभाग के सामान्य बजट के माध्यम से निधि आवंटित की गई थी।

3.2.10.3 निजी फर्म को सूक्ष्म पोषक तत्व और मृदा सुधारकों की खरीद के लिए ₹ 0.42 करोड़ की सब्सिडी राशि जारी करना

योजना दिशानिर्देशों के खंड 17.1 और 17.2 के अनुसार, माइक्रो–न्यूट्रिएंट/संयंत्र संरक्षण उपायों की खरीद के लिए ₹ 500 प्रति हेक्टेयर या लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, की दर से सहायता प्रदान की जाएगी।

राज्य सरकार ने अप्रैल 2010 के अपने आदेश के अंतर्गत किसानों को उनकी जरूरतों के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों और मृदा सुधारकों की खरीद के लिए सब्सिडी देने की प्रक्रिया निर्धारित की थी। आदेश के अनुसार, किसानों को स्थानीय पंजीकृत डीलरों से सूक्ष्म पोषक तत्व खरीदने और मार्कफेड, नेफेड, इफको और कृभको जैसी सहकारी एजेंसियों के माध्यम से सब्सिडी का दावा करने की अनुमति दी गई थी। आदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि विभाग द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं खरीदे जाएंगे और सब्सिडी राशि पंजीकृत निजी विक्रेताओं के बजाय लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2017–18 में, उप संचालक, कृषि सूरजपुर ने निजी फर्मों से सीधे सूक्ष्म पोषक और मृदा सुधारक खरीदे थे और किसानों को वितरित किए थे और निजी फर्म को ₹ 0.42 करोड़ सब्सिडी का भुगतान किया था। इस प्रकार, किसानों को पंजीकृत डीलरों से सूक्ष्म पोषक तत्व खरीदने की अनुमति देने के बजाय, उप संचालक, कृषि ने इसे सीधे निजी एजेंसियों से खरीदा और किसानों के बजाय निजी एजेंसियों को सहायता की राशि हस्तांतरित की। यह राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन था।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि उप संचालक, कृषि सूरजपुर से स्पष्टीकरण मांगा गया था। उत्तर प्राप्त होने के बाद, योग्यता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और उसे नियत समय में लेखापरीक्षा को अलग से सूचित किया जाएगा।

3.2.11 शासन, निगरानी और मूल्यांकन

3.2.11.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में देरी

योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा केंद्रीय शेयर जारी करने के लिए स्वीकृति आदेश के अनुसार राज्य सरकार/नोडल कार्यान्वयन एजेंसी को धन उपयोग[18] पर प्रतिवेदन करना और उस वित्तीय वर्ष के अंत में जिसमें अनुदान जारी किया गया था निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था।

वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान निधि के उपयोग और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति ***तालिका 3.2.13*** में दर्शाया गया है:

तालिकाः 3.2.13: निधियों के उपयोग तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में विलंब

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आदेशों के अनुसार भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि	भारत सरकार को अंतिम उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	जारी की गई राशि	व्यय	भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में विलंब (महीनों में)
2017–18	1.4.2018	27.05.2021	118.30	112.20	38
2018–19	1.4.2019	28.04.2023	81.88	80.66	49
2019–20	1.4.2020	27.05.2021	98.68	96.54	14
2020–21	1.4.2021	28.04.2023	61.79	61.79	25

(स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि विभाग उस विशिष्ट वर्ष में योजना के लिए आवंटित धन का उपयोग नहीं कर सका, जिसका उपयोग बाद के वर्षों में किया गया था। परिणामस्वरूप, 2017–21 की अवधि के दौरान भारत सरकार को संबंधित वर्षों के अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में 14 से 49 महीने तक की अत्यधिक देरी हुई।

शासन (जून 2023) द्वारा लेखापरीक्षा कंडिका पर कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई।

3.2.11.2 राज्य और जिला स्तर पर निगरानी दल

योजना दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के अनुसार, कार्यक्रम की गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य के लिए राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी टीमों का गठन किया जाएगा। फसल के मौसम में टीम कम से कम एक बार राज्यों का दौरा करेगी और राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त को प्रतिवेदन सौंपेगी। इसके अलावा, खंड 5.2 के अनुसार, जिला कृषि अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय निगरानी टीम (डीएलएमटी) की स्थापना की जाएगी। फसल के मौसम में टीम तीन बार यानी एक फसल बुआई से पहले, दूसरा फसल काल के मध्य में, और तीसरा फसल कटाई के समय दौरा करेगा और संबंधित राज्य के कृषि संचालक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि हालांकि राज्य में राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी टीम का गठन किया गया था, तथापि, वर्ष 2017–18 को छोड़कर टीम की आवश्यक दौरा

[18] चालू वित्त वर्ष के दौरान नई परियोजनाओं/पुरानी चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मंजूरी देने वाले एसएलएससी के कार्यवृत्त प्राप्त होने पर भारत सरकार द्वारा राज्य को पहली किस्त के रूप में वार्षिक आवंटन का पचास प्रतिशत जारी किया जाएगा। पचास प्रतिशत की दूसरी और अंतिम किस्त जारी करने से पहले पिछले वित्तीय वर्ष तक जारी धन के 100 प्रतिशत खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र, पहली किस्त में जारी 60 प्रतिशत धन के उपयोग और प्रदर्शन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर विचार किया जाएगा ।

और फसल के मौसम में एक बार कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) को प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसी तरह, फसल के मौसम में बुआई से पहले मौसम के मध्य और कटाई के समय में जिला स्तरीय निगरानी टीम के दौरा और कृषि संचालक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की जानकारी अभिलेखों में नहीं पाया गया था।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा समय–समय पर विभिन्न योजनाओं की प्रगति और लक्ष्यों की समीक्षा की गई थी। जिला स्तर पर बीजीआरईआई सहित विभाग की प्रत्येक योजना की समीक्षा कलेक्टर द्वारा साप्ताहिक बैठकों में की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगरानी टीम के दौरा का अंतराल बीजीआरईआई दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था।

3.2.12 निष्कर्ष

भारत सरकार ने वर्ष 2021–25 की अवधि के लिए बीजीआरईआई उप–योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के साथ शामिल किया। राज्य संचालन समिति की बैठकें सभी हितधारकों को शामिल करके राज्य कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए निर्धारित आवृत्ति के अनुसार आयोजित नहीं की गई थीं। वर्ष 2018–21 की अवधि के दौरान चावल के प्रदर्शन क्षेत्र का भौतिक लक्ष्य 51 प्रतिशत कम हो गया। वर्ष 2017–21 के दौरान स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों के लिए राशि आवंटन 30 प्रतिशत की निर्धारित मानदंडों से कम 7–27 प्रतिशत के मध्य थी। प्रमाणित बीजों के उत्पादन को हाईब्रिड बीजों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी गई, जबकि हाईब्रिड बीजों की उत्पादकता प्रमाणित बीजों की तुलना में अधिक थी। हाईब्रिड बीजों की मांग और किसानों द्वारा उन्हें अपने संसाधनों से खरीदने के बावजूद, शासन वर्ष 2017–18 को छोड़कर वर्ष 2017–21 के दौरान हाईब्रिड बीजों के वितरण का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी।

उप संचालक, कृषि, सूरजपुर और जगदलपुर के कार्यालयों के अभिलेखों की जांच से पता चला है कि वर्ष 2018–21 की अवधि के दौरान दोनों जिलों ने बीजों की गुणवत्ता के सत्यापन के बिना निजी स्थानीय फर्मों से क्रमशः 502 क्विंटल और 147 क्विंटल चावल के हाइब्रिड बीज खरीदे थे, जिसके लिए फर्म/किसानों को ₹ 0.61 करोड़ का अनुदान भुगतान किया गया था।

योजना के अंतर्गत कुल आवंटन में से परिसंपत्ति निर्माण के लिए किया गया व्यय वर्ष 2017–21 के दौरान 13 से 15 प्रतिशत के बीच था, जो दिशानिर्देशों के अनुसार 20 प्रतिशत के वांछित आवंटन से कम था। परिसंपत्ति निर्माण में उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित बिजली संचालित उपकरणों के बजाय मैनुअल उपकरणों पर अधिक व्यय किया गया था। विभाग ने योजना के अनुसार अपने उत्पादों के लिए अच्छे मूल्य प्राप्त करने के लिए फसल कटाई के बाद प्रबंधन सुविधाएं और विपणन सहायता को पर्याप्त रूप से विकसित नहीं किया क्योंकि विपणन सहायता और फसल कटाई के बाद प्रबंधन के लिए पाँच प्रतिशत से भी कम राशि आवंटित की गई थी। वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान चावल और गेहूं के उत्पादन में क्रमशः 8 और 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई, हालांकि, चावल और गेहूं के लिए छत्तीसगढ़ की समग्र उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से क्रमशः 16 प्रतिशत और 54 प्रतिशत के कम थी। विभाग वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान उपलब्ध धन का 47–91 प्रतिशत उपयोग कर सका। वित्तीय वर्ष के भीतर निधियों का उपयोग न करने के कारण वर्ष 2020–21 में भारत सरकार और राज्य का हिस्सा ₹ 24.26 करोड़ कम जारी हुआ। वर्ष 2021–22 में निधियों का आवंटन नहीं किया गया था। अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान 14 से

49 महीने की देरी के साथ भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था। राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर निगरानी निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं था।

3.2.13 अनुशंसाएं

1. ***चावल और गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों और हाईब्रिड बीज किस्मों जैसी उच्च उपज तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।***
2. ***किसानों की आय बढ़ाने के लिए चावल परती क्षेत्रों को खेती के अंतर्गत लाने के लिए क्रोपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए।***
3. ***फसल कटाई के बाद के प्रबंधन का समर्थन करने के लिए, कृषि स्तर पर प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण सुविधाओं के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।***

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

3.3 एकीकृत बागवानी विकास मिशन का कार्यान्वयन एवं खरीद

3.3.1 प्रस्तावना

एकीकृत बागवानी विकास मिशन फलों, सब्जियों, जड़ व कन्द फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बांस इत्यादि उत्पादों से सम्मिलित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास की केन्द्रीय वित्त पोषित योजना है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार, विकास कार्यक्रमों के कुल परिव्यय के 60 प्रतिशत का योगदान देती है एवं राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत का योगदान दिया जाता है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना को वर्ष 2014 से छत्तीसगढ़ राज्य के 19 जिलों में लागू किया गया था, जिसे वर्ष 2020 में एक और जिले में बढ़ाया गया था। इस प्रकार, वर्तमान में यह योजना राज्य के 33 में से 20[19] जिलों में लागू है। छत्तीसगढ़ राज्य में योजना के अंतर्गत की जा रही प्रमुख गतिविधियां पौध सामग्री का उत्पादन और वितरण, सब्जी बीज उत्पादन, नये बगीचों की स्थापना, बागवानी का यांत्रिकीकरण, जल स्त्रोतों का निर्माण, संरक्षित खेती, जैविक खेती, समेकित फसलोपरांत प्रबंधन एवं बाजार के आधारभूत ढांचे का निर्माण हैं। बागवानी फसलों के अंतर्गत आच्छादित किया गया क्षेत्र 8.35 लाख हेक्टेयर (हे.) था जो कि कुल कृषि भूमि (57.12 लाख हे.) का 14.62 प्रतिशत तथा राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र (140.45 लाख हे.) का 5.95 प्रतिशत है।

3.3.2 संगठनात्मक संरचना

समग्र दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में मिशन की एक सामान्य परिषद है। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति, राज्य स्तर पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख करती है। छत्तीसगढ़ राज्य में संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, जो कि राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव हैं, मिशन संचालक के रूप में कार्य करते है और जिला मिशन समितियों के माध्यम से मिशन कार्यक्रमों को लागू करने के लिये जिम्मेदार हैं। जिला स्तर पर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में जिला मिशन समिति परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी के लिये जिम्मेदार है। जिला उद्यानिकी अधिकारी (उप संचालक उद्यान/सहायक संचालक उद्यान) जिला मिशन समिति के सदस्य सचिव हैं जो विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार हैं।

---

19 बालोद, बलौदा बाजार, बलरामपुर, बस्तर (जगदलपुर), बेमेतरा, बिलासपुर, दुर्ग, गरियाबंद, गोरेला–पेंड्रा–मरवाही, जशपुर, कबीरधाम, कोंडागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, सूरजपुर

राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर पर एकीकृत बागवानी विकास मिशन की संरचना और संगठन

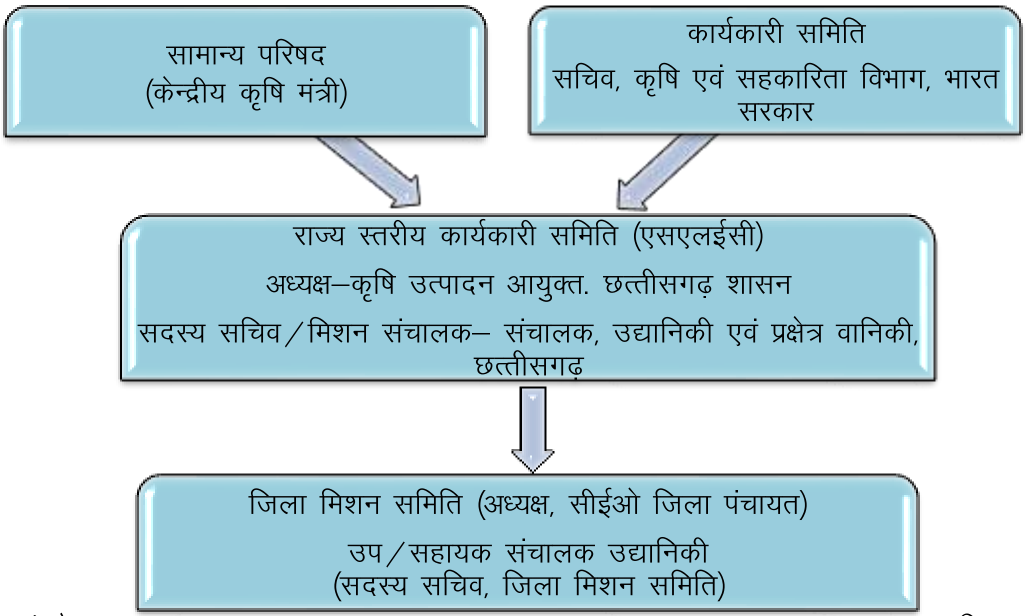

(स्त्रोतः मिशन संचालक राज्य बागवानी मिशन द्वारा प्रदत्त जानकारी एवं एकीकृत बागवानी विकास मिशन दिशानिर्देश)

3.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना का अनुपालन लेखापरीक्षा इस उद्देश्य के साथ किया गया था कि क्या:

- योजना के लिये नियोजन प्रभावी एवं पर्याप्त थी,
- बजट प्रावधान, निधियों की विमुक्ति और उपयोग पर्याप्त और प्रभावी था,
- चयनित योजनाओं को शासन द्वारा तय किये गए दिशानिर्देशों और मानदण्डों के अनुसार लागू किया गया था,
- खरीदी, योजना दिशानिर्देशों के साथ–साथ छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों के अनुरूप किया गया था।

3.3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

अनुपालन लेखापरीक्षा के लिये लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्त्रोतों से प्राप्त किये गए थे–

- भारत सरकार द्वारा जारी एकीकृत बागवानी विकास मिशन संचालन दिशा निर्देश, अप्रैल, 2014
- कृषि मशीनीकरण के उप मिशन दिशा निर्देश 2020–21
- छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता, छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता 2002 एवं छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित वर्ष 2020)
- शासन/विभाग द्वारा जारी परिपत्र एवं अधिसूचनाएं।

3.3.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

लेखापरीक्षा की अवधि वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक तीन वर्ष थी। अनुपालन लेखापरीक्षा अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान संपादित किया गया और इसमें 20 में से सात[20] जिलों को शामिल किया गया, जिन्हें प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति के आधार पर चयनित किया गया था। राज्य स्तर पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, रायपुर तथा सात जिलों में उप संचालक उद्यान/सहायक संचालक उद्यान के कार्यालयों को अनुपालन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया। प्रारूप प्रतिवेदन मई 2023 में राज्य सरकार को भेज दी गई थी। दिसम्बर 2024 तक उत्तर प्रतिक्षित है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.3.6 योजना

एकीकृत बागवानी विकास मिशन दिशानिर्देश के खंड 4.8 तथा कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश (दिसंबर 2014) के अनुसार बागवानी उत्पादन, क्षमता और मांग की स्थिति निर्धारित करने के लिये अलग–अलग क्षेत्रों/क्लस्टरों (जिला, उप–जिला या जिलों के समूह) के लिये आधारभूत सर्वेक्षण तथा व्यवहार्यता अध्ययन राज्य स्तरीय एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिये, ताकि तद्नुसार सहायता का आकलन/अनुकूलन किया जा सके। इसके अलावा, दिशानिर्देश के खंड 5.1 के अनुसार राज्य द्वारा एक परिप्रेक्ष्य/रणनीतिक योजना तैयार की जाएगी जो वार्षिक कार्य योजना की तैयारी का आधार बनेगी।

संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, रायपुर कार्यालय के अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि 2014–15 के दौरान किये गए आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिये एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई और भारत सरकार के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को प्रस्तुत (अप्रैल 2017) किया गया था। हालांकि, अगली परिप्रेक्ष्य योजना के लिये वार्षिक कार्य योजना (2017–19) में आधारभूत सर्वेक्षण का प्रावधान किया गया था किन्तु जनवरी 2023 तक इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में वार्षिक कार्य योजना की तैयारी में विभिन्न विसंगतियां पाई गई, जिनका विवरण ***तालिका 3.3.1*** में दिया गया है।

तलिका 3.3.1: परिप्रेक्ष्य योजना तथा वार्षिक कार्य योजना में लक्ष्य (2017–18 से 2021–22)

क्र स.	मद	इकाई	परिप्रेक्ष्य योजना में लक्ष्य	वार्षिक कार्य योजना में कुल लक्ष्य (2017–18 से 2021–22)	संशोधित वार्षिक कार्य योजना में कुल लक्ष्य (2017–18 से 2021–22)	वास्तविक उपलब्धि
लक्ष्य और उपलब्धि में गतिविधि/मदवार भिन्नता						
1	उच्च तकनीक बागान	संख्या	27	22	21	16
2	समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) का संवर्धन	हेक्टेयर	14500	1000	1000	1000
3	जैविक खेती	हेक्टेयर	25000	0	0	0
4	जैविक प्रमाणीकरण	संख्या	500	0	0	0

[20] बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, कोरबा, मुगेली, रायपुर राजनांदगांव

क्र स.	मद	इकाई	परिप्रेक्ष्य योजना में लक्ष्य	वार्षिक कार्य योजना में कुल लक्ष्य (2017–18 से 2021–22)	संशोधित वार्षिक कार्य योजना में कुल लक्ष्य (2017–18 से 2021–22)	वास्तविक उपलब्धि
लक्ष्य और उपलब्धि में गतिविधि/मदवार भिन्नता						
5	सामुदायिक तालाब	संख्या	101	70	79	96
6	पॉवर टीलर (8 एचपी एवं अधिक)	संख्या	850	100	100	22
7	पॉवर टीलर (8 एचपी से कम)	संख्या	0	1415	2331	1315
8	पॉवर स्प्रेयर	संख्या	0	2760	7843	4290
9	पॉवर वीडर	संख्या	0	1200	0	2239
10	पल्वराइजर	संख्या	0	186	0	647
11	पैक हाउस	संख्या	390	2100	2499	2479
12	प्रिजर्वेशन यूनिट	संख्या	802	3468	5187	4707
13	स्माल सोलर कोल्ड स्टोरेज	संख्या	337	0	0	0
14	वेजिटेबल एवं फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट	संख्या	8	0	0	0
15	सेंटर ऑफ एक्सीलेंस	संख्या	1	1	0	0

(स्त्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

एकीकृत बागवानी विकास मिशन दिशानिर्देशों के अंतर्गत, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार के लिये उत्कृष्टता केन्द्र (सीओईएक्स) तथा कोल्ड चेन अवसंरचना की स्थापना, जैविक खेती और प्रमाणन जैसी प्रमुख गतिविधियों की परिकल्पना की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपर्युक्त गतिविधियों को यद्यपि परिप्रेक्ष्य योजना में नियोजित किया गया था, लेकिन उन्हें या तो वार्षिक कार्य योजना में शामिल नहीं किया गया या कार्यान्वयन के लिये नहीं लिया गया, जो दिशानिर्देशों के विपरीत था, जिसके परिणामस्वरूप लक्षित गतिविधियों की उपलब्धि नहीं हुई। आईपीएम घटक में परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत 14,500 हे. के लक्ष्य को वार्षिक कार्ययोजना में 1,000 हे. के रूप में संशोधित कर दिया गया, जो परिप्रेक्ष्य योजना से विचलन को दर्शाता है।

इसके अलावा, उप संचालक उद्यान/सहायक संचालक उद्यान द्वारा मशीनीकरण घटक के अंतर्गत पल्वराईजर जैसी गतिविधियों पर निधि खर्च किये गए थे, जो न तो परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल थे और न ही वार्षिक कार्य योजना में शामिल थे जो नियोजित गतिविधियों में विचलन को इंगित करता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी नें उत्तर दिया (जनवरी 2023) कि भारत सरकार नें 2019–20 के बाद से जैविक खेती को अपनाने एवं प्रमाणन घटक के लिये कोई अनुमोदन नहीं दिया था। इसके अलावा, उत्कृष्टता केन्द्र के लिये प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि परिप्रेक्ष्य योजना में लक्षित किये गये जैविक खेती को अपनाने एवं प्रमाणन घटक को भारत सरकार से अनुमोदन हेतु प्रस्तावों के रूप में वार्षिक कार्य योजना 2017–21 में शामिल ही नहीं किया गया था, केवल पिछली परिप्रेक्ष्य योजना से आगे के कार्यों को किया गया था।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.7 वित्तीय प्रबंधन

3.3.7.1 केन्द्रीय एवं राज्य अंश का विमोचन और उपयोग

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के घटकों को भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन के निधियों का उपयोग करते हुए निष्पादित किया गया था। वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान योजनांतर्गत निधियों की आवश्यकता को 60:40 के अनुपात में भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा साझा की गई थी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में भारत सरकार द्वारा उस वर्ष के लिये संभावित वित्तीय परिव्यय को राज्य बागवानी मिशन को सूचित किया जाता है। तद्नुसार, राज्य सरकार धनराशि के अनुमोदन एवं विमुक्ति के लिये वार्षिक कार्य योजना को भारत सरकार को प्रस्तुत करती है। स्वीकृत निधि के केन्द्रीय एवं राज्य अंश प्रत्येक वर्ष राज्य बागवानी मिशन को जारी की गई थी। अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार निधियों की आवश्यकता, वर्ष 2019–22 की अवधि के दौरान भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निधि एवं राज्य बागवानी मिशन द्वारा किये गए व्यय को ***तालिका 3.3.2*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3.2: निधि की स्वीकृति एवं विमुक्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित निधि	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना कुल	भारत सरकार द्वारा जारी निधि भारत सरकार अंश	राज्य सरकार द्वारा जारी निधि भारत सरकार अंश	राज्य सरकार द्वारा जारी निधि छत्तीसगढ़ शासन अंश	राज्य सरकार द्वारा जारी निधि कुल	निधि की कम विमुक्ति	किया गया व्यय	वार्षिक कार्य योजना की तुलना में व्यय का प्रतिशत
2019–20	205.00	191.79	112.11	110.84	73.90	184.74	7.05	149.39	77.89
2020–21	215.66	215.66	107.48	105.45	70.30	175.75	39.91	173.35	80.38
2021–22	167.01	146.91	66.47	45.47	30.32	75.79	71.12	75.79	51.59
योग	**587.67**	**554.36**	**286.07**	**261.76**	**174.51**	**460.59**	**93.77**	**398.53**	**71.89**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2019–22 की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी धनराशि अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना की तुलना में हर साल धीरे–धीरे कम होती गई। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा उस वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त पूरी राशि एवं उसके समतुल्य राज्यांश जारी नहीं किया गया जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया है। वर्ष 2020–21 के वार्षिक कार्य योजना में भारत सरकार द्वारा ₹ 215.66 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। तथापि, वित्तीय वर्ष के अंत तक केवल ₹ 175.75 करोड़ ही जारी किये गए। वर्ष 2021–22 में वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत कुल ₹ 146.91 करोड़ के परिव्यय के तुलना में मात्र ₹ 75.79 करोड़ (51.89 प्रतिशत) की राशि विमुक्त की गई जिसका पूर्ण उपयोग कर लिया गया। भारत सरकार अंश के विरूद्ध ₹ 66.47 करोड़ की धनराशि जारी की गई, जिसमें से ₹ 35 करोड़ भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन जारी किए गए। भारत सरकार का शेष अंश ₹ 21.00 करोड़ तथा छत्तीसगढ़ शासन का तुलनात्मक अंश ₹ 14.00 करोड़ आगामी वित्तीय वर्ष में जारी किये गए (27 अप्रैल 2022)।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने उत्तर दिया (फरवरी 2023) कि भारत सरकार द्वारा ₹ 35.00 करोड़ की तीसरी किस्त स्वीकृत की गई थी (30 मार्च 2022) किन्तु यह 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार के खाते में प्रदर्शित नहीं हो रहा था।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.7.2 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता 2002 के पूरक नियम 53 के अनुसार अस्थायी अग्रिम का समायोजन अग्रिम स्वीकृत होने के तीन माह के भीतर किया जाना चाहिये।

संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के अभिलेखों की जांच से पता चला कि डीडीओ द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन कार्यान्वयन जिलों में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बागवानी प्रदर्शनियों, श्रमिक भुगतान, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन, लघु–निर्माण आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए अस्थायी अग्रिम दिए गए थे। हालांकि, यह पाया गया कि इन अग्रिमों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंत में समायोजन के लिए ₹ 5.36 करोड़ (***परिशिष्ट–3.3.1***) बकाया थे। इसमें से ₹ 3.87 करोड़ तीन महीने से अधिक समय (छह महीने से लेकर तीन साल तक) से बकाया थे और ₹ 1.49 करोड़ तीन साल से भी अधिक समय से बकाया थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 58 अवसरों पर, निधियों को समाप्त होने से बचाने के लिए वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹ 45 लाख का अग्रिम दिया गया। यह भी देखा गया कि पहले दिए गए अग्रिमों को समायोजित किए बिना एक ही कर्मचारी को नये अग्रिम दिए गए थे। इसके अलावा, 29 अग्रिमों की राशि ₹ 12 लाख ऐसे अधिकारियों के संबंध में बकाया थी, जो स्थानांतरित हो गए थे तथा पांच अग्रिमों में ₹ 19 लाख की राशि सेवानिवृत्त या लापता हो गए अधिकारियों के विरूद्ध बकाया थे। यह विभाग में अप्रभावी वित्तीय और आंतरिक नियंत्रण तंत्र को इंगित करता है। सहायक वाउचर के साथ इन अग्रिमों के समायोजन के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा व्यय की सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है और शासन को दुर्विनियोजन एवं हानि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग द्वारा ₹ 3.49 करोड़ की वसूली किया गया और उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि उसने अस्थायी अग्रिम के अनुदान के बारे में वित्त संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने और गैर–अनुपालन के मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के निर्देश जारी किए थे। इसके आगे कहा कि जिला अधिकारियों, जिनके द्वारा संचालनालय के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था उनके विरूद्ध कार्रवाई शुरू करने के लिए शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया है।

तथापि ₹ 1.87 करोड़ के अस्थायी अग्रिम अभी भी असमायोजित है।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.8 योजना का कार्यान्वयन

3.3.8.1 बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार में लक्ष्य की गैर–उपलब्धि

मिशन का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र के फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों आदि के चौमुखी विकास एवं बागवानी के अंतर्गत क्षेत्रफल का समग्र क्षेत्र विस्तार है। राज्य में बागवानी फसलों द्वारा आच्छादन किए गए कुल क्षेत्र एवं उत्पादकता की स्थिति ***तालिका 3.3.3*** में दर्शाई गई है।

तालिका 3.3.3: बागवानी फसलों का क्षेत्र और उत्पादन

(क्षेत्र हेक्टेयर में और उत्पादन लाख मीट्रिक टन में)

फसलों के प्रकार	2019–20			2020–21			2021–22		
	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता[21]	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता
फल	2,26,876	25.10	11.06	2,22,955	24.92	11.18	2,23,689	24.82	11.09
सब्जियाँ	5,25,147	71.59	13.63	4,89,271	68.68	14.03	4,93,373	68.70	13.93
मसाले	55,376	3.55	6.40	67,756	4.49	6.63	67,723	4.65	6.87
फूल	13,493	0.76	5.64	13,089	2.30	17.56	12,836	2.51	19.53
औषधीय और सुगंधित पौधे	8,957	0.59	6.60	3,520	0.22	6.30	5,305	0.33	6.29
रोपण फसलें	31,754	0.39	1.24	31,799	9.67	30.40	31,895	10.40	32.61
योग	**8,61,603**	**101.98**		**8,28,390**	**110.28**		**8,34,821**	**111.41**	

(स्त्रोतः विभाग द्वारा दी गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य में बागवानी फसलों द्वारा कवर किया गया कुल क्षेत्र वर्ष 2019–20 में 8,61,603 हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2021–22 में 8,34,821 हेक्टेयर हो गया। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि वार्षिक योजना के अंतर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों के विस्तार के लिए लक्षित कुल क्षेत्र को लक्ष्य के विरूद्ध पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया था, जो ***तालिका 3.3.4*** में दर्शित है।

तालिका 3.3.4: क्षेत्र विस्तार का लक्ष्य और उपलब्धि

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

फसलों के प्रकार	2019–20		2020–21		2021–22		कुल		उपलब्धि का प्रतिशत
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
फल	4,032	3,663	3,042	2,909	4,933	4,300	12,007	10,872	90.55
सब्जियाँ	10,289	9,396	6,690	6,153	6,250	6,063	23,229	21,612	93.04
मसाले	4,162	4,162	2,950	2,776	3,300	3,155	10,412	10,093	96.94
फूल	1,450	1,363	1,215	1,210	1,608	1,548	4,273	4,121	96.44
औषधीय और सुगंधित पौधे	100	36	100	40	100	0	300	76	25.33
रोपण फसलें	1500	1475	675	657	600	136	2775	2268	81.73
कुल	**21,533**	**20,095**	**14,672**	**13,745**	**16,791**	**15,202**	**52,996**	**49,042**	

(स्त्रोतः विभाग द्वारा दी गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2019–22 की अवधि के दौरान, विभाग पूरी तरह से क्षेत्र विस्तार के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। फलों, सब्जियों, मसालों और फूलों के संबंध में क्षेत्र विस्तार की कुल उपलब्धि 90 प्रतिशत से अधिक थी, जबकि औषधीय और सुगंधित पौधों का क्षेत्र विस्तार उनके संबंधित लक्ष्यों का केवल 25 प्रतिशत था।

---

[21] उत्पादकता – कुल उत्पादन/कुल क्षेत्र

संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि लक्ष्य के विरूद्ध क्षेत्र विस्तार की उपलब्धि औसतन 93.14 प्रतिशत थी, हालांकि, सुगंधित पौधों के क्षेत्र विस्तार की उपलब्धि कम थी क्योंकि इन फसलों को लगाने के लिए सहायता राशि केवल ₹ 12,000 प्रति हेक्टेयर है जबकि लागत बहुत अधिक है। राशि बढ़ाने के लिए भारत सरकार को एक सिफारिश भेजी गई है।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.8.2 मानव संसाधन की कमी

स्वीकृत मानव संसाधन की उपलब्धता एक विभाग द्वारा योजनाओं/कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन और निगरानी के लिए पहली आवश्यकता है। संचालनालय उद्यानिकी के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के कार्यान्वयन के लिए लगे हुए थे। राज्य के साथ ही साथ चयनित जिलों में तकनीकी कर्मचारियों जो उद्यानिकी विभाग में क्षेत्र पदाधिकारी हैं की मार्च 2022 की स्थिति में कमी को ***तालिका 3.3.5*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3.5: मानव संसाधन की स्थिति

(आंकड़े सख्या में)

पद	राज्य स्तर पर			चयनित जिलों पर		
	स्वीकृत	पीआईपी	कमी (प्रतिशत में)	स्वीकृत	कार्यरत	कमी (प्रतिशत में)
उप संचालक उद्यान/सहायक संचालक उद्यान	36	33	08	7	7	0
एसएचडीओ	117	71	39	29	17	41
एचडीओ	93	54	42	18	16	11
आरएचईओ	624	472	24	132	116	12

(स्त्रोतः विभाग द्वारा दी गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

एसएचडीओ–वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, एचडीओ– उद्यान विकास अधिकारी, आरएचईओ–ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी। पीआईपी–पद पर व्यक्ति

मार्च 2022 में राज्य स्तर पर उप संचालक उद्यान/सहायक संचालक उद्यान, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, उद्यान विकास अधिकारी और ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की कमी क्रमशः 08, 39, 42 और 24 प्रतिशत थी। नमूना जांच किये गये जिलों में वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, उद्यान विकास अधिकारी और ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की जनशक्ति में क्रमशः 41, 11 और 12 प्रतिशत की कमी देखी गई। राज्य और जिला स्तर पर सबसे अधिक कमी क्रमशः वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी और उद्यान विकास अधिकारी संवर्ग में थी।

राज्य में 20,551 गांव हैं, जिनमें केवल 472 ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी ही कार्यरत है। इस तरह प्रत्येक ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को एक समय में औसतन 44 गांवों के किसानों को संभालना पड़ता है।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन दिशानिर्देश (खंड 7.33) प्रावधान किया गया है कि किसानों, उद्यमियों, क्षेत्र स्तर के श्रमिकों और अधिकारियों को मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाएगा। किसानों को फसलों की उच्च उपज देने वाली किस्मों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित करने तथा कृषि प्रणालियों पर उचित प्रशिक्षण प्रदान करने, किसानों को नवीनतम प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी देने तथा राज्यों के भीतर और भारत के बाहर तकनीकी कर्मचारियों/क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के अध्ययन दौरे प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर तथा राज्य के बाहर एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान लाभार्थियों/किसानों को दिए गए विभिन्न प्रशिक्षणों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण निम्नलिखित ***तालिका 3.3.6*** में दिया गया है।

तालिका 3.3.6: वर्ष 2019–21 के दौरान दिए गए प्रशिक्षण का विवरण

प्रशिक्षण का प्रकार		भौतिक (संख्या में)			वित्तीय (₹ लाख में)		
		वार्षिक कार्य योजना के अनुसार लक्ष्य	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या	कमी (प्रतिशत)	वार्षिक कार्य योजना के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक व्यय	कमी (प्रतिशत)
मालियों के लिये प्रशिक्षण		2,600	2,551	49 (2)	426.92	418.87	8.05 (2)
किसानों को प्रशिक्षण	अ) राज्य के अंदर	10,538	8,756	1,782 (17)	316.14	238.49	77.65 (25)
	ब) राज्य के बाहर	351	351	0	24.57	24.57	0
किसानों का प्रभावन दौरा		229	229	0	16.03	16.02	0
तकनीकि कर्मचारी/क्षेत्र पदाधिकारियों का प्रशिक्षण/अध्ययन दौरा		14,050	7	14,043 (96)	42.15	0.02	42.13 (96)
कुल		**27,768**	**11,894**		**825.81**	**697.97**	

(स्त्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग के तकनीकी कर्मचारियों/क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण/अध्ययन दौरों के लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे अधिक कमी रही। राज्य बागवानी मिशन ने वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया। कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुमोदित ₹ 42.15 लाख के परिव्यय में से केवल ₹ 0.02 लाख ही व्यय किए गए। इस प्रकार, वार्षिक कार्य योजना में प्रस्ताव के बावजूद राज्य बागवानी मिशन ने क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण देने तथा अध्ययन दौरे आयोजित करने के लिए कदम नहीं उठाए।

संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि संचालनालय ने अतिरिक्त पद संरचना को मंजूरी देने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। रिक्त पदों को भरने और अतिरिक्त पदों के सृजन से राज्य में बागवानी योजनाओं का क्रियान्वयन और किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रभावी ढंग से मिल सकेगा। कोविड महामारी के प्रकोप, लॉकडाउन की स्थिति तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता के कारण सभी प्रकार के सामाजिक आयोजन प्रतिबंधित थे, तथा आवागमन भी प्रतिबंधित था, इसलिए इस अवधि में दौरा–प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां संचालित नहीं की गईं। इसके कारण इन घटकों में लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित हुई है।

दौरा प्रशिक्षण से संबंधित उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण (14,050) का लक्ष्य केवल वर्ष 2019–20 के लिए निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध कोविड काल से पहले के वर्ष में केवल सात अधिकारियों को ही प्रशिक्षित किया गया।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.8.3 शेड नेट हाउस का अनियमित निर्माण

एकीकृत बागवानी विकास मिशन दिशा–निर्देशों के खंड 7.25 के अनुसार, संरक्षित खेती के अंतर्गत शेडनेट हाउस, ग्रीन हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग आदि के निर्माण जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। एकीकृत बागवानी विकास मिशन दिशा–निर्देशों

के अनुलग्नक–V में उल्लिखित लागत मानदंडों के अनुसार, शेड नेट हाउस (ट्यूबलर स्ट्रक्चर) के निर्माण के लिए लाभार्थी को अधिकतम 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान (₹ 710 प्रति वर्ग मीटर) देय है। इस प्रकार, एक लाभार्थी ₹ 355 प्रति वर्ग मीटर की दर से अधिकतम ₹ 14.20 लाख की सब्सिडी पाने का हकदार है। इस प्रयोजन के लिए संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी की ओर से, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (बीज निगम) ने गुम्बद आकार शेड नेट हाउस (ट्यूबलर स्ट्रक्चर) के लिए ₹ 710 प्रति वर्ग मीटर की दर से चार[22] विक्रेता फर्मों/कंपनी के साथ दर अनुबंध किया था।

गुम्बद आकार शेडनेट हाउस का नमूना संरचना चित्रण

चयनित सात जिलों में अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया किः

(क) नमूना जांच किए गए सात जिलों में, वर्ष 2019–22 के दौरान 208 शेडनेट हाउस के निर्माण के लिए सब्सिडी के रूप में ₹ 20.98 करोड़ का व्यय किया गया (***परिशिष्ट 3.3.2***)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दर अनुबंध में अनुमोदित दर के 50 प्रतिशत की दर से सब्सिडी का भुगतान सहायक संचालक उद्यान/उप संचालक उद्यान द्वारा लाभार्थियों को प्रधान अन्वेषक, पीएफडीसी[23], आईजीकेवी[24] जैसे क्षेत्रीय पदाधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट और शेड नेट की स्थापना पर लाभार्थियों से संतुष्टि प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया था।

नमूना जांच वाले जिलों में भौतिक सत्यापन के दौरान, किसानों के खेतों में लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित सभी 36 शेडनेट हाउस, गुम्बद आकार शेडनेट के स्थान पर सपाट आकार के पाए गए। किसानों द्वारा निर्मित संरचना के लिए सम्पूर्ण राशि ₹ 710 प्रति वर्गमीटर की दर से विक्रेता को भुगतान की गई तथा विभाग द्वारा गुम्बद आकार शेडनेट के लिए किसानों को ₹ 355 प्रति वर्गमीटर की दर से अनुदान दिया गया। लाभार्थी और क्षेत्रीय अधिकारी विक्रेता द्वारा स्थापित किए जाने वाले शेडनेट हाउस की तकनीकी विशिष्टताओं से अनभिज्ञ थे क्योंकि उन्हें दर अनुबंध के साथ यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। परिणामस्वरूप, लाभार्थी और विभाग यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि विक्रेता द्वारा शेडनेट हाउस की स्थापना बीज निगम द्वारा किये गए दर अनुबंध के लिए अनुमोदित तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार थी। खुले बाजार में, सपाट

22 मैसर्स किशान एग्रोटेक, मैसर्स एम.बी. इंटरप्राइजेज, मैसर्स अन्नभूमि ग्रीनटेक, मैसर्स खेती बायोटेक

23 पीएफडीसी, – प्रिसिजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर,

24 आईजीकेवी – इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय

आकार शेड नेट हाउस की दर लगभग ₹ 300 से ₹ 500 प्रति वर्ग मीटर अर्थात गुंबद आकार शेड नेट की निर्धारित लागत का 50 से 70 प्रतिशत थी।

(ख) योजना के अंतर्गत स्थापित 36 शेडनेट हाउसों का लेखापरीक्षा दल द्वारा संबंधित सहायक संचालक उद्यान/उप संचालक उद्यान के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें निम्नलिखित कमियां पाई गईं।

- नौ संरचनाओं में निर्मित क्षेत्र का आकार, दावा किए गए देयकों में दर्शाये आकार से 650–2425 वर्ग मीटर के बीच कम था, इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.00 लाख की सब्सिडी का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.3.3*** में वर्णित है।
- 24 मामलों में सिंचाई प्रणाली काम नहीं कर रही थी,
- 17 मामलों में डबल दरवाजे का उपयोग करके एंटे रूम का निर्माण नहीं किया गया था,
- संरचनाओं में साइड सपोर्ट कॉलम नहीं पाया गया, जबकि मद के राशि का देयक भेजा गया था।
- शेड नेट हाउस का उपयोग बागवानी के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए किया जाना पाया गया।

(पिकरीडीह, ब्लॉकः तिल्दा, जिलाः रायपुर में स्थित शेड नेट हाउस के नीचे मछली टैंक, 08.09.2022)

(जरौद, ब्लॉक धरसींवा, जिला रायपुर स्थित शेडनेट हाउस के अंतर्गत धान की खेती एवं सोलर पंप की स्थापना, 07.09.2022)

संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि दिशानिर्देशों के अनुसार, गुंबद आकार या सपाट आकार के शेड नेट के लिए सब्सिडी प्रदान की जा सकती है। किसानों की पसंद के अनुसार सपाट आकार की शेड नेट का निर्माण किया गया है। बीज निगम द्वारा संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी और सभी उप संचालक उद्यान/सहायक संचालक उद्यान को दर अनुबंध की प्रति जारी की गई तथा ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड की गई थी। इसमें आगे कहा गया है कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए नौ मामलों में से छह में संबंधित जिला अधिकारियों को किसानों से अधिक भुगतान राशि वसूलने का निर्देश दिया गया है, जिसमें शेडनेट हाउस छोटे क्षेत्र में बनाए गए थे। इसके अलावा, सब्सिडी स्वीकृत करने वाले अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ–साथ पीएफडीसी के प्रतिनिधि के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के लिए एक पत्र भेजा जा रहा है। इसके अलावा विभागीय कार्य हेतु विक्रेता कम्पनी को काली सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके अलावा विभाग लेखापरीक्षा के इस कथन से सहमत नहीं है कि यदि सपाट आकार के शेडनेट के लिए अलग से दरें प्राप्त की जाती हैं, तो शेडनेट लागत के 50 से 70 प्रतिशत पर बनाया जा सकता था, क्योंकि भारत सरकार की नोडल एजेंसी द्वारा गुंबदाकार एवं आयताकार शेडनेट घरों के लिए अलग से प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है।

शेड नेट में लागत अंतर के बारे में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विक्रेता ने सपाट आकार के शेड नेट हाउस ढांचे का निर्माण किया लेकिन लाभार्थियों से गुंबद आकार की दर से राशि वसूल की। हालाँकि दोनों प्रकार की संरचनाओं के लिए दिशा–निर्देश दिए गए थे, लेकिन बीज निगम ने विक्रेता के साथ केवल गुंबद आकार की संरचना के लिए दर अनुबंध किया था और सब्सिडी का भुगतान भी उसी के अनुसार किया गया था। हालाँकि, बीज निगम द्वारा सपाट प्रकार की संरचना के लिए कोई दर विश्लेषण नहीं किया गया था। यद्यपि प्रचलित बाजार दरों के अनुसार सपाट आकार की संरचना की लागत गुबंद आकार की संरचना से कम है, तथापि दर विश्लेषण के अभाव में, लेखापरीक्षा दोनों संरचनाओं के बीच वास्तविक लागत अंतर का पता नहीं लगा सकी। इसके अलावा, बीज निगम द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय को जारी की गई और वेबसाइट पर अपलोड की गई दर अनुबंध में शेड नेट के विनिर्देश शामिल नहीं थे, जिस पर दर अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया था, जिसके कारण क्षेत्रीय अधिकारी भौतिक सत्यापन के दौरान विक्रेता द्वारा निष्पादित वास्तविक कार्य के साथ विनिर्देश का मिलान करने में असमर्थ थे।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.8.4 प्राकृतिक रूप से हवादार प्रणाली की ग्रीन हाउस संरचना के लिए सब्सिडी का अनियमित भुगतान

एकीकृत बागवानी विकास मिशन की परिचालन गाइडलाइन में निर्धारित दर मानदंडों के अनुसार, ग्रीन हाउस प्राकृतिक रूप से हवादार प्रणाली संरचना के लिए लाभार्थी को अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम **₹** 844 प्रति वर्ग मीटर की दर से देय है। इस प्रकार, लाभार्थी को अधिकतम **₹** 16.88 लाख का अनुदान प्रदान किया जा सकता है। योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों (जून 2012) के अनुसार, योजना का क्रियान्वयन किसानों की निजी भूमि पर किया जाएगा। संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने स्पष्ट किया है (मार्च 2024) कि निजी भूमि का अर्थ है किसान के स्वामित्व वाली भूमि और जैसा कि भू–राजस्व अभिलेखों अर्थात बी– I फॉर्म में उल्लेखित है।

उप संचालक, उद्यान, दुर्ग के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2019–20 में प्राकृतिक रूप से हवादार प्रणाली की ग्रीन हाउस संरचनाओं के लिए सात लाभार्थियों को **₹** 99.52 लाख की सब्सिडी वितरित की गई थी। इसमें से, पांच ग्रीन

हाउस संरचनाओं के निर्माण के लिए एक परिवार के पांच सदस्यों को ₹ 76.42 लाख की सब्सिडी दी गई थी। हालांकि, जिस जमीन के लिए सब्सिडी का दावा किया गया था, वह दुर्ग जिले के महमारा गांव में स्थित थी और उस जमीन का स्वामित्व परिवार के एक लाभार्थी के पास था। लेखापरीक्षा ने आवेदन पत्रों में पाया कि पांच लाभार्थियों के आवेदन पत्रों में एक ही खसरा संख्या (65, 71 और 76) का उल्लेख किया गया था, जबकि भू अभिलेख (बी–I फॉर्म) के अनुसार, खसरा संख्या 65, 71 और 76 केवल एक लाभार्थी के नाम पर पंजीकृत था। यह दर्शाता है कि एक ही जमीन के टुकड़े के विरूद्ध एक परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम पर सब्सिडी का अधिक लाभ उठाया गया था।

निर्माण स्थल के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (अक्टूबर 2021) के दौरान पाया गया कि सभी पांच ग्रीन हाउस संरचनाएं एक साथ स्थापित की गई थी और एक ही इकाई के रूप में संचालित तथा रखरखाव की जा रही थीं। चूंकि एक लाभार्थी अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर के लिए ₹ 16.88 लाख की अधिकतम सब्सिडी राशि का हकदार था, इसलिए परिवार के सदस्यों के नाम पर ₹ 59.54 लाख की अतिरिक्त सब्सिडी का अनियमित रूप से दावा और भुगतान किया गया, जबकि जमीन का मालिक एक ही था।

संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि तत्कालीन उप संचालक उद्यान का तर्क कि इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणियों के किसानों को लाभ देने का प्रावधान है, जिसमें भूमि मालिक के रूप में कृषि भूमि पर खेती करने वाला, विरासत में मिला किसान, सरकारी पट्टेदार या किसी अन्य की जमीन पर खेती करने वाला व्यक्ति शामिल है, विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और इसलिए उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया है (अगस्त 2023)।

तथ्य यह है कि दिसम्बर 2024 तक सब्सिडी की अतिरिक्त राशि वसूलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.8.5 कम लागत वाली प्रतिरक्षण इकाई के लिए सब्सिडी का अधिक वितरण

''फसलोपरांत समेकित प्रबंधन'' घटक के अंतर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन के परिचालन दिशानिर्देश के अनुसार, प्रतिरक्षण इकाई की स्थापना के लिए लाभार्थियों को प्रतिरक्षण इकाई की कुल लागत, अधिकतम ₹ 2.00 लाख का 50 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जानी चाहिए। संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने प्रतिरक्षण इकाई के लिए आवश्यकता और लागत निर्धारित की (नवंबर 2012), जिसके अनुसार 20 किलोग्राम क्षमता वाले सौर और विद्युत ड्रायर टेक्नॉलॉजी के साथ 10 फीट x 15 फीट का एक सिविल स्ट्रक्चर बनाया जाना था। दिसंबर 2018 में संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने प्रतिरक्षण इकाई (सोलर ड्रायर 25 किग्रा) के विनिर्देश और डिजाइन का निर्णय लिया। राज्य बागवानी मिशन की ओर से, बीज निगम ने ₹ 1.12 लाख की दर से 'इलेक्ट्रिक बैकअप सिस्टम के साथ संचालित 25 किग्रा सौर ऊर्जा प्रतिरक्षण इकाई' की आपूर्ति के लिए कुछ आपूर्तिकर्ता फर्मों के साथ दर अनुबंध किया (नवंबर 2020)।

नमूना जांच किए गए जिलों के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि सात उप संचालक उद्यान/सहायक संचालक उद्यान में कुल 480 प्रतिरक्षण इकाइयां स्थापित की गईं तथा लाभार्थी किसानों को ₹ 4.80 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई (***परिशिष्ट 3.3.4***)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रतिरक्षण इकाई की स्थापना (10 फीट x 15 फीट सिविल संरचना, विद्युत वायरिंग, जल पाइप लाइन और जल भंडारण टैंक

आदि का निर्माण) के लिए लाभार्थी के वचनबद्धता और विक्रेता द्वारा प्रदान किए गए ₹ 1.00 लाख प्रति सोलर ड्रायर की लागत के खरीद बिल के आधार पर विभाग द्वारा सब्सिडी जारी की गई थी। हालांकि, लाभार्थी के दावे को सत्यापित करने के लिए, सब्सिडी जारी करने से पहले दिशानिर्देशों में अपेक्षित, सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विभाग के सहायक संचालक उद्यान/उप संचालक उद्यान द्वारा उक्त सुविधा का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए 20 प्रतिरक्षण इकाइयों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2021–सितंबर 2022) के दौरान, लेखापरीक्षा और विभागीय अधिकारियों द्वारा देखी गई साइट पर प्रतिरक्षण इकाई के लिए कोई सिविल संरचना का निर्माण नहीं पाया गया। वाउचर की आगे की जांच से पता चला कि किसानों ने निर्धारित 25 किलोग्राम के सोलर ड्रायर के बजाय 20 किलोग्राम के सोलर ड्रायर का खरीद बिल पेश किया था।

चूंकि प्रति इकाई ₹ 2.00 लाख की लागत में सौर ड्रायर और शेड हाउस दोनों की लागत शामिल थी, इसलिए सिविल संरचना का निर्माण सुनिश्चित किए बिना, केवल प्रतिरक्षण इकाई की लागत के विरुद्ध ₹ 1.00 लाख की सब्सिडी देना, वह भी निम्न विनिर्देशन की, दिशानिर्देशों के विरुद्ध था और इसलिए अनियमित था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि प्रतिरक्षण इकाई की स्थापना के लिए संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कृषक स्तर पर निर्मित शेड इकाई को कृषक के अंश के रूप में समायोजित किया जाएगा तथा शेष अनुदान का उपयोग बीज निगम द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों के अनुसार प्रतिरक्षण इकाई क्रय करने में किया जाएगा। कृषकों द्वारा बीज निगम से अनुमोदित 20 किग्रा क्षमता की प्रतिरक्षण इकाई क्रय करने तथा अनुदान का बिल प्रस्तुत करने के पश्चात नियमानुसार अनुदान का भुगतान किया गया है। भविष्य में विनिर्देशों के अनुसार निर्मित शेड इकाई का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात ही कृषकों को अनुदान का भुगतान करने के लिए संचालनालय से जिला अधिकारियों को निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 25 किलोग्राम सौर ड्रायर की विशिष्टता को संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने ही अनुमोदित किया था और बीज निगम ने दर अनुबंध भी 25 किलोग्राम सौर ड्रायर के लिए ही किया था। लेकिन विभाग ने 20 किलोग्राम सौर ड्रायर के लिए वाउचर ₹ 1.00 लाख प्रति ईकाई की दर से स्वीकार किए, जो विभाग द्वारा निर्धारित विनिर्देश के अनुसार नहीं थे। इसके अलावा, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान किसी भी साइट पर शेड संरचना का निर्माण नहीं पाया गया और विभाग शेड इकाई के निर्माण का कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा, जो दर्शाता है कि सभी घटकों के साथ प्रतिरक्षण इकाई की स्थापना सुनिश्चित किए बिना प्रति यूनिट ₹ 1.00 लाख की पूरी सब्सिडी जारी की गई थी।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.8.6 अनुसूचित क्षेत्र के लाभार्थियों को कोल्ड स्टोरेज के लिए कम दर पर सब्सिडी प्रदान किया जाना

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के दिशा–निर्देशों के खंड 5.4 के अनुसार, शीत भंडारण इकाइयों के निर्माण/विस्तार के लिए पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत जिसकी अधिकतम लागत ₹ 4.00 करोड़ प्रति इकाई थी, का 35 प्रतिशत और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक–एंडेड सब्सिडी का भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2017–22 की अवधि के लिए परिप्रेक्ष्य योजना में 50 कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसी अवधि के लिए

वार्षिक कार्य योजना में 50 कोल्ड स्टोरेज इकाइयों का लक्ष्य शामिल था जबकि 40 कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ स्थापित की गईं।

लेखापरीक्षा अवधि वर्ष 2019–22 के दौरान राज्य में कुल 29 कोल्ड स्टोरेज इकाइयां स्थापित की गईं और लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में ₹ 41.20 करोड़ का भुगतान किया गया। इन 29 इकाइयों में से आठ कोल्ड स्टोरेज इकाइयां अनुसूचित क्षेत्रों में स्थापित की गईं।

संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने वर्ष 2019–21 के दौरान अनुसूचित क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज इकाई की स्थापना के लिए वार्षिक कार्य योजना में कोई प्रावधान नहीं किया, जिसके कारण वर्ष 2019–20 में स्थापित दो कोल्ड स्टोरेज इकाइयों और वर्ष 2020–21 में स्थापित एक कोल्ड स्टोरेज इकाई को सामान्य क्षेत्रों के लिए लागू केवल 35 प्रतिशत सब्सिडी मिली थी, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी लागू है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक कार्य योजना में अनुसूचित क्षेत्र में पांच कोल्ड स्टोरेज इकाई स्थापित करने का लक्ष्य शामिल किया था और तदनुसार पांच लाभार्थियों को 50 प्रतिशत सब्सिडी का भुगतान किया गया था।

इस प्रकार, अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित तीन शीत भंडारण इकाइयों को मानदंडों के अनुसार 50 प्रतिशत की दर से सब्सिडी नहीं मिली और वे योजना के अंतर्गत ₹ 1.80 करोड़ के इच्छित लाभ से वंचित रह गए, जैसा कि ***तालिका 3.3.7*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3.7: शीत भंडारण की स्थापना को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	इकाई का नाम	स्थान	अनुसूचित क्षेत्र	कार्य की प्रकृति	कुल लागत	लागत मानदंड	दिशानिर्देशों के अनुसार अनुदान की पात्रता	वास्तविक भुगतान किया गया अनुदान	अनुदान का कम भुगतान
1	2019–20	प्रकाश कोल्ड स्टोरेज	जगदलपुर	हाँ	नया कोल्ड स्टोरेज	467.93	400	200	140	**60**
2	2019–20	कृष्णा कोल्ड स्टोरेज	जशपुर	हाँ	नया कोल्ड स्टोरेज	407.16	400	200	140	**60**
3	2020–21	शुभम् कोल्ड स्टोरेज	रायगढ़	हाँ	नया कोल्ड स्टोरेज	4990	400	200	140	**60**
कुल										**180**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

इंगित किये जाने पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि चूंकि वर्ष 2019–20 और 2020–21 में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट घटक के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा कोई लक्ष्य अनुमोदित नहीं किया गया था, इसलिए आवेदकों की सहमति प्राप्त करने के बाद अनुसूचित क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों पर सामान्य क्षेत्र के लिए देय 35 प्रतिशत सब्सिडी का भुगतान किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 की वार्षिक कार्य योजना में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किया था तथा भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार ही स्वीकृति प्रदान की थी। इस प्रकार अनुसूचित क्षेत्रों के हितग्राहियों को योजना का अपेक्षित लाभ निर्धारित दर पर नहीं मिल सका।

शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.8.7 बाजार बुनियादी ढांचे का निर्माण न किया जाना

फसल कटाई के बाद की सुविधाएं प्रदान करने के अलावा, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बाजार संपर्क का निर्माण भी महत्वपूर्ण है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन दिशानिर्देशों के खंड 7.54 के अनुसार, "बाजार अवसंरचना के निर्माण" घटक के अंतर्गत थोक बाजार, ग्रामीण बाजार/अपनी मंडियों और खुदरा बाजारों की स्थापना के लिए क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी। विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान बाजार अवसंरचना के निर्माण घटक के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रगति का विवरण ***तालिका 3.3.8*** में दिया गया है:

तालिका 3.3.8: वर्ष 2019–22 के दौरान निर्मित बाजार अवसंरचना की भौतिक वित्तीय प्रगति

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अवयव	भौतिक (संख्या)		वित्तीय		कमी का प्रतिशत	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	भौतिक	वित्तीय
1	ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी/प्रत्यक्ष बाजार	40	40	400.00	400.00	0	0
2	खुदरा बाजार/दुकानें (पर्यावरण नियंत्रित)	27	10	141.75	52.50	63	63
3	स्थिर/मोबाइल वेंडिंग कार्ट/कूल चैंबर के साथ प्लेटफॉर्म	70	7	10.50	1.50	90	86
4	संग्रह, छंटाई/ग्रेडिंग, पैकिंग इकाइयों आदि के लिए कार्यात्मक अवसंरचना।	5	5	30.00	30.00	0	0

(स्त्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि विभाग खुदरा बाजारों/दुकानों और कूल चैंबर वाले स्टैटिक/मोबाइल वेंडिंग कार्ट/प्लेटफॉर्म के संबंध में लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। वर्ष 2019–22 के दौरान 27 खुदरा बाजारों और कूल चैंबर वाले 70 स्टैटिक/मोबाइल वेंडिंग कार्ट/प्लेटफॉर्म के लक्ष्य के मुकाबले, एसएचएम ने केवल 10 खुदरा बाजारों/दुकानों और कूल चैंबर वाले सात स्टैटिक/मोबाइल वेंडिंग कार्ट/प्लेटफॉर्म को सब्सिडी दी और कमी 63 से 90 प्रतिशत तक रही ।

यद्यपि संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी की प्रगति रिपोर्ट में ग्रामीण बाजारों और संग्रहण/छंटाई/पैकेजिंग इकाइयों जैसे बाजार बुनियादी ढांचे के निर्माण के लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया दर्शाया गया था, लेकिन लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त सुविधाओं का निर्माण/स्थापना अभी तक नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2019–20 के दौरान इस योजना के अंतर्गत मंडी बोर्ड को 15 ग्रामीण हाट बाजार, नौ खुदरा बाजार और पांच संग्रहण/छँटाई/ग्रेडिंग/पैकेजिंग इकाइयों के लिए ₹ 2.27 करोड़ का अग्रिम दिया गया। इसी प्रकार वर्ष 2020–21 में राज्य में 25 ग्रामीण बाजारों के निर्माण के लिए मंडी बोर्ड को ₹ 2.5 करोड़ का अग्रिम दिया गया। मंडी बोर्ड द्वारा जून 2021 में बाजारों के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित

की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि हालांकि दिशा–निर्देशों के अनुसार बाजार के बुनियादी ढांचे के घटक के अंतर्गत सब्सिडी क्रेडिट लिंक्ड बैक एंड सब्सिडी के रूप में प्रदान की जानी थी, लेकिन विभाग ने सब्सिडी की पूरी राशि मंडी बोर्ड को अग्रिम के रूप में भुगतान कर दी। इसके अलावा, उपरोक्त सब्सिडी के विरुद्ध मंडी बोर्ड द्वारा बाजार के बुनियादी ढांचे के पूरा होने की स्थिति विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी।

इंगित किये जाने पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार और राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, मंडी बोर्ड को 40 ग्रामीण बाजारों, नौ खुदरा बाजारों और पांच संग्रह, छंटाई/ग्रेडिंग, पैकिंग इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की गई है, जिसके विरुद्ध निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पूरी सब्सिडी मंडी बोर्ड को अग्रिम के रूप में दे दी गई थी तथा बाजार के बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य के लक्ष्य की पूर्ति निर्माण कार्य पूरा हुए बिना ही दर्शाया गया था।

शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.8.8 आपूर्तिकर्ता फर्मों को अनुचित और अविवेकपूर्ण लाभ पहुंचाने के कारण अधिक और अनावश्यक व्यय

अ. रोटरी टिलर की आपूर्ति

छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002, यथा संशोधित 2020 के नियम 4.3.3 के अनुसार खुली निविदा में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा एवं तुलना सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि कम से कम तीन मूल निर्माता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि निविदा प्रक्रिया में भाग लें। उचित गुणवत्ता की वस्तु का चयन करने के लिए यह आवश्यक है कि आपूर्ति की जाने वाली वस्तु का नमूना प्राप्त किया जाए।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन दिशानिर्देशों के अंतर्गत, एससी/एसटी/महिलाओं तथा छोटे और सीमांत किसानों को पावर टिलर (8 एचपी से कम) के लिए निर्धारित ₹ एक लाख की लागत के विरुद्ध ₹ 0.50 लाख (लागत का 50 प्रतिशत) की सब्सिडी लाभार्थी को देय थी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन/एकीकृत बागवानी विकास मिशन के कार्यान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के आदेश (जून 2012 और फरवरी 2019) के अनुसार, बीज निगम को योजना के अंतर्गत सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी को पंजीकृत करना था।

तदनुसार, बीज निगम ने बागवानी मशीनीकरण उपकरणों के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) (अगस्त 2020) प्रकाशित की और छः[25] आपूर्तिकर्ता फर्मों के साथ दर अनुबंध की। बीज निगम द्वारा जारी एनआईटी के अनुसार, बोलीदाता को उद्धृत वस्तु का स्वयं निर्माता/उत्पादक होना चाहिए। इसके अलावा, पावर टिलर के लिए अधिकृत सरकारी एजेंसी से वैध परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य थी।

बीज निगम ने अपने पत्र (नवंबर 2020) के माध्यम से सभी जिला कार्यालयों को ₹ 95,200 की दर से पावर टिलर (8 बीएचपी से कम) की खरीद के लिए दो आपूर्तिकर्ता फर्मों[26] के साथ किये गये दर अनुबंध की एक प्रति प्रदान करते हुए सूचित किया। संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2023) के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि सात बोलियां प्राप्त हुईं,

---

[25] मेसर्स अन्नभूमि ग्रीनटेक प्रा. लिमिटेड भिलाई, मेसर्स जय गुरुदेव एग्रो रायपुर, मेसर्स किसान एग्रोटेक, दुर्ग, मेसर्स लक्ष्य टेक्नोक्रेट्स इंडिया प्रा. लिमिटेड रायपुर, मेसर्स जे एम इंटरप्राइजेज भिलाई और मेसर्स वरुण इंजीनियरिंग रायपुर

[26] मेसर्स किसान एग्रोटेक, दुर्ग और मेसर्स जे एम इंटरप्राइजेज भिलाई।

जिनमें से केवल दो बोलियां पावर टिलर के लिए तकनीकी रूप से योग्य थीं। दो योग्य बोलीदाताओं में से केवल एक आपूर्तिकर्ता फर्म (मेसर्स किसान एग्रोटेक) ने अपने उत्पाद रोटरी टिलर मेक/मॉडल–कृषि क्राफ्ट के लिए अन्य आवश्यक और अनिवार्य दस्तावेजों के साथ परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। बीज निगम ने एक अन्य आपूर्तिकर्ता फर्म मेसर्स जे.एम. एंटरप्राइजेज के साथ भी दर अनुबंध कर लिया, जिसने अपने पावर टिलर के लिए आवश्यक वैध परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया था। जिला कार्यालयों के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि मेसर्स जे.एम. एंटरप्राइजेज ने वही रोटरी टिलर आपूर्ति किया जिसके लिए मेसर्स किसान एग्रोटेक के साथ दर अनुबंध किया गया था, जो दर्शाता है कि आपूर्तिकर्ता फर्म मेसर्स जे.एम. एंटरप्राइजेज स्वयं निर्माता/उत्पादक नहीं थी।

इसके अलावा, मेसर्स किसान एग्रोटेक ने रोटरी टिलर "मॉडल–कृषि क्राफ्ट केसी–पीडब्ल्यूपी–7 एचपी" और "केसी–आरटी–10 केएएमए" के लिए एसआरएफएमटीटीआई[27] भारत सरकार से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। परीक्षण एजेंसी (एसआरएफएमटीटीआई) ने प्रमाणित किया कि वस्तु का निर्माता जिला चोंगक्विंग, चीन की एक विनिर्माण कंपनी थी। इस प्रकार, आपूर्तिकर्ता फर्म मेसर्स किसान एग्रोटेक ने उस वस्तु के निर्माता होने के लिए गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। बीज निगम ने उचित परिश्रम किए बिना घोषणा प्रमाण पत्र स्वीकार कर लिया और एनआईटी में उल्लिखित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए चीन से निर्मित और आयातित उत्पाद के लिए आपूर्तिकर्ता फर्म के साथ दर अनुबंध दर्ज की। यह दर्शाता है कि बीज निगम ने आपूर्तिकर्ता के चयन के लिए स्वयं अपनी पात्रता मानदंडों का पालन नहीं किया। इसके अलावा एनआईटी में निर्धारित स्व–निर्माता की शर्त ने भी प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि अधिकृत प्रतिनिधियों/डीलरों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी।

संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा उपलब्ध कराई गई भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में 1315 रोटरी टिलर के लिए ₹ 6.57 करोड़ की सब्सिडी वितरित की गई। इसके अलावा, चयनित जिलों में अभिलेखों की जांच से पता चला कि दर अनुबंध में अनुमोदित दर ₹ 95,200 के बजाय दर अनुबंध के माध्यम से पंजीकृत विक्रेताओं द्वारा किसानों को ₹ 1.00 लाख प्रति यूनिट की दर से रोटरी टिलर की आपूर्ति की गई थी। सहायक संचालक उद्यान/उप संचालक उद्यान ने प्रस्तुत बिल के विरुद्ध ₹ 50,000 प्रति यूनिट की सब्सिडी का भुगतान किया। उच्च दरों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप किसानों से ₹ 4,800 प्रति यूनिट की उच्च दर वसूल की गई और परिणामस्वरूप विभाग द्वारा ₹ 2,400 प्रति यूनिट (50 प्रतिशत) की सब्सिडी का अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार, दर अनुबंध में अनुमोदित दर का अनुपालन न करने के कारण आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा ₹ 4800 प्रति यूनिट का अनुचित लाभ उठाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि आपत्ति छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम (बीज निगम) से संबंधित है, अतः इस संबंध में संबंधित फर्म के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रबंध निदेशक, बीज निगम, रायपुर को पत्र लिखा गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सहायक संचालक उद्यान/उप संचालक उद्यान को विक्रेता और बीज निगम के बीच निष्पादित दर अनुबंध में अनुमोदित दरों के अनुसार सब्सिडी की राशि को वस्तु की लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित किया जाना था।

शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2024)।

---

[27] एसआरएफएमटीटीआई – दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान

ब. पॉवर वीडर की आपूर्ति

संचालनालय, उद्यानिकी के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि भारत सरकार ने वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2020–21 में अंतर घटक परिवर्तनों को मंजूरी दी और बागवानी मशीनीकरण के अंतर्गत संशोधित लक्ष्य (1040 से 3465 तक) निर्धारित किया। तदनुसार, संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों के लिए ₹ 1.26 लाख की लागत वाले 1,530 पावर वीडर के वितरण का लक्ष्य (30 मार्च 2021) निर्धारित किया गया था। कृषि विभाग द्वारा उसी दिन (30 मार्च 2021) एक आपूर्तिकर्ता फर्म मेसर्स किसान एग्रोटेक को भी बिना किसी निविदा प्रक्रिया के विक्रेता द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर ₹ 1.26 लाख की दर से पावर वीडर की आपूर्ति के लिए पंजीकृत किया गया था।

वर्ष 2020–21 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 1530 लक्ष्य के सापेक्ष कुल 1453 पावर वीडर की आपूर्ति की गई, जो सभी ₹ 1.26 लाख/यूनिट की दर से क्रय किए गए तथा लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् ₹ 0.63 लाख/यूनिट विभाग द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया गया।

चयनित जिला कार्यालयों के लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि उपर्युक्त आपूर्तिकर्ता फर्म ने पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार ₹ 1.26 लाख प्रति यूनिट की दर से पावर वीडर की आपूर्ति की। हालाँकि, उसी फर्म ने उसी उत्पाद को रोटरी टिलर के रूप में एक लाख रुपये प्रति यूनिट की दर से आपूर्ति की थी जिसका बीज निगम के साथ एक वर्ष की अवधि (नवंबर 2020 से नवंबर 2021) के लिए दर अनुबंध ₹ 95,200 प्रति यूनिट की दर से किया गया था, जैसा कि पिछले पैरा में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि एसआरएफएमटीटीआई के साथ–साथ बीज निगम और संयुक्त संचालक, कृषि अभियांत्रिकी (कृषि उपकरणों के लिए राज्य स्तरीय परीक्षण प्रयोगशाला) ने स्पष्ट किया है (मार्च 2023) कि रोटरी टिलर और पावर वीडर समरूप हैं और उन्हें एक ही माना जाएगा।

इस प्रकार, एक ही वस्तु (मेक–कृषि क्राफ्ट और मॉडल नंबर–केसी–डब्ल्यूपी–7पीई) को आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा दो अलग–अलग नामों से किसानों को दो अलग–अलग दरों पर आपूर्ति की गई थी।

इसके अलावा, अभिलेखों की जांच से पता चला कि आपूर्तिकर्ता फर्म ने मेसर्स चोंगक्विंग अम्म मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, जिला चोंगकिंग, चीन द्वारा निर्मित अपने उत्पाद 'पावर वीडर मेक–कृषि क्राफ्ट, मॉडल नंबर–केसी–डब्ल्यूपी–7पीई' के लिए एनआरएफएमटीटीआई[28] हिसार, हरियाणा से जारी वाणिज्यिक परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। परीक्षण रिपोर्ट के विस्तृत विश्लेषण से पता चला कि यह उत्पाद व्यावसायिक परीक्षण में सफल नहीं रहा था। परीक्षण के दौरान परीक्षण एजेंसी द्वारा कई सुधारात्मक निर्देश दिए गए, हालांकि इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। वाणिज्यिक परीक्षण रिपोर्ट (फरवरी 2020) में महत्वपूर्ण मापदंडों के बारे में जानकारी की कमी सहित कुल 14 ऐसी प्रतिकूल टिप्पणियाँ की गईं और कंपनी को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया। कृषि विभाग में सुधारात्मक उपायों और उत्पाद के पुनः परीक्षण के बारे में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। हालाँकि, कृषि आयुक्त ने परीक्षण रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों और अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना मार्च 2021 में फर्म को पंजीकृत कर दिया।

इस प्रकार, आपूर्तिकर्ता फर्म का पक्ष लेने से आपूर्तिकर्ता फर्म को ₹ 30,800/यूनिट (₹ 1,26,000 – ₹ 95,200) का अनुचित लाभ हुआ और साथ ही किसानों को

[28] एनआरएफएमटीटीआई – उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान।

गुणवत्ताहीन पावर वीडर की आपूर्ति हुई। इसके परिणामस्वरूप उच्च दर वाली वस्तु के चयन के कारण ₹ 2.24 करोड़[29] की सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ भी पड़ा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि कृषि यंत्रीकरण के अंतर्गत किसानों द्वारा क्रय की गई मशीनों पर सब्सिडी देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन मशीनों का पंजीकरण कृषि संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया हो। मेसर्स किसान एग्रोटेक द्वारा राज्य में पॉवर वीडर के विक्रय हेतु पंजीयन प्रमाण–पत्र कृषि संचालनालय, छत्तीसगढ़ से प्राप्त किया गया था। उक्त प्रमाण–पत्र के आधार पर किसानों द्वारा पॉवर वीडर क्रय का बिल प्रस्तुत करने पर जिला अधिकारियों द्वारा अनुदान राशि का भुगतान किया गया। इस प्रकार जिला अधिकारियों द्वारा अनुदान वितरण में कोई अनियमितता नहीं की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आपूर्तिकर्ता फर्म का चयन विभाग द्वारा किया गया था और पावर वीडर की दर प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के बिना तय की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसी वस्तु की आपूर्ति उच्च दर पर हुई। यह बागवानी मशीनीकरण घटक के अंतर्गत सामग्री की आपूर्ति में विभाग द्वारा आवश्यक निरीक्षण और निगरानी की कमी को भी दर्शाता है।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2024)।

स. *पल्वराइजर की आपूर्ति*

कृषि मशीनीकरण के उप मिशन में लागत मानदण्डों एवं सहायता के स्वरूप के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा महिला कृषकों के लिए कुल लागत का 60 प्रतिशत तक (अधिकतम ₹ 0.60 लाख) तथा अन्य लाभार्थियों के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत तक (अधिकतम ₹ 0.50 लाख) सब्सिडी प्रदान की जानी थी।

संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए परिप्रेक्ष्य योजना में पल्वराइजर के लिए कोई प्रावधान नहीं था। तदनुसार, वर्ष 2017–18 से 2020–21 की अवधि के लिए वार्षिक कार्य योजना में पल्वराइजर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। साथ ही, पल्वराइजर घटक एकीकृत बागवानी विकास मिशन दिशानिर्देश 2014 का हिस्सा भी नहीं था। हालांकि, संचालक ने राज्य के विभिन्न जिलों में एक नए घटक 'पल्वराइजर' के वितरण का लक्ष्य (30 मार्च 2021) तय किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बीज निगम ने अपने पत्र (नवंबर 2020) के माध्यम से सभी जिला कार्यालयों को सूचित किया कि उसने मिनी पल्वराइजर मोटर एचपी 3, फीड साइज 10 मिमी की खरीद के लिए पांच आपूर्तिकर्ता फर्मों[30] के साथ ₹ 83,898 + जीएसटी (5 प्रतिशत) अर्थात् ₹ 88,093 की दर से दर अनुबंध किया था।

चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान आपूर्तिकर्ता फर्मों ने मिनी पल्वराइजर की आपूर्ति ₹ 1.20 लाख प्रति यूनिट की दर से की, जो कि दर अनुबंध में निर्धारित दर ₹ 88,093 प्रति यूनिट से अधिक थी। उच्च दरों को सहायक संचालक उद्यान/उप संचालक उद्यान द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा प्रति यूनिट ₹ 60,000 की अधिकतम सब्सिडी का भुगतान किया गया।

---

29 किसानों द्वारा कुल अतिरिक्त भुगतान = 1453 x ₹ 30,800 अर्थात् ₹ 4,47,52,400,
विभाग द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त सब्सिडी = ₹ 4,47,52,400/2 अर्थात् ₹ 2.24 करोड़

30 मेसर्स अन्नभूमि ग्रीनटेक प्रा. लिमिटेड भिलाई, मेसर्स जय गुरुदेव एग्रो रायपुर, मेसर्स किसान एग्रोटेक, दुर्ग, मेसर्स लक्ष्य टेक्नोक्रेट्स इंडिया प्रा. लिमिटेड रायपुर और मेसर्स जे एम इंटरप्राइजेज भिलाई।

उच्च दरों को स्वीकार करने के कारण लाभार्थी किसानों को प्रति यूनिट ₹ 31,907 अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा, जिसपर विभाग ने भी ₹ 7,144[31] प्रति यूनिट की दर से अतिरिक्त सब्सिडी का भुगतान किया। इसके अलावा, सहायक संचालक उद्यान/उप संचालक उद्यान या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई कि किसान दर अनुबंध में निर्धारित दर पर सामग्री खरीदें। इसलिए, किसानों को सामग्री की आपूर्ति में उचित निगरानी की कमी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता फर्मों को प्रति इकाई ₹ 31,907 का अनुचित लाभ हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि आपत्ति छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम (बीज निगम) से संबंधित है, अतः इस संबंध में संबंधित फर्म के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रबंध निदेशक, बीज निगम, रायपुर को पत्र लिखा गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीज निगम द्वारा आपूर्तिकर्ता फर्मों के साथ दर अनुबंध किया था, जबकि विभाग ने दर अनुबंध में उल्लेखित दर से अधिक दर स्वीकार की थी। अतः विभाग को आपूर्तिकर्ता फर्म को दी गई अधिक राशि वसूल करनी चाहिए।

इससे यह इंगित होता है कि बागवानी मशीनीकरण के अंतर्गत वस्तुओं की आपूर्ति एकीकृत बागवानी विकास मिशन/कृषि मशीनीकरण के उप मिशन दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वीकार्य सब्सिडी की अधिकतम राशि के आधार पर की जा रही थी, बजाय इसके कि किसानों को निविदा के माध्यम से तय प्रतिस्पर्धी दर पर वस्तुओं की आपूर्ति की जाए, जिसके परिणामस्वरूप शासकीय निधि/सब्सिडी की कीमत पर आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.9 निष्कर्ष

बागवानी के अंतर्गत क्षेत्र के समग्र कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य के विरूद्ध कुल बागवानी क्षेत्र वर्ष 2019–20 में 8.62 लाख हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2021–22 में 8.35 लाख हेक्टेयर हो गया। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार के लिए निर्धारित लक्ष्य लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा ने नियोजित गतिविधियों से विचलन देखा, जिसके परिणामस्वरूप योजना के अंतर्गत लक्षित गतिविधियाँ प्राप्त नहीं हो सकीं। उत्कृष्टता केंद्र, कोल्ड चेन अवसंरचना, जैविक खेती और प्रमाणीकरण जैसी प्रमुख गतिविधियां यद्यपि वर्ष 2017–22 की परिप्रेक्ष्य योजना में नियोजित थीं, लेकिन इन्हें वार्षिक कार्य योजना का हिस्सा नहीं बनाया गया और इसलिए इन्हें कार्यान्वयन के लिए नहीं लिया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न स्तरों पर योजना के कार्यान्वयन में कमियां पाई गईं, जैसे कि शेडनेट हाउस के निर्माण में सब्सिडी का अनियमित वितरण, प्राकृतिक रूप से हवादार ग्रीन हाउस संरचना के लिए सब्सिडी का अधिक भुगतान, प्रतिरक्षण इकाई के सभी घटकों की स्थापना सुनिश्चित किए बिना कम लागत वाली प्रतिरक्षण इकाई के लिए सब्सिडी का वितरण। बागवानी मशीनीकरण के अंतर्गत रोटरी टिलर, पावर वीडर और पल्वराइजर जैसी वस्तुओं की आपूर्ति एकीकृत बागवानी विकास मिशन/कृषि मशीनीकरण के उप मिशन दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वीकार्य अधिकतम सब्सिडी राशि के आधार पर की गई, न कि निविदा के माध्यम से तय की गई प्रतिस्पर्धी दर पर, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता फर्मों को अनुचित लाभ हुआ और शासन पर सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

---

[31] ₹ 7144= ₹ 60,000 – ₹ 52856 (₹ 88,093 का 60 प्रतिशत)

3.3.10 अनुशंसा

- *विभाग को एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।*
- *वार्षिक कार्य योजना में उल्लेखित लक्ष्य, सर्वेक्षण के बाद तैयार की गई परिप्रेक्ष्य योजना से लिया जाना चाहिए। विभाग को योजना के प्रत्येक घटक को लागू करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना चाहिए।*
- *विभाग को प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से कृषि उपकरण/सामग्री की खरीद की प्रणाली को सुव्यवस्थित करना चाहिए और गुणवत्ता से समझौता किए बिना किसानों को किफायती लागत पर आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।*
- *विभाग को सब्सिडी के भुगतान के लिए दरों और अनुबंध की अन्य शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए।*

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

3.4 छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण

3.4.1 प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास मिशन का गठन वर्ष 2011 में किया गया था और छत्तीसगढ़ राज्य में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022 के अंत तक 1.25 करोड़ कार्यशील आबादी को प्रमाणित कुशल तकनीशियनों के रूप में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था (मई 2012)। छत्तीसगढ़ युवाओं का कौशल विकास अधिकार अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास मिशन को समाप्त कर दिया गया और राज्य में कौशल प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (सीएसएसडीए) का गठन किया गया। कौशल विकास प्रशिक्षण का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए लाभकारी रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने हेतु उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है।

जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जिले में पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वीटीपी) द्वारा प्रदान किए गए कौशल विकास प्रशिक्षण की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिला स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। वीटीपी कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां युवा अपनी पसंद और पात्रता के अनुसार एक समय सीमा के भीतर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षुओं को कौशल विकास प्रशिक्षण पूरा होने पर तीसरे पक्ष के मूल्यांकनकर्ता द्वारा परीक्षण उपरांत सफल घोषित किए जाने के बाद प्रशिक्षु वीटीपी द्वारा संचालित संबद्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (राज्य योजना) और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित और राज्य प्रबंधित योजना) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है। दिसंबर 2021 में 132 शासकीय और 61 निजी वीटीपी के माध्यम से 27 क्षेत्रों के अंतर्गत 111 पाठ्यक्रमों में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 27 आजीविका महाविद्यालय समितियां 36 क्षेत्रों में 706 पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही थी।

3.4.2 संगठनात्मक संरचना

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। यह कौशल विकास प्रशिक्षण के संचालन संबंधी दिशानिर्देश/नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, सीएसएसडीए के बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण/राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय समिति अपनी स्थापना के बाद से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण संचालित करने के लिए नोडल एजेंसी है। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण/राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय समिति की संगठनात्मक संरचना नीचे दी गई है:

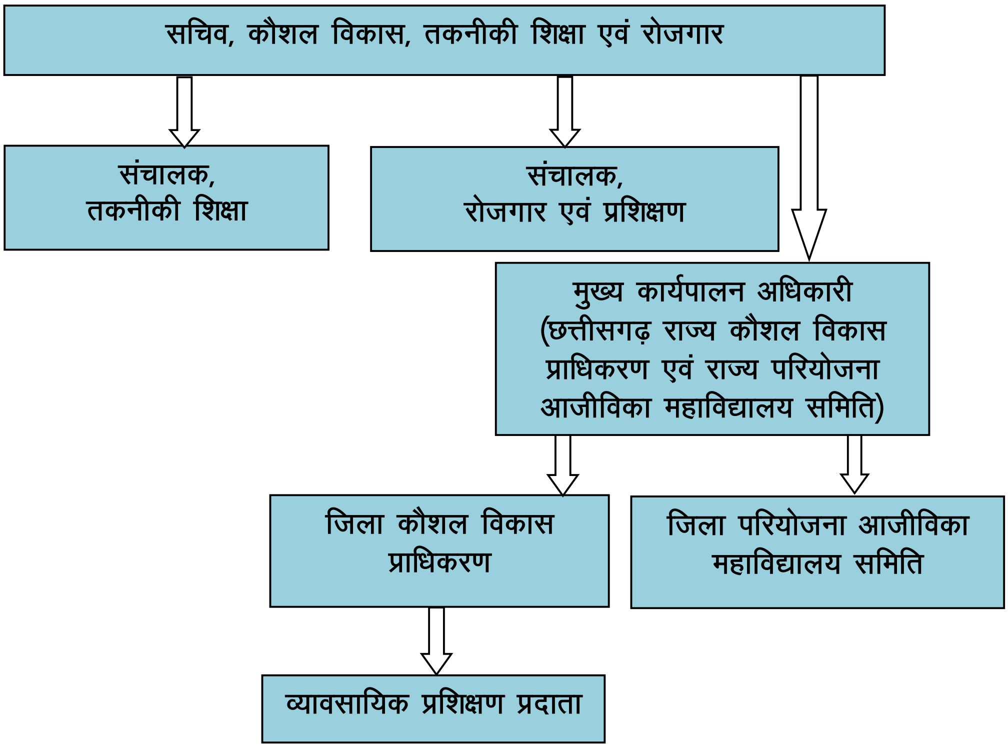

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीएसएसडीए और राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय समिति के कार्यकारी प्रमुख हैं और उन्हें राज्य स्तर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रबंधकों और संयुक्त संचालक (वित्त) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जिला कौशल विकास प्राधिकरणों के 27 सहायक संचालक और आजीविका महाविद्यालय समितियों के 27 प्रधानाचार्य/सहायक परियोजना अधिकारी हैं। ये सहायक संचालक/प्रधानाचार्य/सहायक परियोजना अधिकारी जिला स्तर पर निजी/सरकारी वीटीपी के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी की सहायता करते हैं।

3.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण के अनुपालन लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या :

- युवा आबादी को रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त करने योग्य बनाने हेतु प्रमाणित कुशल तकनीशियनों के रूप में तैयार करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ
- प्रशिक्षण संस्थानों में पर्याप्त अधोसंरचना सुविधाएं और कुशल प्रशिक्षक उपलब्ध थे,
- प्रशिक्षणों के संचालन में निधियों का उपयोग दक्षतापूर्वक और मितव्ययी रूप से किया गया।

3.4.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का आकलन निम्नलिखित के विरूद्ध किया गया :

- छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता और छत्तीसगढ भंडार क्रय नियम, 2002
- छत्तीसगढ़ युवाओं का कौशल विकास अधिकार अधिनियम, 2013 (सीजीआरवाईएसडी अधिनियम)

- छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता) विनियम, 2013
- छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देश और योजना दिशानिर्देश।

3.4.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

अनुपालन लेखापरीक्षा में वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि को शामिल किया गया। अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान राज्य स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीएसएसडीए के कार्यालय और जिला स्तर पर सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण और सहायक परियोजना अधिकारी, आजीविका महाविद्यालय के कार्यालयों में अभिलेखों की जांच की गई। लेखापरीक्षा ने जिला कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत पंजीकृत वीटीपी को कवर किया जिसके लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अनुदान जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ वीटीपी का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया था। राज्य के 28 जिलों में से सात जिलों[32] का चयन परिमाण सापेक्ष संभाव्यता नमूनाकरण के आधार पर किया गया था। मसौदा प्रतिवेदन फरवरी 2023 और जुलाई 2023 में राज्य सरकार को भेजी गई थी। प्रतिवेदन पर शासन का उत्तर अक्टूबर 2023 में प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार के उत्तरों को प्रतिवेदन में यथोचित रूप से शामिल किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.4.6 योजना और कार्यान्वयन

3.4.6.1 परिप्रेक्ष्य योजनाओं को तैयार किया जाना

सीजीआरवाईएसडी अधिनियम 2013 की धारा 11 (सी) के अनुसार, हर पांच साल में एक बार, सीएसएसडीए मैक्रोइकॉनॉमिक ग्रोथ ट्रेंड, उभरती प्रौद्योगिकी एवं कुशल मानव संसाधन की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य में कौशल विकास के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्राधिकरण की परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि वर्ष 2022–27 की अवधि के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने हेतु मेसर्स मेरापथ एजुकेशन लिमिटेड के साथ करार किया गया था (मई 2023)।

शासन का उत्तर इंगित करता है कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

3.4.6.2 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं की उपलब्धता

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के बेहतर कार्यान्वयन और राज्य में 100 प्रतिशत रोजगार के आधार पर कौशल विकास प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से नए

[32] बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, जशपुर, कोरबा, सुकमा और सूरजपुर

दिशानिर्देश (अगस्त 2019) जारी किए। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी वीटीपी को पंजीयन के संशोधित मानदंडों के अंतर्गत नये सिरे से पंजीकृत करना आवश्यक था।

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि नए दिशानिर्देशों को अपनाने (अगस्त 2019) के बाद सभी मौजूदा वीटीपी को विपंजीकृत कर जिला कौशल विकास प्राधिकरण ने नए वीटीपी पंजीकृत करना शुरू कर दिया। हालांकि, नए वीटीपी के पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। परिणामस्वरूप, केवल कुछ वीटीपी पंजीकृत किए जा सके, जैसा कि ***तालिका 3.4.1*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4.1: दिशानिर्देशों में परिवर्तन से पहले और बाद में कौशल विकास प्रशिक्षण का संचालन

क्र. सं.	वर्ष	कुल पंजीकृत वीटीपी	वीटीपी जिन्होंने प्रशिक्षण प्रदान किया	प्रशिक्षण बैचों की संख्या	प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या
1	2017–18	2157	1518	7317	133796
2	2018–19	2244	842	3383	62649
3	2019–20	2083	36	78	985
4	2020–21	189	0	0	0
5	2021–22	203	4	7	105

(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2017–20 के दौरान, प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिकतम 2,244 वीटीपी पंजीकृत किए गए थे जो वर्ष 2021–22 में घटकर 203 हो गए। वर्ष 2019–22 के दौरान कोविड–19 महामारी और पंजीकृत वीटीपी की संख्या में गिरावट ने प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2022) कि कोविड–19 महामारी के कारण प्रशिक्षण प्रभावित हुए थे और आगे बताया कि नये दिशानिर्देशों के अनुसार, नये वीटीपी के पंजीकरण के लिए पंजीकरण शुल्क, सुरक्षा जमा के रूप में बैंक गारंटी अनिवार्य किये गये थे।

3.4.6.3 लक्ष्य प्राप्ति एवं प्रशिक्षुओं के प्लेसमेंट (नौकरी दिलाने में) में कमी

(क) मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना

छत्तीसगढ़ शासन (छ.ग. शासन) ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 के अंत तक 1.25 करोड़ कार्यशील आबादी को प्रमाणित कुशल तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था (मई 2012) और इसे लागू करने के लिए सीएसएसडीए (पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास मिशन) को नोडल एजेंसी बनाया था। सीएसएसडीए के अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्षिक योजना में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य का उल्लेख किया गया था। वर्ष 2013–14 से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कुशल युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करने के लिए वार्षिक लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण ***तालिका 3.4.2*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4.2: मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण और रोजगार की वर्षवार स्थिति

वर्ष	मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण और रोजगार की वर्षवार स्थिति					
	लक्ष्य	नामांकित	परीक्षा में उत्तीर्ण	नियोजित	स्व–नियोजित	बेरोजगार
2013–14	–	–	13564	1066	2361	10137
2014–15	195720	72409	39638	6413	8361	24864
2015–16	89364	90765	74564	15033	23970	35561
2016–17	116325	113683	103792	26589	30300	46903
2017–18	147416	153359	144193	39230	49558	55405
2018–19	110515	72621	77021	23052	21421	32548
2019–20	13389	1972	14110	4300	3461	6349
2020–21	11705	0	107*	57	3	47
2021–22	18920	136	689	300	62	327
2022–23	23685	6950	2624	1734	200	690
योग	**727039**	**511895**	**470302**	**117774**	**139697**	**212831**

(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

* वर्ष 2020–21 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को पिछले वर्षों में नामांकित किया गया था।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2013–14 से 2022–23 की अवधि के दौरान–

- ➢ छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण ने छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित 1.25 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के विपरीत बहुत कम लक्ष्य 7,27,039 (छह प्रतिशत) निर्धारित किया था।
- ➢ कुशल तकनीशियन के रूप में 7,27,039 युवा आबादी को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के विपरीत, सीएसएसडीए पूरे राज्य में केवल 4,70,302 प्रशिक्षुओं (65 प्रतिशत) को प्रशिक्षित कर सका है।
- ➢ कुल 4,70,302 प्रमाणित कुशल युवाओं में से 2,57,471 (55 प्रतिशत) को वीटीपी द्वारा प्लेसमेंट प्रदान किया गया था।
- ➢ मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, 20/30 उम्मीदवारों के प्रत्येक बैच से 01/02 प्रमाणित चयनित प्रशिक्षुओं को 10 प्रतिशत ऋण, अधिकतम ₹ 2 लाख प्रति प्रशिक्षु प्रदान किया जाना चाहिए था। इसके लिए वर्ष 2018–22 के दौरान ₹ 661.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था जिसमें से केवल ₹ 80 लाख वर्ष 2018–19 के दौरान जारी किए गए थे और संबंधित जिलों में स्थानांतरित किए गए थे। हालांकि, इन जिलों ने स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस निधि का उपयोग नहीं किया और इसलिए वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 80 लाख की यह पूरी निधि कालातीत हो गई।

(ख) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

भारत सरकार ने देश के 10 मिलियन युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए वर्ष 2016–20 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संशोधित और बेहतर संस्करण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना–2.0 को स्वीकृति (2016) दी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दो घटक है– एक केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित है जहां 75 प्रतिशत निधि का उपयोग राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से युवाओं को कुशल बनाने के लिए किया जायेगा और दूसरा केंद्र प्रायोजित

राज्य प्रबंधित जहां 25 प्रतिशत धन योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को आवंटित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण नोडल एजेंसी थी और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रशिक्षण संचालित करने के लिए आजीविका महाविद्यालय समितियों को वीटीपी के रूप में पंजीकृत किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे ***तालिका 3.4.3*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4.3: छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2017–22 के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की प्रगति

वर्ष	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण और रोजगार की वर्षवार स्थिति					
	लक्ष्य	नामांकित	परीक्षा में उत्तीर्ण	नियोजित	स्व–नियोजित	बेरोजगार
2017–18	15980	666	315	151	48	116
2018–19		13046	7432	3172	1237	3023
2019–20		43	20	20	0	0
2020–21	1224	588	299	232	34	33
2021–22	300	878	415	275	0	140
योग	**17504**	**15221**	**8481**	**3850**	**1319**	**3312**

(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 17504 के लक्ष्य के विपरीत केवल 8481 (48 प्रतिशत) युवा आबादी सफलतापूर्वक परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं में से 3312 (39 प्रतिशत) को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत नियोजित नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि वर्ष 2020–22 के दौरान कोविड महामारी के कारण कौशल विकास प्रशिक्षण और नियोजन में गिरावट आई थी और नए दिशानिर्देशों (2019) को अपनाने के बाद वीटीपी को कम संख्या में पुनः पंजीकृत किया जा सका था। वर्तमान में, 303 वीटीपी गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। आगे बताया गया कि मुख्यमंत्री कौशल स्व–रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे।

तथापि, शासन को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

3.4.6.4 उच्च शिक्षा/लोक नियोजन के लिए कौशल विकास प्रमाण पत्रों को मान्यता नहीं दिया जाना

सीजीआरवाईएसडी अधिनियम 2013 की धारा 11(1)(एच) के अनुसार, राज्य प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को कौशल विकास से संबंधित एक या अधिक प्रमाणपत्रों या अन्य उपाधियों की अनुशंसा करे जिन्हें लोक नियोजन या उच्च शिक्षा तक पहुँच के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्रों जैसे उपाधियों या पात्रता अर्हताओं के समकक्ष माना जा सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किए गए कौशल विकास प्रमाणपत्रों को न तो किसी डिप्लोमा के समकक्ष या पात्रता अर्हता के रूप में मान्यता दी गई थी और न ही रोजगार के उद्देश्य से या उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए कोई वरीयता दी गई थी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पाठ्यक्रमों के पूरा होने के बाद प्रशिक्षुओं को दिए गए प्रमाण पत्र को मान्यता देने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण

द्वारा मई 2021 में राज्य सरकार को भेजा गया था, तथापि, शासन से आधिकारिक मान्यता अभी भी लंबित है।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा जारी कौशल विकास प्रमाण पत्र को शासकीय और निजी क्षेत्रों में कुशल श्रमिक के रूप में नियुक्ति के लिए वरीयता/प्राथमिकता देने के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नौ साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लोक नियोजन के उद्देश्य से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए (अक्टूबर 2023 तक) प्रमाणपत्रों को मान्यता नहीं दिये जाने के कारण प्रशिक्षु प्रभावित हुए तथा रोजगार और आजीविका प्राप्त करने का उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका।

3.4.6.5 कौशल विकास प्रशिक्षणों के संचालन में अनियमितताएँ

(अ) बायोमेट्रिक उपस्थिति के बिना प्रशिक्षण संचालित किया गया

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के निर्देश (नवंबर 2013) के अनुसार, प्रशिक्षुओं की दिन में दो बार बायोमेट्रिक उपस्थिति और पोर्टल के साथ इसका एकीकरण अनिवार्य है। प्रशिक्षुओं के मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी की 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य थी।

चयनित 91 वीटीपी के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि 91 वीटीपी में से केवल सात[33] ने बायोमेट्रिक उपस्थिति जमा की थी, जबकि 65 वीटीपी ने बायो–मेट्रिक उपस्थिति के बजाय मैनुअल उपस्थिति जमा की थी। आगे यह पाया गया कि जिला कौशल विकास प्राधिकरण, बलरामपुर के अंतर्गत 19 वीटीपी ने न तो मैनुअल उपस्थिति और न ही बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रस्तुत की थी, जिसके कारण प्रशिक्षुओं के मूल्यांकन के लिए आवश्यक 80 प्रतिशत की निर्धारित उपस्थिति वीटीपी द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, बलरामपुर को छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण को सूचित करते हुए संबंधित मामलों में कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। आगे बताया गया कि नए दिशानिर्देशों को अपनाने के बाद प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए भुगतान बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर किया गया था।

(ब) सभी आवेदकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया

सीजीआरवाईएसडी अधिनियम 2013 की धारा 3(1) और 4(1) के अनुसार, किसी भी युवा को राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कौशल में से उसके चयन के व्यवसाय में कुशल होने के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। जिला प्राधिकरण एक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता की पहचान करेगा और आवेदक को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 90 दिनों की अवधि के भीतर इसकी सूचना देगा।

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले सभी पंजीकृत आवेदकों को सीजीआरवाईएसडी अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले और वीटीपी को आवंटित किए गए या वीटीपी को आवंटित नहीं किए गए उम्मीदवारों का विवरण ***तालिका 3.4.4*** में दर्शाया गया है।

[33] सूरजपुर में छः वीटीपी और जशपुर में एक वीटीपी

तालिका 3.4.4: वर्ष 2017–22 के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए वीटीपी आवंटित आवेदकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	प्राप्त आवेदन	वीटीपी को आवंटित आवेदकों की संख्या	वीटीपी को अधिकतम 90 दिनों की अवधि के भीतर आवंटित नहीं किए गए आवेदकों की संख्या (प्रतिशत)
2017–18	188863	143608	45255(24)
2018–19	101619	63564	38055(37)
2019–20	7935	1459	6476(82)
2020–21	164	0	164(100)
2021–22	2780	409	2371(85)
योग	**301361**	**209040**	**92321(31)**

(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 3,01,361 उम्मीदवारों ने कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया था जिनमें से 2,09,040 को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वीटीपी आवंटित किए गए थे, जबकि शेष 92,321 (31 प्रतिशत) उम्मीदवारों को 90 दिनों के निर्धारित समय के भीतर वीटीपी आवंटित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था जिसके कारण राज्य के युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण के लाभ से वंचित किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि परामर्श (काउंसलिंग) में भाग लेने वाले आवेदकों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान, कोविड–19 के कारण प्रशिक्षण प्रभावित हुए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि काउंसलिंग अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। काउंसलिंग अभिलेख के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि सभी आवेदकों को वीटीपी में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया था।

(स) पंजीकृत वीटीपी द्वारा अन्य एजेंसियों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्य का हस्तांतरण

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण वीटीपी विनियम, 2013 की अनुसूची 2 के अनुसार, पंजीकृत वीटीपी किसी अन्य एजेंसी को प्रशिक्षण कार्य नहीं सौंपेंगे। नए दिशानिर्देशों (अगस्त 2019) के अनुसार, संस्थानों को वीटीपी के रूप में पंजीकरण के लिए जिला कौशल विकास प्राधिकरण में ₹ 50,000 की बैंक गारंटी जमा करनी होगी और यदि वीटीपी प्रशिक्षण भागीदार को संलग्न करता है, तो प्रशिक्षण भागीदार से बैंक गारंटी प्राप्त की जाएगी।

संबंधित जिलों में पंजीकृत शासकीय वीटीपी जैसे कि जिला कौशल विकास प्राधिकरण, बिलासपुर के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएं, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जशपुर के अंतर्गत जिला जेल, जशपुर, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, कोरबा के अंतर्गत सहायक संचालक, उद्यानिकी और जिला कौशल विकास प्राधिकरण, बलौदाबाजार के अंतर्गत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भाटापारा के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि पंजीकृत वीटीपी ने प्रशिक्षण कार्यों को अन्य एजेंसियों/प्रशिक्षण भागीदारों को सौंपा/आउटसोर्स किया था, जैसा कि आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है ।

- ➢ जिला कौशल विकास प्राधिकरण, बिलासपुर में अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाए, बिलासपुर को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत

कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वीटीपी के रूप में पंजीकृत किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाए, बिलासपुर ने वर्ष 2017–19 के दौरान वीटीपी विनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रशिक्षण भागीदार (प्रतिभा कौशल अकादमी) को प्रशिक्षण कार्य सौंपा।

आगे, यह पाया गया कि जनपद पंचायत, बेल्हा के अधिकारियों और ग्राम पंचायत, संबलपुरी गांव के अधिकारियों द्वारा शिकायतें की गई थी (नवंबर 2017) कि प्रशिक्षण भागीदार द्वारा राजमिस्त्री का कौशल विकास प्रशिक्षण 83 दिनों[34] के निर्धारित कार्यक्रम के बजाय केवल एक या दो दिनों के लिए संचालित किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवायें का निरीक्षण प्रतिवेदन भी यह पुष्टि करता है कि बेल्हा विकासखंड में संबलपुरी गांव में 20 प्रशिक्षुओं में से केवल आठ और कोहरौंडा गांव में 20 प्रशिक्षुओं में से केवल 11 को प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षित किया जा रहा था। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि कोहरौंडा में प्रशिक्षक अप्रशिक्षित था जिसने केवल उपस्थिति दर्ज की और छात्रों को उचित प्रशिक्षण प्रदान नही कर रहा था। इन शिकायतों के विरूद्ध, उपलब्ध अभिलेखों से की गई किसी कार्रवाई या प्रशिक्षण भागीदार से की गई वसूली के बारे में पता नहीं चला।

- जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जशपुर के अंतर्गत जिला जेल, जशपुर को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण संचालित करने के लिए वीटीपी के रूप में पंजीकृत किया गया था। वीटीपी ने वर्ष 2016–19 के दौरान छः पाठ्यक्रमों[35] के अंतर्गत 17 कौशल विकास प्रशिक्षण संचालित किए। जेल नियमावली के नियम 225 के अनुसार, जेल के अंदर प्रवेश करने वाले या बाहर निकलने वाले सभी व्यक्तियों, सामग्रियों, उपकरणों की प्रविष्टियां जेल के प्रवेश द्वार पर उपलब्ध रजिस्टर में किया जाना चाहिए।

  वीटीपी, जिला जेल, जशपुर के अभिलेखों की जांच से पता चला कि कैदियों के लिए जेल परिसर में प्रशिक्षण संचालित करने के लिए वर्ष 2016–19 के दौरान ₹ 40.10 लाख की राशि प्राप्त हुई थी। प्राप्त राशि ₹ 40.10 लाख में से 313 कैदियों के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए जिला जेल, जशपुर द्वारा ₹ 39.89 लाख का व्यय किया गया था और जिला जेल, जशपुर के बैंक खाते में ₹ 21,840 की धनराशि वर्ष 2018–19 से पड़ी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि जेल परिसर के भीतर प्रशिक्षण संचालित करने के लिए प्रशिक्षकों के साथ–साथ औजार/कच्चे माल/उपकरण प्रदान करने वाली विभिन्न एजेंसियों[36] को भुगतान करने के लिए उक्त ₹ 39.89 लाख का व्यय किया गया था। हालांकि, खरीदी गई सामग्री जेल द्वार रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी जिससे सामग्री की जेल परिसर के अंदर प्रवेश की पुष्टि हो। देयकों/प्रमाणकों की आगे की जांच से पता चला कि देयकों में कोई टिन संख्या दर्ज नहीं थी। जिला जेल में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना प्रशिक्षण संचालित करने में अनियमितताओं के संबंध में कलेक्टर, जशपुर को भेजे गए (जून 2019) प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि सामग्री/औजार आपूर्ति करने वाली फर्म देयकों में उल्लिखित पते पर उपलब्ध नहीं थी।

---

[34] राजमिस्त्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि 500 घंटे अर्थात 6 घंटे प्रतिदिन की दर से 83 दिन है।

[35] टैली का उपयोग करने वाले लेखा सहायक, सहायक इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन घरेलू, राजमिस्त्री, राजमिस्त्री सामान्य, सिलाई मशीन ऑपरेटर

[36] लक्ष्मी ट्रेडर्स, महामाया एजेंसीज, साईं इंटरप्राइजेज, गुप्ता इंटरप्राइजेज, केसरी इंफोटेक

लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए जेल अधीक्षक, जिला जेल, जशपुर ने बताया (नवंबर 2022) कि भुगतान प्रमाणक में उल्लिखित वस्तुएं जेल में उपलब्ध नहीं थीं और राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए खरीदी गई सामग्री से जेल परिसर में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया था।

- कोरबा में सहायक संचालक, उद्यानिकी के क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके कार्यालयों में माली, भूदृश्य निर्माण और फूलों की खेती पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वीटीपी के रूप में पंजीकृत किया गया था। सहायक संचालक, उद्यानिकी ने प्रशिक्षण कार्य को प्रशिक्षण भागीदार अर्थात मेसर्स प्रखर फाउंडेशन, कोरबा को सौंप दिया (जनवरी 2017)। इसी प्रकार, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, बलौदाबाजार के साथ वीटीपी के रूप में पंजीकृत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भाटापारा ने वीटीपी विनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रशिक्षण भागीदार विद्या फाउंडेशन को प्रशिक्षण कार्य सौंप दिया।

इस प्रकार, पंजीकृत वीटीपी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (वीटीपी) विनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अन्य प्रशिक्षण भागीदार को कौशल विकास प्रशिक्षण संचालित करने का काम आउटसोर्स/उप–अनुबंधित करने के मामले पाये गये।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, बलौदाबाजार, कोरबा, बिलासपुर को संबंधित मामलों की जांच करने और छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण को सूचित करते हुए कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। जिला जेल, जशपुर से संबंधित आपत्ति के संबंध में शासन ने बताया कि कौशल विकास प्राधिकरण की भूमिका प्रशिक्षण संचालित करना है और आपत्ति में उल्लिखित तथ्य जिला जेल, जशपुर से संबंधित है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई अनियमितता मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जिला जेल, जशपुर में प्रशिक्षण संचालित करने के लिए प्रदान की गई निधियों से संबंधित है, जो जिला कौशल विकास प्राधिकरण/छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी की कमी को दर्शाता है।

(द) ड्राइवर सह मैकेनिक प्रशिक्षण का संचालन करते समय केंद्रीय मोटर यान नियमों का अनुपालन न करना

केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 24 (3) (V) के अनुसार, ड्राइविंग स्कूलों और प्रतिष्ठानों के पास केवल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से अपना वाहन होना चाहिए और मोटरसाइकिल को छोड़कर ऐसे सभी वाहनों को दोहरी नियंत्रण सुविधा के साथ फिट किया जाता है ताकि प्रशिक्षक को वाहन को नियंत्रित करने या रोकने में सक्षम बनाया जा सके।

नमूना जांच किए गए सात जिलों में ड्राइवर सह मैकेनिक प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2016–19 के दौरान आजीविका महाविद्यालय, सूरजपुर और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वाड्रफनगर में 27 बैचों में 415 प्रशिक्षुओं[37] को ड्राइवर सह मैकेनिक का प्रशिक्षण दिया गया था। इन प्रशिक्षणों के संचालन के लिए ₹ 105.03 लाख का कुल व्यय किया गया था। सभी

[37] आजीविका महाविद्यालय, सूरजपुर में 18 बैच में 235 प्रशिक्षु, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वाड्रफनगर में नौ बैच में 180 प्रशिक्षु

प्रशिक्षुओं को उन वाहनों पर प्रशिक्षित किया गया था जो केंद्रीय मोटर यान नियमों के मापदंडो के विपरीत वाहन को नियंत्रित करने या रोकने के लिए प्रशिक्षक को सक्षम बनाने के लिए दोहरी नियंत्रण सुविधा के साथ फिट नहीं किये गये थे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि मॉड्यूलर रोजगार योग्य कौशल पाठ्यक्रम में ड्राइवर सह मैकेनिक प्रशिक्षण के लिए दोहरी नियंत्रण सुविधा वाले वाहन की आवश्यकता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया था।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केंद्रीय मोटर यान नियम का नियम 24 (3) (V), किसी भी ड्राइविंग स्कूल या प्रतिष्ठान पर लागू होता है जो मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण देता है।

3.4.7 बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और उपयोग

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकरूपता और एकसूत्रता लाने के लिए और स्कूल छोड़ने वाले युवाओं सहित युवाओं को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन ने बाजार की मांग के अनुसार अल्पावधि रोजगारोन्मुखी आवासीय और गैर–आवासीय कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक शासकीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में नक्सल प्रभावित जिला दंतेवाड़ा में आजीविका महाविद्यालय शुरू किया (अक्टूबर 2012)। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अल्पावधि रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य में 27 आजीविका महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान 26 बालिका और 27 बालक छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था। मार्च 2023 तक, 26 बालिका और 22 बालक छात्रावासों का निर्माण पूरा हो गया था। इन आजीविका महाविद्यालयों ने राज्य स्तर पर सीएसएसडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय समिति और जिला स्तर पर संबंधित जिले के जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला परियोजना आजीविका महाविद्यालय के अंतर्गत काम किया।

3.4.7.1 छात्रावास भवनों का उपयोग नहीं किया जाना तथा बिना आवश्यकता के की गई खरीदारी

सीजीआरवाईएसडी अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के अनुसार, जिला प्राधिकारी प्रशिक्षण की अवधि के दौरान आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जैसा कि आवश्यक हो।

नमूना जांच किए गए सात जिलों में अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए आवासीय/छात्रावास सुविधाएं सात आजीविका महाविद्यालयों में उपलब्ध थी, लेकिन वर्ष 2019–22 के दौरान आवासीय प्रशिक्षण बैचों के आवंटन न होने के कारण आजीविका महाविद्यालय, बलौदाबाजार, बिलासपुर और सूरजपुर में छात्रावास का उपयोग आवासीय प्रशिक्षण के लिए नहीं किया जा सका। इन तीन जिलों में छात्रावास भवनों का उपयोग नहीं किये जाने का विवरण ***तालिका 3.4.5*** में उल्लिखित है।

तालिका 3.4.5: वर्ष 2019–20 से वर्ष 2021–22 के दौरान छात्रावास भवनों का उपयोग नहीं किये जाने का विवरण

आजीविका महाविद्यालय में स्थित छात्रावास	छात्रावास की क्षमता (बालक/बालिका)	कुल व्यय (₹ लाख में)	भवन अधिग्रहण महीना	03/2023 तक अप्रयुक्त महीनो की संख्या
बलौदाबाजार	50 सीटर बालक	216.52	06/2020	33
	50 सीटर बालिका		06/2020	33
बिलासपुर	50 सीटर बालिका	135.17	06/2020	33
सूरजपुर	50 सीटर बालक	110.42	07/2020	32
	50 सीटर बालिका	149.57	08/2019	44
	100 सीटर बालिका (सीएसआर)	221.25	07/2019	43
योग		**832.93**		

(स्त्रोतः आजीविका महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि छात्रावासों के निर्माण पर ₹ 832.93 लाख का व्यय किया गया था, हालांकि, मार्च 2023 तक छात्रावासों का उपयोग नहीं किया जा सका, जिससे उपरोक्त व्यय निष्क्रिय हो गया। बलौदाबाजार और सूरजपुर में छात्रावासों के निर्माण कार्यों के पूरा होने के पहले ही वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 23.41 लाख[38] की राशि के गद्दे, खाट, बेडशीट और कंबल जैसी छात्रावास की वस्तुएं खरीदी गई थी।

यह भी पाया गया कि आजीविका महाविद्यालय, बलौदाबाजार में ₹ 31.04 लाख के फर्नीचर, कंप्यूटर उपकरण आदि की खरीदारी छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2022 के अंतर्गत निर्धारित निविदा प्रक्रिया से बचने के उद्देश्य से क्रय आदेश को विभाजित करके की गई थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अंतर्गत गैर–वामपंथी उग्रवाद जिलों में आवासीय प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दी गई थी। राज्य के सभी आजीविका महाविद्यालयों में आवासीय प्रशिक्षण शुरू करने का प्रस्ताव शासन की वित्तीय मंजूरी के लिए विचाराधीन है। वर्ष 2020–22 के दौरान कोविड–19 के कारण सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोक दिया गया था, इसलिए अन्य प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अनियमित खरीद से संबंधित आपत्ति के संबंध में शासन ने बताया कि संबंधित जिलों के जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

शासन का उत्तर छात्रावास भवन के उपयोग न होने की पुष्टि करता है जिससे छात्रावास भवनों के निर्माण पर किया गया व्यय निष्फल हो जाता है।

3.4.7.2 स्थापित प्रयोगशालाओं का उपयोग नहीं किया जाना

संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण ने ₹ 60 लाख की राशि (नवम्बर 2015) तथा राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय समिति ने ₹ 5.00 लाख की राशि (मार्च 2018) प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए आजीविका महाविद्यालय, सुकमा को जारी की।

सहायक परियोजना अधिकारी, आजीविका महाविद्यालय, सुकमा के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि चार प्रयोगशालाओं[39] के लिए ₹ 52.00 लाख की राशि के

[38] बलौदाबाजारः ₹ 280664, सूरजपुरः ₹ 2060578

[39] लकड़ी फर्नीचर प्रयोगशाला, प्लंबर प्रयोगशाला, एसी/रेफ्रिजरेटर रखरखाव प्रयोगशाला और प्रिंटर ऑपरेटर प्रयोगशाला

प्रयोगशाला उपकरण खरीदे (अक्टूबर 2016) गए थे और शेष राशि ₹ 12.99 लाख मार्च 2023 तक महाविद्यालय के बचत बैंक खाते में पड़ी थी।

यह भी देखा गया कि यद्यपि प्रयोगशाला उपकरण उपरोक्त प्रयोगशालाओं के लिए खरीदे गए थे, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आजीविका महाविद्यालय, सुकमा में डेस्क टॉप पब्लिशिंग/प्रिंट पब्लिशिंग असिस्टेंट और बढ़ई–लकड़ी के फर्नीचर पाठ्यक्रम के केवल एक–एक बैच[40] के प्रशिक्षण का संचालन क्रमशः प्रिंटर ऑपरेटर प्रयोगशाला और लकड़ी प्रयोगशाला में किया गया था। शेष दो प्रयोगशालाओं का उपयोग कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नहीं किया जा सका। नए दिशानिर्देशों को अपनाने के बाद, केवल प्लंबर सामान्य पाठ्यक्रम का पंजीकरण किया गया था, जिसके लिए प्रयोगशाला उपकरण खरीदे गए थे। इस प्रकार, अन्य तीन प्रयोगशालाओं के उपकरण छः साल से अधिक समय तक निष्क्रिय पड़े रहे और प्रिंटर ऑपरेटर प्रयोगशाला में वर्ष 2017–23 के दौरान केवल एक बैच को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि वर्ष 2018 के दौरान 50 उम्मीदवारों को डेस्क टॉप पब्लिशिंग पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया था और 30 उम्मीदवारों को लकड़ी प्रयोगशाला में प्रशिक्षित किया गया था और वर्तमान में, प्रशिक्षु इन प्रशिक्षणों में रुचि नहीं ले रहे थे। इसके अलावा, प्रशिक्षण भागीदार की कमी के कारण नलसाजी (प्लंबिंग) और एसी मरम्मत प्रयोगशालाओं का उपयोग नहीं किया जा सका।

शासन का उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि प्रयोगशालाओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था और पाठ्यक्रमों के प्रति छात्रों की रुचि/मांग पर विचार किए बिना प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए गए थे और प्रयोगशालाएं स्थापित की गई थी।

3.4.7.3 उचित अधोसंरचना की सुविधा सुनिश्चित किए बिना निजी वीटीपी को आवासीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आवंटन

(अ) जिला कौशल विकास प्राधिकरण की सिफारिशों पर छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, प्रशिक्षण संचालित करने के लिए आवश्यक अधोसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद पंजीकृत वीटीपी को आवासीय और गैर–आवासीय प्रशिक्षण आवंटित करता है। जिला कौशल विकास प्राधिकरण, भोजन और आवास की सुविधाएं प्रदान करने के लिए वीटीपी को आवासीय लागत प्रदान करता है। नमूना जांच किए गए जिलों में आवासीय और गैर–आवासीय बैचों के आवंटन की स्थिति ***तालिका 3.4.6*** में दर्शाया गया है।

[40] 20 छात्र 04–10–2017 से 08–01–2018 तक

तालिका 3.4.6: वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान वीटीपी को आवंटित आवासीय प्रशिक्षण की स्थिति

जिले का नाम	जिले में संचालित कुल प्रशिक्षण	जिले में संचालित आवासीय प्रशिक्षण		
		निजी वीटीपी द्वारा	सरकारी वीटीपी द्वारा	कुल
बलौदाबाजार	430	0	0	0
बलरामपुर	238	0	70	70
बिलासपुर	817	0	13	13
जशपुर	1225	116	367	483
कोरबा	460	0	74	74
सुकमा	235	0	34	34
सूरजपुर	577	0	96	96
योग	**3982**	**116**	**654**	**770**

(स्त्रोतः जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त आंकड़ें)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि नमूना जांच किए गए जिलों में शासकीय और निजी वीटीपी के द्वारा कुल 770 आवासीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए गए थे। इसमें से 654 प्रशिक्षण शासकीय वीटीपी के द्वारा संचालित किए गए थे और 116 आवासीय प्रशिक्षण जशपुर में केवल एक निजी वीटीपी अर्थात् सावित्री मिश्रा शिक्षण समिति के द्वारा संचालित किए गए थे।

(ब) सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जशपुर के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि जशपुर जिले में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक निजी वीटीपी (सावित्री मिश्रा शिक्षण समिति) पंजीकृत (मई 2016) थी। निजी वीटीपी को 2,075 उम्मीदवारों को आवासीय प्रशिक्षण और 230 उम्मीदवारों को गैर–आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2017–19 के दौरान ₹ 398.29 लाख का भुगतान किया गया था।

पंजीकरण फॉर्म में निर्धारित शर्त के अंतर्गत, प्रत्येक कक्षा के लिए न्यूनतम स्थान की आवश्यकता 300 वर्ग फीट थी और कक्षा में प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए न्यूनतम स्थान की आवश्यकता 10 वर्ग फीट थी। पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार, वीटीपी के पास 2,000 वर्ग फीट क्षेत्र के साथ तीन कक्षाएं थी। यद्यपि, पंजीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रशिक्षण केंद्र की अभिन्यास (ले–आउट) योजना में कोई आवासीय/छात्रावास क्षेत्र नहीं दिखाया गया था। इस प्रकार मापदंडों के अनुसार वीटीपी में उपलब्ध स्थान और वीटीपी की कक्षाओं की संख्या में एक समय में केवल 200 प्रशिक्षुओं को समायोजित किया जा सकता है। टेस्ट बैच क्रमांक (टीबीएन) आवंटन रिपोर्ट से पता चला कि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थान की आवश्यकता और वीटीपी की क्षमता पर विचार किए बिना छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा वीटीपी को बैचों का आवंटन किया गया था। वीटीपी द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण का विवरण ***तालिका 3.4.7*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4.7: समान अवधि में संस्थान में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं का नामांकन

स. क्र.	विभिन्न प्रशिक्षण बैचों मे प्रशिक्षण की अवधि			प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या (टीबीएन के अनुसार)	क्षमता से अधिक प्रशिक्षित प्रशिक्षु	क्षमता से अधिक प्रशिक्षण के लिए किया गया भुगतान (₹ लाख में)
	दिनांक (से)	दिनांक (तक)	आवासीय बैचों की संख्या			
1	02.11.2016	22.12.2016	31	598	398	41.27
2	05.01.2017	17.02.2017	47	855	655	75.67
3	13.06.2017	03.08.2017	12	211	11	2.00
4	10.08.2017	14.10.2017	1	12	0	0
5	06.12.2017	15.02.2018	21	317	117	10.41
6	12.05.2018	09.08.2018	4	82	0	0
			116	**2075**	**1181**	**129.35**

(स्त्रोतः जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जशपुर के पोर्टल से प्राप्त एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वीटीपी ने नवंबर 2016 से दिसंबर 2016 के दौरान 31 बैचों के लिए आवासीय प्रशिक्षण संचालित किया जिसमें कुल 598 छात्र शामिल थे। इनमें से 360 छात्रों के लिए 18 बैचों का प्रशिक्षण 2 नवंबर 2016 को शुरू हुआ जबकि अधिकतम क्षमता 200 छात्रों की थी। इसी तरह, फरवरी 2017 के दौरान 855 छात्रों वाले 47 बैचों के लिए आवासीय प्रशिक्षण शुरू किया गया जो वीटीपी की क्षमता से कहीं अधिक था। आवासीय प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि 250 घंटे से 520 घंटे (प्रति दिन छः से आठ घंटे) थी और डबल शिफ्ट के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस प्रकार, स्थान/अधोसंरचना के मानदंडों का पालन न करते हुए प्रशिक्षण बैच आवंटित किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप वीटीपी को अनुचित लाभ हुआ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह भी पता चला कि 30 मामलों में, उन्ही छात्रों को एक ही अवधि के दौरान उसी पाठ्यक्रम या भिन्न पाठ्यक्रमों में दो बार प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। छात्र का नाम, पिता का नाम और छात्र का फोटो, इन 30 मामलों में समान पाया गया जैसा कि ***परिशिष्ट 3.4.1*** में दर्शाया गया है। सच्ची पहचान स्थापित करने के लिए छात्रों के कोई विशिष्ट पहचान प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, परिवार का राशन कार्ड आदि प्राप्त नहीं किए गए थे।

जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जशपुर ने वीटीपी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी नहीं की और भुगतान के किसी भी झूठे/दोहरे दावे से बचने के लिए भुगतान करने से पहले वीटीपी के दावों की जांच करने में उचित तत्परता नहीं बरती।

(स) सावित्री मिश्रा शिक्षण समिति (वीटीपी) को भुगतान किए गए 2,075 प्रशिक्षुओं की आवासीय लागत के दावों से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि वीटीपी के पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार, वीटीपी के पास आवासीय सुविधाएं[41] प्रदान करने के लिए कोई बुनियादी ढांचा नहीं था। जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जशपुर द्वारा कुल भुगतान ₹ 159.55 लाख के विरुद्ध लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये ₹ 4.18 लाख के आवासीय लागत दावा के देयकों की जांच से पता चला कि

[41] प्रति निवासी न्यूनतम स्थान की आवश्यकता 35 वर्ग फीट है और कमरे का न्यूनतम आकार 70 वर्ग फीट है, प्रति व्यक्ति ताला लगाने की व्यवस्था के साथ एक अलमारी, कुर्सी, मेज। 1:10 शौचालय:निवासी, स्टैंडअलोन शौचालय के लिए और 1:7 शौचालय:निवासी, बाथरूम सहित शौचालय के मामले में। प्राथमिक सहायता किट और अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता। सुरक्षा के लिए पुरुष और महिला दोनों सुविधाओं के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की सुविधा।

देयकों में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण स्थल या उसके आसपास आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोग किये गये भवन का पता या स्थान के संबंध में कोई विवरण नहीं था। आवासीय सुविधा के लिए जमा किए गए देयकों में सेवा प्रदाता[42] का पता जशपुर के बजाय कोरबा का था। आवासीय लागत के शेष भुगतान देयक लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे और इसलिए लेखापरीक्षा छात्रावास/आवासीय सुविधा के विरुद्ध किए गए व्यय की पुष्टि नहीं कर सकता। इस प्रकार, वीटीपी में आवास सुविधाओं सहित आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना प्रशिक्षुओं को आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण बैच आवंटित किए गए थे और वीटीपी को आवासीय लागत दावा का भुगतान समर्थक प्रमाणकों/देयकों की जांच के बिना किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जशपुर को मामले के तथ्य को सत्यापित करने और छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण को सूचित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

3.4.8 आवंटित धनराशि का उपयोग न होना (वित्तीय प्रबंधन)

रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय ने योजना शीर्ष 7438–छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास मिशन और 8935– आजीविका महाविद्यालय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण को स्थापना अनुदान के रूप में और जिला कलेक्टरों को योजना शीर्ष 7683–मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और 7867–प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जिलों में कौशल विकास प्रशिक्षण संचालित करने के लिए धनराशि जारी की। वर्ष 2017–22 के दौरान मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण और स्थापना अनुदान का आवंटन और व्यय ***तालिका 3.4.8*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4.8: प्रशिक्षण शीर्ष और स्थापना अनुदान के अंतर्गत आवंटन और व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण को स्थापना अनुदान				जिले के लिए जारी बजट					
	7438–छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास मिशन		8935– आजीविका महाविद्यालय		8935 #24,25,28 के अंतर्गत अन्य शीर्ष		7683–मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (प्रशिक्षण)		7867–प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (प्रशिक्षण)	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
2017–18	350	350	432.5	432.5	430	430	7550	7350	1320	1320
2018–19	250	250	680	680	0	0	4120	4120	0	0
2019–20	350	350	440	440	335	30	4021	4021	1406	1406
2020–21	280	280	316	316	1146	202.47	1640	0	1000	0
2021–22	50	50	485	485	230	120	1120	1120	0	0
योग	**1280**	**1280**	**2353.5**	**2353.5**	**2141**	**782.47**	**18451**	**16611**	**3726**	**2726**
बचत	**0**		**0**		**1358.53**		**1840**		**1000**	

(स्त्रोतः संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा प्रस्तुत और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

24–मरम्मत एवं रखरखाव, 25–सामग्री आपूर्ति, 28–औजार एवं उपकरण

42 वीटीपी के आवासीय दावा देयकों के अनुसार, लाइफ लाइन कैंटीन एवं रेस्तरां, पुराना बस स्टैंड कोरबा ने आवासीय प्रशिक्षण के लिए सेवाएं प्रदान की थी।

वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड–19 महामारी के कारण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग नहीं किया गया था। वर्ष 2019–20 से वर्ष 2021–22 के दौरान मरम्मत और रखरखाव, सामग्री आपूर्ति और औजार एवं उपकरण शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,358.53 लाख की निधियों का उपयोग जिला कलेक्टर द्वारा नहीं किया गया था और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बजट नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से शासन को समर्पण कर दिया गया था। निधियों के उपयोग न करने के कारणों की सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी गई।

3.4.8.1 शासकीय वीटीपी के पास उपयोग नहीं की गई प्रशिक्षण निधियों का संचय

नमूना जांच किए गए जिलों में वीटीपी के अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 2017–22 के दौरान 29 शासकीय वीटीपी ने कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए प्राप्त निधियों के विरुद्ध ₹ 609.63 लाख का व्यय किया ***(परिशिष्ट 3.4.2)***। इस प्रकार, वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान प्रशिक्षण लागत के लिए आवंटित निधियों में से अर्जित ब्याज सहित ₹ 238.24 लाख[43] की बचत हुई। हालांकि, जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अनुमोदन में उपयोग नहीं की गई राशि की वापसी के प्रावधान की कमी के कारण ₹ 238.24 लाख की उपयोग नहीं की गई राशि वीटीपी के बैंक खाते में पड़ी है। यदि बचत बैंक खातों में जमा होती रहती है तो उपयोग नहीं की गई निधियों के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और अन्य प्रशिक्षण योजनाओं के भुगतान मानदंडों के अनुसार गणना किए गए अपने दावों को प्रस्तुत करने पर वीटीपी को राशि का भुगतान किया गया था। यदि शासकीय विभाग अपने स्वयं के संसाधन जैसे स्वयं के भवन, शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों, प्रयोगशालाओं और अन्य बुनियादी ढांचे का उपयोग करके प्रशिक्षण लागत को बचाता है तो उस बचत का व्यय संबंधित विभाग के नियमों और निर्देशों द्वारा शासित होगा।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिला कौशल विकास प्राधिकरण ने वीटीपी को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के भुगतान मानदंडों के अनुसार भुगतान किया था। शासन को शासकीय वीटीपी में उपयोग नहीं की गई निधियों की वापसी के संबंध में विशिष्ट निर्देश जारी करने चाहिए थे।

3.4.9 मानव संसाधन की कमी

सीजीआरवाईएसडी अधिनियम 2013 की धारा 14 (डी) और (जी) के अनुसार, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरणों के प्रशासन का प्रबंधन करने के लिए अनुमोदित पदों पर कार्मिकों को अनुबंध या अन्यथा नियुक्त करना और अनुबंध पर या अन्यथा नियोजित सभी व्यक्तियों के संबंध में अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी है।

सीएसएसडीए/राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय समिति में जिला कौशल विकास प्राधिकरण, आजीविका महाविद्यालय समिति तथा इनके अंतर्गत बालिका और बालक छात्रावासों में कर्मचारियों की तैनाती से संबंधित अभिलेखों की जांच से राज्य में विभिन्न संवर्गों की कार्यरत और रिक्त स्थिति ज्ञात हुआ, जो ***तालिका 3.4.9*** में दर्शाया गया है।

[43] ₹ 847.87 लाख – ₹ 609.63 लाख = ₹ 238.24 लाख

तालिका 3.4.9: मार्च 2017 और मार्च 2022 तक कार्यरत और रिक्त स्थिति की समेकित स्थिति दर्शाने वाला विवरण

कार्यालय का नाम	पद का नाम	कर्मचारी की स्थिति मार्च 2017			कर्मचारी की स्थिति मार्च 2022		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त (प्रतिशत)	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त (प्रतिशत)
छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रबंधक, कार्यकारी सहायक, कार्यालय सहायक ड्राइवर, ऑफिस हेल्पर	22	14	8 (36)	22	13	9 (41)
राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय समिति	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संयुक्त संचालक (वित्त), उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यकारी सहायक, कार्यालय सहायक, ऑफिस हेल्पर	13	5	8 (62)	13	7	6 (46)
जिला कौशल विकास प्राधिकरण	सहायक संचालक, डीईओ और सहायक ग्रेड–III, चपरासी	108	69	39 (36)	108	35	73 (68)
आजीविका महाविद्यालय	प्राचार्य, सहायक परियोजना अधिकारी, लेखापाल, कार्यालय सहायक, ऑफिस हेल्पर, कुक और सफाईकर्मी	135	43	92 (68)	194	73	121(62)
	बालिका छात्रावास: छात्रावास अधीक्षक	27	0	27 (100)	28	0	28(100)
	बालक छात्रावास: छात्रावास अधीक्षक	0	0	0	27	0	27(100)

(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट था कि वर्ष 2017–22 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण और जिला कौशल विकास प्राधिकरण में विभिन्न पदों के अंतर्गत रिक्तियां क्रमशः 36 से बढ़कर 41 प्रतिशत और 36 से बढ़कर 68 प्रतिशत हो गई। जिला कौशल विकास प्राधिकरण में मानव संसाधन की कमी के कारण वीटीपी की निगरानी प्रभावित हुई। राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय समिति और आजीविका महाविद्यालय में यद्यपि, कार्यरत कार्मिकों में वृद्धि हुई किंतु मार्च 2022 की स्थिति में रिक्तियां अभी भी क्रमशः 46 और 62 प्रतिशत थी। बालक और बालिका छात्रावासों में अपनी इमारतों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद स्वीकृत पदों को नहीं भरा गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि जिला कौशल विकास प्राधिकरण और आजीविका महाविद्यालय को जिला रोजगार अधिकारियों के साथ अतिरिक्त प्रभार के रूप में चलाया जा रहा है।

शासन का उत्तर अधिकारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों की रिक्तियों पर मौन है।

3.4.10 निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की थी। वर्ष 2017–20 के दौरान, प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिकतम 2,244 वीटीपी पंजीकृत किए गए थे जो वर्ष 2021–22 में घटकर 203 हो गए। वर्ष 2019–22 के दौरान पंजीकृत वीटीपी की संख्या में इस गिरावट ने प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित 1.25 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के विपरीत छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण ने बहुत कम लक्ष्य 7,27,039 (छः प्रतिशत) निर्धारित किया। प्रमाणित कुशल तकनीशियन के रूप में 7,27,039 युवा आबादी को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के विपरीत, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण पूरे राज्य में केवल 4,70,302 प्रशिक्षुओं (65 प्रतिशत) को प्रमाणित कर सका। कुल 17,504 के लक्ष्य के विपरीत, केवल 8,481 (48 प्रतिशत) युवा सफलतापूर्वक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और परीक्षा में उत्तीर्ण इन प्रशिक्षुओं में से, 3,312 (39 प्रतिशत) को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत नियोजित नहीं किया जा सका। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए गए किसी भी प्रमाणपत्र को राज्य सरकार द्वारा लोक नियोजन के लिए पात्रता अर्हता के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी और कार्यान्वयन में कमियाँ देखी चयनित जिलों में प्रशिक्षण संचालित करने के लिए पंजीकृत 91 वीटीपी में से 84 नमूना जांच किये गये वीटीपी द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था क्योंकि 71 प्रतिशत वीटीपी ने मैनुअल उपस्थिति प्रस्तुत की और 21 प्रतिशत वीटीपी ने किसी भी रूप (मैनुअल या बायोमेट्रिक) में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की। वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान, कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 3,01,361 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, हालांकि, इनमें से 2,09,040 को वीटीपी आवंटित किए गए थे, जबकि शेष 92,321 (31 प्रतिशत) उम्मीदवारों को 90 दिनों के निर्धारित समय के भीतर वीटीपी का आवंटन न होने के कारण प्रशिक्षण नहीं मिल सका। पंजीकृत शासकीय वीटीपी द्वारा बिना किसी निगरानी तंत्र के छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण विनियम, 2013 का उल्लंघन करते हुए प्रशिक्षण कार्यों को अन्य एजेंसियों/प्रशिक्षण भागीदारों को स्थानांतरित/आउटसोर्स कर दिया गया, जिससे प्रशिक्षण की गुणवता प्रभावित हुई। छात्रावास सुविधा सहित आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना जशपुर में निजी वीटीपी (सावित्री मिश्रा शिक्षण समिति) को बड़ी संख्या में आवासीय प्रशिक्षण बैच आवंटित किए गए थे और नमूना जांच से पता चला कि आवासीय लागत के लिए समर्थक देयकों/प्रमाणकों की जांच किए बिना भुगतान किया गया था।

आजीविका महाविद्यालय, बलौदाबाजार, बिलासपुर और सूरजपुर में छात्रावासों के निर्माण पर ₹ 832.93 लाख का व्यय किया गया था, हालांकि, वर्ष 2019–22 के दौरान आवासीय प्रशिक्षण बैचों के आवंटन न होने के कारण छात्रावास का उपयोग आवासीय प्रशिक्षण के लिए नहीं किया जा सका। प्रशिक्षण भागीदार के अभाव में नलसाजी (प्लंबिंग) और एसी मरम्मत प्रयोगशालाओं का उपयोग नहीं किया जा सका। वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड–19 महामारी के कारण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग नहीं किया गया था तथा वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान मरम्मत एवं रखरखाव, सामग्री आपूर्ति और औजार एवं उपकरण शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,358.53 लाख की निधियों का उपयोग जिला कलेक्टर द्वारा नहीं किया गया था और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बजट नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से शासन को समर्पण कर दिया गया था।

सीएसएसडीए/राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय समिति और जिला कौशल विकास प्राधिकरण/आजीविका महाविद्यालय में विभिन्न पदों पर मानव संसाधन की अत्यधिक कमी थी जिसने गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने और वीटीपी की निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

3.4.11 अनुशंसाएं

1. ***छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा के उद्देश्यों के अनुरूप उच्च शिक्षा या लोक नियोजन के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए।***
2. ***गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वीटीपी की निगरानी में सुधार करने हेतु जिला कौशल विकास प्राधिकरण, आजीविका महाविद्यालय और छात्रावासों में कर्मचारियों की भर्ती जल्द से जल्द की जानी चाहिए।***
3. ***प्रमाणित कुशल तकनीशियन के लक्ष्य को प्राप्त करने और सभी आवेदकों को उनकी पसंद के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शासन पंजीकृत वीटीपी की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठा सकती है।***
4. ***शासन को प्रशिक्षुओं/प्रतिभागियों को आवश्यक कौशल का हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए निजी और शासकीय वीटीपी द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण की उचित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए।***

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

3.5 बिगड़े वनों का सुधार कार्य का कार्यान्वयन

3.5.1 परिचय

वन, राज्य के वनों के संरक्षित एवं संवर्धित कर पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करते हैं। वन नीति का मुख्य उद्देश्य कम वनावरण वाले जिलों में रिक्त/अल्पक्षेत्र वाले क्षेत्रों में कृषि वानिकी एवं वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वनावरण को बढ़ाना तथा नदियों एवं जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि कटाव एवं वनावरण में कमी को नियंत्रित करना है, ताकि बाढ़ एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न न हो। लगातार गिरते भूजल स्तर को इष्टतम उपयोग स्तर पर लाना तथा जल निकायों में गाद जमा होने की दर को कम करना है।

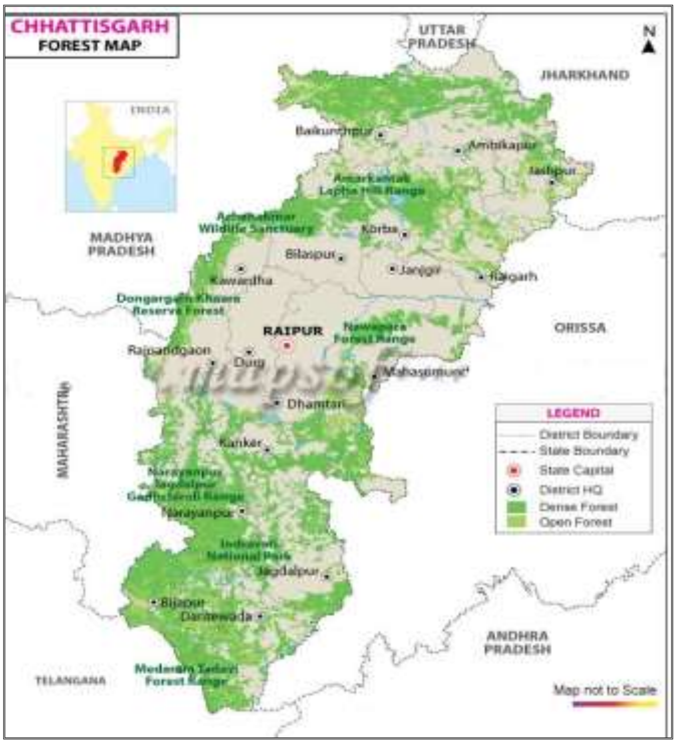

छत्तीसगढ़ राज्य के वन दो प्रमुख प्रकार के वनों के अंतर्गत आते हैं, वो हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन।

छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र 59,772 वर्ग किलोमीटर (वर्ग किमी) में फैला हुआ है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र (1,35,191 वर्ग किमी) का 44.21 प्रतिशत है। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन क्रमशः वन क्षेत्र का 43.13 प्रतिशत, 40.22 प्रतिशत और 16.65 प्रतिशत हैं।

3.5.2 विभाग के कार्य

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन अपनी क्षेत्रीय इकाइयों की सहायता से वानिकी कार्यों के लिए जिम्मेदार है।

राज्य का पूरा वन क्षेत्र वृत्तों में विभाजित है, जिन्हें आगे वनमंडलों में विभाजित किया गया है। वनमंडलों को 'परिक्षेत्रों' में विभाजित किया गया है। 'कम्पार्टमेंट'[44] इसके प्रबंधन के लिए वन की सबसे छोटी इकाई है और 'कूप' एक सीमांकित वन क्षेत्र है, जहाँ वानिकी[45] संबंधी काम किया जाता है।

---

44 वन की एक प्रादेशिक इकाई जिसे प्रशासनिक विवरण और अभिलेख के उद्देश्य से स्थायी रूप से परिभाषित किया गया है।

45 वानिकी वन संसाधनों के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वनस्पति की स्थापना, वृद्धि, संरचना एवं गुणवत्ता को नियंत्रित करने की कला और विज्ञान है।

विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों में छह क्षेत्रीय वन वृत्त[46] शामिल हैं, जिनके अंतर्गत 34 वनमंडल हैं और दो वन कार्य योजना वृत्त[47] हैं, जिनके अंतर्गत छह कार्य योजना कार्यालय हैं।

वनमंडल, वनों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित करते हैं जैसे वनों की सुरक्षा एवं सुधार, वृक्षारोपण, पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित करना, वनों को आग से बचाना, पेड़ों को काटना, लकड़ियों का परिवहन तथा वनोपजों को बेचना एवं कार्य योजना कार्यालय प्रत्येक वनमंडल के लिए दस वर्ष की समयावधि के लिए कार्य योजना तैयार करते हैं।

3.5.3 संगठनात्मक संरचना

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव के समग्र नियंत्रण में कार्य करता है, जो शासन स्तर पर विभाग के मुख्य नियंत्रण अधिकारी हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक विभाग के प्रमुख हैं। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक की देखरेख में काम करते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक को वृत्त स्तर पर मुख्य वन संरक्षक द्वारा सहयोग की जाती है, जिन्हें वनमंडल स्तर पर वनमंडलाधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। उप–वनमंडलाधिकारी और परिक्षेत्र अधिकारी क्रमशः उप–वनमंडलाधिकारी कार्यालय और परिक्षेत्र कार्यालय के प्रभारी होते हैं और वनमंडलाधिकारी के अधीन काम करते हैं।

जुलाई 2023 तक की स्थिति में विभाग की संवर्गवार स्वीकृत पद संख्या और पदस्थ कर्मियों की संख्या का विवरण नीचे ***तालिका 3.5.1*** मे दर्शाया गया है।

तालिका 3.5.1: विभाग में स्वीकृत पद संख्या और पद पर आसीन व्यक्तियों का विवरण

क्रं. संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पदों की संख्या
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	04	03	01
2	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक	13	07	06
3	मुख्य वन संरक्षक	14	08	06
4	वन संरक्षक	21	08	13
5	वनमंडलाधिकारी	42	48	..
6	उप–वनमंडलाधिकारी	189	151	38
7	परिक्षेत्र–अधिकारी	491	252	239

(स्त्रोतः वन विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उप–वनमंडलाधिकारी एवं परिक्षेत्र–अधिकारी के पदों पर रिक्तियां थीं, जिस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बताया (अगस्त 2023) कि उप–वनमंडलाधिकारी एवं परिक्षेत्र–अधिकारी के पद हेतु भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है।

3.5.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि क्या बिगड़े वनों के सुधार (आरडीएफ) कार्यों के बारे में कार्य योजनाओं में परिकल्पित निर्देशों और अनुसूचियों का पालन किया जा रहा है।

---

[46] रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर और जगदलपुर

[47] बिलासपुर और रायपुर

3.5.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त मानदंडों के आधार पर निर्धारित किया गया:

- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और उसके अधीन बनाए गए नियम;
- छत्तीसगढ़ वन मैनुअल;
- शासन/विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र;
- वनमंडलो की कार्ययोजना
- छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002

3.5.6 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और पद्धति

छत्तीसगढ़ राज्य के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में एक शीर्ष इकाई[48], छः मुख्य वन संरक्षक[49] और 34 वनमंडल शामिल हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए, सरल यादृच्छिक नमूनाकरण के आधार पर एक शीर्ष इकाई और 12 वनमंडलो[50] का चयन किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान, वर्ष 2019–20 और 2021–22 के बीच की अवधि के दौरान बिगड़े वनों के सुधार कार्यों से संबंधित अभिलेखों की प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय और 12 चयनित वनमंडल के वनमंडलाधिकारी कार्यालयों में जांच की गई। मसौदा प्रतिवेदन जून, 2023 में राज्य सरकार को भेज दी गई थी। प्रतिवेदन पर सरकार का उत्तर अगस्त, 2023 में प्राप्त हुआ। राज्य सरकार के उत्तरों को प्रतिवेदन में समुचित रूप से शामिल किया गया।

3.5.7 वन विभाग में व्यय की प्रवृत्ति

शासन ने राज्य में बिगड़े वनों के सुधार और वृद्धि के लिए योजना शीर्ष अर्थात "2962, 2965–बिगड़े वनों का सुधार" के अंतर्गत एक विशिष्ट योजना बजट बनाया है। वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान विभाग के बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति तथा बिगड़े वनों के उपचार पर इसका हिस्सा ***तालिका 3.5.2*** मे दर्शाया गया है।

तालिका 3.5.2: आरडीएफ कार्य पर प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

(₹ करोड में)

वर्ष	विभाग के योजना कार्यों पर कुल बजट प्रावधान	योजना कार्य पर कुल व्यय	आरडीएफ क्षेत्र का उपचार (हेक्टेयर में)	आरडीएफ कार्य पर आवंटन	आरडीएफ कार्य पर व्यय	कुल योजना व्यय का प्रतिशत
2019–20	453.23	375.58	44693.36	109.62	109.62	29.19 %
2020–21	282.72	256.42	34329.77	78.81	78.81	30.73 %
2021–22	444.37	382.53	60097.18	137.61	137.61	35.97 %
कुल	**1180.32**	**1014.53**	**139120.30**	**326.04**	**326.04**	**32.13 %**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2019–20 और 2021–22 के बीच विभाग ने कुल योजना कार्य पर ₹ 1,180.32 करोड़ का प्रावधान किया था और ₹ 1,014.53 करोड़ खर्च किए थे। इस अवधि के दौरान, ₹ 1,014.53 करोड़ के कुल योजना व्यय में

48 प्रधान मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय
49 रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर और जगदलपुर वृत्त
50 बीजापुर, बलरामपुर, बस्तर, बलोदाबाजार, जशपुर, कोरबा, कोरिया, मारवाही, महासमुंद, राजनांदगांव, सूरजपुर, और दक्षिण कोंडागांव

से ₹ 326.04 करोड़ (28 प्रतिशत) बिगड़े वनों के उपचार कार्य पर खर्च किए गए। बिगड़े वनों के उपचार पर व्यय का हिस्सा बढ़ता हुआ दिखा और कुल योजना व्यय का 29.19 से 35.97 प्रतिशत के बीच व्यय हुआ।

3.5.8 कार्ययोजना

राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, राज्य के समस्त वनों का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार किया जाना है। राष्ट्रीय वन नीति एवं राष्ट्रीय कार्ययोजना संहिता के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्ययोजना तैयार करना आवश्यक है। राज्य के समस्त वन मंडलों के वनों का सतत प्रबंधन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के आधार पर किया जाता है।

वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन का मुख्य आधार वन मंडलों की कार्ययोजना है। कार्ययोजना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो वन मंडलों के वन संसाधनों और जैव विविधता की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। वन प्रबंधन की प्राथमिकताओं में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर, कार्ययोजनाओं की नियमित समीक्षा 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। वन मंडलों के विभिन्न वन क्षेत्रों की वनस्पति स्थिति के आधार पर वन क्षेत्रों को अलग–अलग वर्किंग सर्किल (कार्य वृत)[51] में विभाजित किया जाता है और तदनुसार क्षेत्रों का उपचार का निर्णय लिया जाता है।

3.5.9 बिगड़े वनो का सुधार

वन मंडलों की कार्ययोजना के अनुसार, ऐसे वन क्षेत्र, जहां आसपास की आबादी, अधिक चराई और निस्तार[52] आपूर्ति के दबाव के कारण घनत्व कम हो गया है, को बिगड़े वन भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वन मंडलों की कार्ययोजना वनभूमि का कंपार्टमेंटवार विवरण प्रदान करता है जिसमें वनस्पति की स्थिति, वन का प्रकार और घनत्व के साथ–साथ वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध क्षेत्र की जानकारी शामिल होती है। तदनुसार, कंपार्टमेंट को विभिन्न वृत्तों के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है, जैसे विशेष सह सुधार कार्यवृत्त[53], सुधार कार्यवृत्त[54], संरक्षण कार्यवृत्त[55], पुनर्वास कार्यवृत्त और वृक्षारोपण कार्यवृत्त आदि। विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, कार्ययोजना में शामिल 34 वनमंडलो का कुल वन क्षेत्र 44,83,476 हेक्टेयर था, जिसमें से बिगड़े हुए वनों के सुधार के लिए पुनर्वास कार्यवृत्त/वृक्षारोपण कार्यवृत्त के अंतर्गत क्षेत्र 10,83,667.633 हेक्टेयर (24.17 प्रतिशत) था।

बिगड़े वनों के सुधार (आरडीएफ) योजना एक राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत, वन विभाग कार्ययोजना में निर्धारित निर्देशों के अनुसार बिगड़े वन भूमि क्षेत्र को उपचारित करता है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य कम जड़ भंडार वाले/रिक्त वन क्षेत्रों को वन क्षेत्रों में उपलब्ध जड़ भंडार का उपचार करके और रिक्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण करके घने वन क्षेत्रों में बदलना है।

---

51 एक वन क्षेत्र (जो कार्य योजना क्षेत्र का पूरा या हिस्सा हो सकता है) को एक विशेष उद्देश्य के साथ और एक ही वानिकी प्रणाली तथा एक ही कार्य योजना के अंतर्गत संगठित किया जाता है। कुछ परिस्थितियों में कार्य वृत्त अधिव्यापन हो सकते हैं।

52 निस्तार का अर्थ है वास्तविक कृषि या घरेलू उपयोग के लिए आवश्यक वन उपज।

53 चयन सह सुधार कार्य वृत्त को बेहतरीन साल और मिश्रित वनों के प्रबंधन के लिए बनाया गया है और इस कार्य वृत्त में साल और मिश्रित वन हैं जो मध्यम और परिपक्व आयु के हैं।

54 इस कार्य वृत्त के निर्माण का मुख्य उद्देश्य युवा वनों का वानिकी उपचार करके फसलों की उचित वृद्धि हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ विकसित करना है।

55 इस कार्य वृत्त में ऐसे वन क्षेत्र शामिल किए गए हैं जो बारहवासी नदियों के आसपास स्थित हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्र की सुरक्षा प्रदान करना है ताकि मृदा संरक्षण के साथ–साथ वनस्पति आवरण में सुधार किया जा सके।

छत्तीसगढ़ वन नियमावली के अनुसार, बिगड़े वन भूमि का उपचार दो तरीकों से किया जाता है, पहला– वृक्षारोपण रहित आरडीएफ कार्य, ऐसा वन क्षेत्र जंहा पर्याप्त जड़ भंडार उपलब्ध है। ऐसे वन क्षेत्रों में, वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं होती है, केवल उपलब्ध पौधों को अपनाना, जड़ों या पौधों का कट बैक ऑपरेशन (सीबीओ)[56], मृदा संरक्षण कार्य और क्षेत्रों की सुरक्षा की जाती है ताकि उपलब्ध जड़ें या पौधे उग सकें। और, दूसरा – वृक्षारोपण सहित आरडीएफ कार्य; यदि आरडीएफ क्षेत्र में अपर्याप्त जड़ भंडार वाले स्थान पर 10 हेक्टेयर से अधिक रिक्त वन क्षेत्र[57] उपलब्ध है, तो ऐसे वन क्षेत्र का उपचार वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण कार्य तथा वृक्षारोपण क्षेत्र को आग, चराई और अतिक्रमण से बचाकर किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने आरडीएफ क्षेत्रों (वृक्षारोपण के बिना आरडीएफ कार्य) और (वृक्षारोपण के साथ आरडीएफ कार्य) के उपचार के लिए प्रति हेक्टेयर मानदंड क्रमशः ₹ 23,673 और ₹ 1,44,015 निर्धारित (जून 2017) किए हैं। वृक्षारोपण सहित और वृक्षारोपण रहित आरडीएफ कार्यों को **चित्र 3.5.1** में दर्शाया गया है।

चित्र 3.5.1: उपचारित क्षेत्र का चित्र जहां बिगड़े वनों के पुनर्वास का कार्य किया गया

वृक्षारोपण रहित आरडीएफ कार्य

कंपार्टमेंट क्रमांक 368, C/III – 18.36 हेक्टेयर बस्तर संभाग (उपचार वर्ष 21–22) (उपग्रह चित्र दिनांक 03–06–2023)

वृक्षारोपण सहित आरडीएफ कार्य

कंपार्टमेंट क्रमांक 1342, C/III –11 हेक्टेयर बस्तर संभाग (उपचार वर्ष 21–22) (उपग्रह चित्र दिनांक 19–11–2022)

3.5.10 कार्ययोजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आरडीएफ उपचार का कार्य न होना।

चौतीस वनमंडलों की स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 10,83,667.633 हेक्टेयर वन क्षेत्र को बिगड़े वन क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें से आरडीएफ और वृक्षारोपण कार्यवृत्त के विभिन्न कम्पार्टमेंट के अंतर्गत 1,19,560.515 हेक्टेयर वन क्षेत्रों में वर्ष 2019–22 की अवधि के दौरान बिगड़े वनों के सुधार कार्य लिया जाना था। कार्य योजना, इन बिगड़े वन क्षेत्रों को बिगड़े वनों के सुधार या पुनर्वास कार्यवृत्त और वृक्षारोपण कार्यवृत्त के रूप में वर्गीकृत करता है एवं सुधार हेतु उच्च सुरक्षा, प्राकृतिक और कृत्रिम पुनर्जनन और अन्य सहायक गतिविधियों जैसे

56 पुनरुत्पत्ति की स्थापना के लिए ये कट बैक ऑपरेशन (निराई, सफाई, छंटाई, लता काटना आदि) की जाती हैं।

57 एक वृक्षहीन क्षेत्र जहाँ किसी कारणवश बहुत कम वृक्ष उग रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं उग रहे हैं।

उपचारों को निर्धारित करती है। इन बिगड़े वनों का सुधार और वनों की घनत्व और उत्पादकता की वृद्धि कार्य योजना अवधि के दौरान की जानी है।

प्रतिवर्ष, छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार आरडीएफ कार्य करने के लिए चयनित कार्य वृतो में उपलब्ध कार्य योग्य क्षेत्र के आधार पर वन मंडलों को बजट आवंटन प्रदान किया जाता है। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) द्वारा पिछले तीन वर्षों 2019–20 से 2021–22 तक वन मंडलों से संकलित लक्ष्य और मंडलों द्वारा किए गए आरडीएफ कार्य का विवरण निम्नलिखित ***तालिका 3.5.3*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.5.3: आरडीएफ क्षेत्रों के उपचार के लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में तथा राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना में आरडीएफ क्षेत्र का लक्ष्य (आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्य वृत्त)	वृक्षारोपण कार्य के बिना उपचारित आरडीएफ क्षेत्र	वृक्षारोपण कार्य सहित उपचारित आरडीएफ क्षेत्र	कुल उपचारित आरडीएफ क्षेत्र	आरडीएफ पर व्यय (वृक्षारोपण कार्य सहित/बिना)
2019–20	41250.99	38477.465	6215.895	44693.360	109.62
2020–21	44956.91	30917.931	3411.840	34329.771	78.81
2021–22	33352.615	54537.020	5560.160	60097.181	137.61
कुल	**119560.515**	**123932.416**	**15187.895**	**139120.312**	**326.04**

(स्त्रोतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019–20 एवं 2021–22 के दौरान इन वर्षों में आरडीएफ कार्य हेतु कार्ययोजना में निर्दिष्ट लक्षित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में बिगड़े वन क्षेत्र का सुधार कार्य किया गया। हालांकि, वर्ष 2020–21 में किया गया वास्तविक उपचार कार्य कार्ययोजना में निर्धारित वार्षिक लक्ष्य से 76.36 प्रतिशत कम था। इस प्रकार, पिछले तीन वर्षों में निर्धारित लक्ष्य 1,19,560.515 हेक्टेयर के तुलना में 1,39,120.312 हेक्टेयर बिगड़े वनों का उपचार किया गया, जो निर्धारित लक्ष्य से 116.36 प्रतिशत था।

इसी प्रकार, वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक चयनित 12 वन मण्डलों के आर.डी.एफ. उपचार कार्य से सम्बन्धित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि वनमण्डलों द्वारा निर्धारित लक्ष्य 3,61,246.02 हेक्टेयर के तुलना में 3,38,042.15 हेक्टेयर में आर.डी.एफ. उपचार कार्य कराया गया, जो की लक्ष्य से 23,203.90 हेक्टेयर कम था। अतः वनमण्डल की कार्ययोजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उपचार कार्य नहीं हुआ।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि इस कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र 1 एवं 3 में वन मंडलों से प्राप्त अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार धनराशि आवंटित की जाती है। यह भी बताया गया कि निर्धारित लक्ष्य से कम या अधिक क्षेत्र में बिगड़े वनों के उपचार कार्य के कारणों की जानकारी वन मंडलों से प्राप्त की जावेगी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, हमने बिगड़े वनों के सुधार कार्य में कई कमियां देखीं, जिनकी चर्चा आगामी कंडिकओं में की गई है।

3.5.11 वृक्षारोपण कार्य के बिना बिगड़े वनों का सुधार

3.5.11.1 वन विभाग के मैनुअल/कार्य योजनाओं में निर्धारित विधि के अनुसार आरडीएफ के रिक्त क्षेत्रों का उपचार नहीं किया जाना।

वृक्षारोपण कार्य के बिना बिगड़े वनों का सुधार कार्य वहां किया जाता है, जहां विरल वन क्षेत्र में पर्याप्त जड़ भंडार उपलब्ध है। वन नियमावली के पैरा 11.5.2 के अनुसार, ऐसे बिगड़े वन क्षेत्रों में जहां पर्याप्त जड़ भंडार है, वहां उपलब्ध जड़ भंडार से ही कॉपिस[58] प्राप्त किया जाएगा। उस क्षेत्र में वृक्षारोपण नहीं किया जाएगा। वन मैनुअल के पैरा 11.5.3 के अनुसार, अपर्याप्त जड़ भंडार वाले क्षेत्रों के उपचार के लिए उपलब्ध जड़ भंडार से कॉपिस प्राप्त किया जाएगा तथा रिक्त क्षेत्र[59] में उपयुक्त प्रजातियों का रोपण किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्य वन संरक्षक ने 12 चयनित वनमंडलों को 89,934.842 हेक्टेयर बिगड़े वन (वृक्षारोपण रहित) क्षेत्र के उपचार हेतु 1312 कम्पार्टमेंट में कार्य करने के लिए ₹ 156.09 करोड़ का आवंटन जारी किया और इन 12 वनमंडलो ने वर्ष 2019–22 की अवधि के दौरान 89,934.842 हेक्टेयर वन क्षेत्र में उपरोक्त कार्य पर ₹ 151.27 करोड़ का व्यय किया, जैसा कि विवरण ***परिशिष्ट 3.5.1*** में दिया गया है।

कुल 1312 कम्पार्टमेंटों की वनस्पति स्थिति की आगे की जांच से पता चला कि छः[60] वनमंडलों के 114 कम्पार्टमेंटों में, वनमंडलों के अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार, रिक्त वन क्षेत्र 7312.73 हेक्टेयर और जड़ भंडार क्षेत्र (विरल वन) 5384.67 हेक्टेयर था। वनमंडलों ने 5384.67 हेक्टेयर विरल वन क्षेत्र, जहाँ पर्याप्त रूट स्टॉक उपलब्ध था, वृक्षारोपण रहित आरडीएफ कार्य किया, साथ ही 5964.67 हेक्टेयर रिक्त वन क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण रहित आरडीएफ कार्य किया और राशि ₹ 18.87 करोड़ का व्यय किया। कुल व्यय में से, ₹ 10.02 करोड़ की राशि 5964.67 हेक्टेयर रिक्त वन क्षेत्रों[61] में वृक्षारोपण रहित आरडीएफ कार्य पर व्यय किया गया जबकि वन मैनुअल के अनुसार, अपर्याप्त जड़ भंडार वाले क्षेत्र में उपलब्ध रूट स्टॉक से कॉपिस प्राप्त करके एवं रिक्त वन क्षेत्र में वृक्षारोपण सहित कार्य कर क्षेत्र का उपचार कार्य किया जाना चाहिए था।

---

[58] कॉपिसिंग एक पारंपरिक वानिकी प्रबंधन विधि है, जो कई प्रकार की वृक्ष प्रजातियों की इस क्षमता को प्रोत्साहित करती है कि यदि उन्हें काट दिया जाए तो वे अपनी ठूँठ या जड़ों से नए अंकुर निकाल सकें।

[59] एक वृक्षविहीन क्षेत्र जहाँ किसी कारणवश बहुत कम वृक्ष उग रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं उग रहे हैं।

[60] कोरबा, महासमुंद, जशपुर, बलौदाबाजार, बस्तर और बीजापुर।

[61] 114 कंपार्टमेंट्स के कुल 7312.73 हेक्टेयर रिक्त वन क्षेत्र में से वनमंडलों ने 5964.67 हेक्टेयर रिक्त वन क्षेत्र में उपचार कार्य किया।

(जशपुर वनमंडल के कम्पार्टमेंट क्रमांक P1370 में वनमंडल की कार्ययोजना के अनुसार 10.73 हेक्टेयर रिक्त वन क्षेत्र और 9.21 हेक्टेयर विरल वन क्षेत्र) (उपग्रह चित्र दिनांक 26.09.2022)

इस प्रकार, रिक्त वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण रहित आरडीएफ कार्य पर राशि ₹ 10.02 करोड़ खर्च किए, जो रिक्त वन क्षेत्रों के लिए निर्धारित उपचार पद्धति से विचलन था। विवरण ***परिशिष्ट 3.5.2*** में दिया गया है।

राज्य सरकार ने बताया (अगस्त 2023) कि नियत वर्षों में वनमंडलों द्वारा आरडीएफ (वृक्षारोपण रहित) कार्य शुरू करने से पहले उप–वनमंडलाधिकारी और परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा क्षेत्रों का सर्वेक्षण और निरीक्षण किया गया और पाया गया कि रिक्त वन क्षेत्र में जड़ भंडार स्टॉक उपलब्ध था। रिक्त वन क्षेत्र में जड़ भंडार उपलब्ध होने के कारण, आरडीएफ (वृक्षारोपण रहित) कार्य किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सर्वेक्षण के दौरान वनमंडलों के संशोधित स्टॉक मानचित्र तैयार की गई थी, जिसमें रिक्त क्षेत्रों की उपलब्धता दर्शाई गई थी, तदनुसार रिक्त वन क्षेत्रों पर आरडीएफ वृक्षारोपण सहित कार्य किया जाना था। इसके अलावा, 114 कम्पार्टमेंट के रिक्त वन क्षेत्रों में रूट स्टॉक की उपलब्धता की पुष्टि करने के लिए कीहोल मार्कअप लैंग्वेज (केएमएल)[62] फ़ाइल न तो परियोजना प्रतिवेदन के साथ संलग्न की गई थी और न ही वनमंडलों में सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध थी।

3.5.11.2 अकार्य योग्य वन क्षेत्र पर किए गए आरडीएफ कार्य पर राशि ₹ 2.38 करोड़ का परिहार्य व्यय

वनमंडलो द्वारा प्रत्येक वर्ष कार्य योग्य और अकार्य योग्य क्षेत्रों का विवरण, निर्धारित प्रपत्र में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), छत्तीसगढ़ को बजट आवंटन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रपत्र में वन ग्राम, अतिक्रमण, वन अधिकार, पूर्व में किया गया वृक्षारोपण, एफडीए/मनरेगा/कैम्पा/अन्य केन्द्रीय योजना में प्रस्तावित क्षेत्र तथा अन्य कारणों से अपात्र क्षेत्रों को अकार्य योग्य क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया, जबकि रिक्त तथा विरल वन क्षेत्रों को कार्ययोग्य क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा पुष्टि की गई (जुलाई 2023) कि अतिक्रमण, एफडीए/मनरेगा/कैंपा/अन्य केंद्रीय योजना में प्रस्तावित क्षेत्र को अकार्य योग्य माना गया और शेष क्षेत्र को कार्य योग्य माना गया।

[62] कीहोल मार्कअप लैंग्वेज (केएमएल) फ़ाइलें गूगल अर्थ प्रो इमेज फ़ाइलें होती हैं, जिनका उपयोग उपचारित क्षेत्रों से संबंधित जानकारी देखने और साझा करने के लिए किया जाता है। ये फ़ाइलें भौगोलिक डेटा और गूगल अर्थ से संबंधित सामग्री को संग्रहित करती हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वन मंडलों ने कम्पार्टमेंट के अकार्य योग्य क्षेत्रों में आरडीएफ (वृक्षारोपण रहित) कार्य का क्रियान्वयन किया गया, जैसा कि आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

(क) अतिक्रमित वन क्षेत्र में बिगड़े वनों का सुधार कार्य किया जाना

कार्ययोजना के अनुसार, जन सहयोग एवं विधिक प्रक्रिया के माध्यम से अतिक्रमण को हटाकर वनरोपण द्वारा वनों के अतिक्रमित क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया जाना था तथा पुनः हरित क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों के वृक्षारोपण किए जाने थे। अतिक्रमित क्षेत्रों के आसपास स्थित घने जंगलों में, जड़ भंडार को पूर्णतः संरक्षित रखते हुए प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए उपचार किया जाना था।

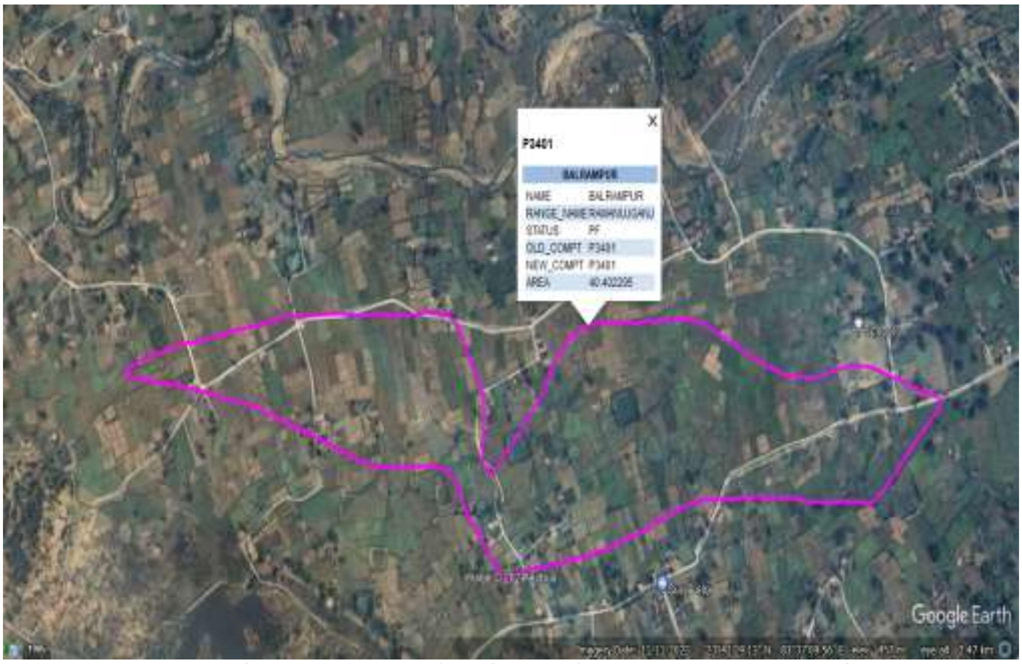

{बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज परिक्षेत्र के कंपार्टमेंट क्रमांक पी 3401 की के एम् एल फ़ाइल से गूगल अर्थ प्रो द्वारा उत्पन्न छवि, जिसमें पूरे कंपार्टमेंट में अतिक्रमण दर्शाया गया है, जहाँ पर वन विभाग द्वारा आर डी एफ कार्य किए जाने का दावा किया गया था (दिनांक 11/11/2023 का उपग्रह चित्र)}

यह पाया गया कि 2019–22 की अवधि के दौरान, वनमंडलाधिकारी बलरामपुर वनमंडल ने ₹ 32.92 करोड़ के व्यय के साथ 225 कम्पार्टमेंट्स के 18349.967 हेक्टेयर में आरडीएफ (वृक्षारोपण रहित) कार्य किया। वनमंडल के अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार, 225 कम्पार्टमेंट में से 10 में कुल कार्य योग्य क्षेत्रफल 1601.38 हेक्टेयर था। वर्ष 2019–22 के दौरान, 10 कम्पार्टमेंट में 1531.38 हेक्टेयर कार्य योग्य क्षेत्रफल के उपचार के लिए धनराशि आवंटित की गई, जिसमें 575.12 हेक्टेयर अतिक्रमित क्षेत्र शामिल था। हालांकि, 10 कंपार्टमेंट के अतिक्रमित क्षेत्र में आरडीएफ कार्यों की परियोजना प्रतिवेदन में अतिक्रमित क्षेत्रों को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त 10 कंपार्टमेंट के स्टॉक मैप से पता चलता है कि वहां अतिक्रमित क्षेत्र थे। इसके बावजूद वनमंडल ने 575.12 हेक्टेयर अतिक्रमित क्षेत्र में वृक्षारोपण रहित आरडीएफ कार्य कर राशि ₹ 99.14 लाख खर्च किए। परिणामस्वरूप, अतिक्रमित क्षेत्रों में आरडीएफ कार्य करने के कारण राशि ₹ 99.14 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। ***(परिशिष्ट 3.5.3)***.

इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि कार्ययोजना के प्रावधानों के अनुसार कार्य योग्य क्षेत्र और कुछ अतिक्रमण मुक्त क्षेत्रों को शामिल करते हुए बिगड़े वनों का उपचार कार्य किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वनमंडल के स्वीकृत कार्ययोजना के साथ–साथ परियोजना प्रतिवेदन के साथ संलग्न कम्पार्टमेंट के टोपोशीट मानचित्र में भी 10 कम्पार्टमेंट के 575.12 हेक्टेयर क्षेत्र को अतिक्रमित क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया था। इसके अलावा, वनमंडल द्वारा उपलब्ध कराए गए कम्पार्टमेंट की केएमएल फ़ाइलों (गूगल अर्थ प्रो द्वारा उपचार स्थलों की छवि) में भी इन क्षेत्रों में अतिक्रमण दिखाई दे रहा था।

(ख) वनग्राम क्षेत्र में बिगड़े वनों के सुधार कार्य

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) ने स्पष्ट किया (जुलाई 2023) कि अन्य कारणों से अनुपयोगी क्षेत्र में नदी/नाला, वन पथ, वन ग्राम (वनग्राम), डूब क्षेत्र और चट्टानी क्षेत्र शामिल हैं।

वन नियमावली की कंडिका क्रमांक 25.28 के अनुसार, सुदूर वनांचलों में वानिकी कार्यों हेतु श्रमिकों की निरंतर आवश्यकता को देखते हुए, वन विभाग द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनों में श्रमिक शिविरों की स्थापना की गई थी। इन श्रमिकों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ वन भूमि पर कृषि करने तथा मकान बनाने की अनुमति दी गई थी। बाद में वन श्रमिकों के इन शिविरों को वनग्राम नाम दिया गया।

(बीजापुर वनमंडल का कंपार्टमेंट क्रमांक C/IX 254 जिसमें विभाग ने 60.942 हेक्टेयर क्षेत्र में आरडीएफ उपचार करने का दावा किया है जबकि बीजापुर वनमंडल की कार्ययोजना में इस पूरे क्षेत्र को वनग्राम के रूप में वर्गीकृत किया गया है) (दिनांक 04.07.2023 का सैटेलाइट चित्र)

यह पाया गया कि वर्ष 2019–22 के दौरान, बीजापुर वनमंडल ने ₹ 30.77 करोड़ के व्यय के साथ 104 कम्पार्टमेंट के 18923.721 हेक्टेयर में आरडीएफ (बिना वृक्षारोपण) कार्य किया। वनमंडल की अनुमोदित कार्य योजना की आगे की जांच से पता चला कि इन 104 कम्पार्टमेंट में से, सात कम्पार्टमेंट का कुल क्षेत्रफल 968.986 हेक्टेयर था, जिसमें से 173.565 हेक्टेयर को रिक्त और विरल वन क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया था और शेष 795.421 हेक्टेयर को कार्य करने योग्य क्षेत्रों के अंतर्गत "वनग्राम" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि, कम्पार्टमेंट की परियोजना रिपोर्ट में इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इन सात कम्पार्टमेंट से वनग्राम क्षेत्रों को कब खाली कराया गया/हटा दिया गया। इसके अलावा, इन कम्पार्टमेंट की केएमएल फ़ाइल के माध्यम से प्राप्त उपग्रह छवि से पता चलता है कि वनग्राम वहाँ स्थित है। बीजापुर वनमंडल ने इन कम्पार्टमेंट के 173.565 हेक्टेयर रिक्त क्षेत्र के साथ–साथ वनग्राम के

795.421 हेक्टेयर कार्य योग्य क्षेत्र में ₹ 1.67 करोड़ आरडीएफ (बिना वृक्षारोपण) कार्य किया गया। चूंकि वनग्राम में लोग कृषि कार्य करते है तथा वहां उनके घर भी बने हुए थे, इसलिए ऐसे वन क्षेत्र में बिगड़े वनों का उपचार कार्य करना संभव नहीं था, परिणामस्वरूप 795.421 हेक्टेयर वनग्राम क्षेत्र में आरडीएफ (वृक्षारोपण रहित) कार्य पर राशि ₹ 1.39 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ। ***(परिशिष्ट 3.5.4)***

इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि लेखापरीक्षा द्वारा गलत तरीके से वनग्राम को अकार्य योग्य क्षेत्र मानकर व्यय को संदिग्ध माना गया है, जबकि स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार, वनग्राम को कार्य योग्य क्षेत्र में रखा गया है। अतः स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार, वनग्राम के क्षेत्र में उपचार कार्य कराया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में लेखापरीक्षा को सूचित किया है कि वनग्राम को अकार्य योग्य क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। साथ ही, उपरोक्त छः कम्पार्टमेंट की सैटलाइट चित्र को दिखाने वाली केमल फ़ाइलों से, यह स्पष्ट है कि अभी भी वनग्राम मौजूद है और लोगों का कब्जा है क्योंकि झोपड़ियाँ और खेती का क्षेत्र छवियों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

3.5.11.3 लाइव हेज के निर्माण के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन न करने के कारण अतिरिक्त व्यय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर ने विभिन्न कार्यों के लिए अनुसूचित दर निर्धारित (नवंबर 2013) की है। विभाग की अनुसूचित दर के अनुसार, लाइव हेज निर्माण कार्य के अंतर्गत साइट पर पहुंचकर गड्ढा खोदना, कैटल प्रूफ ट्रेंच (सीपीटी)[63] की मेड़ पर एक लाइन में अरंडी, नागफनी, बबूल, जट्रोफा आदि के पौधे लगाना आदि 100 रनिंग मीटर के लिए 1.25 मानव दिवस निर्धारित किया गया तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा आरडीएफ कार्य के अंतर्गत लाइव हेज के निर्माण, में आरसीसी पोल/कांटेदार तारों के बाड़ा के किनारे दो पंक्तियों में अरंडी, नागफनी, बबूल, जट्रोफा आदि के रोपण के लिए 130 रनिंग मीटर के लिए 3.50 मानव दिवस (100 रनिंग मीटर के लिए 2.69 मानव दिवस[64] निर्धारित किया।

(क) लेखापरीक्षा में लाइव हेजे के निर्माण में तीन वनमंडलों में कुछ अनियमितताएं पाई गईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः —

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019—22 की अवधि के दौरान, वनमंडल ने 85 आरडीएफ कम्पार्टमेंट के बाहरी हिस्से में 9,90,732.53 रनिंग मीटर में सीपीटी कार्य किया, जहां आरडीएफ कार्य किए गए थे। हालांकि, खोदी गई सीपीटी की मेड़ में दो पंक्तियों में लाइव हेज (गड्ढे खोदना, पौधे लगाना आदि) का निर्माण 20,78,458.44 रनिंग मीटर में किया, जिस पर विभाग ने राशि ₹ 1.67 करोड़ की राशि व्यय किया। आगे, उपरोक्त 85 कम्पार्टमेंट्स की परियोजना प्रतिवेदनों की जांच में पाया गया कि लाइव हेज कार्य (पौधा लगाना, साइट पर पहुंचना और सीपीटी की मेड़ में गड्ढे खोदना) 2.5 मानव दिवस (1.25 मानव दिवस x 2 लाइन) के बजाय 3.5 मानव दिवस की दर से परियोजना तैयार कर कार्य किया गया। परिणामस्वरूप लाइव हेज के निर्माण में

---

63 सीपीटी (कैटल प्रूफ ट्रेंच) का निर्माण उपचारित क्षेत्र की बाहरी सीमा पर 1.5 x 0.70 x 0.75 मीटर आकार की नाली खोदकर किया जाता है। खुदी हुई मिट्टी से अंदर की ओर मेड़ बनाई जाती है और उस पर कांटेदार पौधे लगाए जाते हैं ताकि पशु उपचारित क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें।

64 (3.5 x 100/130) = 2.69 मानव दिवस

निर्धारित मानव दिवस के अनुरूप कार्य न करने के कारण राशि ₹ 93.87 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ ***(परिशिष्ट 3.5.5)***।

इंगित किये जाने पर शासन ने कहा (सितंबर 2023) कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा आरडीएफ कार्य के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार दो लाइनों में लाइव हेज का कार्य किया गया, 2.5 मानव दिवस में कार्य करवाया जाना संभव नहीं था। इस तरह, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ।

(ख) इसी प्रकार, सूरजपुर वनमंडल में वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक आरडीएफ कार्य के दौरान 87 कम्पार्टमेंट में 3,99,859.59 रनिंग मीटर में सीपीटी का निर्माण किया। इस निर्मित सीपीटी के मेड़ में दो पंक्ति में लाइव हेज का निर्माण किया जाना था और निर्धारित मानदंडों के अनुसार राशि ₹ 31.25 लाख व्यय किया जाना था। लेकिन वनमंडल ने इस पर ₹ 70.71 लाख व्यय कर दिए। परिणामस्वरूप, लाइव हेज के निर्माण में मानव दिवसों के निर्धारित मानदंडों का पालन न करने के कारण राशि ₹ 39.46 लाख का अधिक व्यय हुआ ***(परिशिष्ट 3.5.6)***।

इंगित किये जाने पर वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर ने बताया (सितंबर 2023) कि दो लाइनों में गड्ढे बनाने, पौधों को साइट पर ले जाने और सीपीटी के मेड़ पर रोपण कार्य के लिए 3.5 मानव दिवसों के साथ परियोजना रिपोर्ट तैयार कर धनराशि खर्च की गई ।

बीजापुर और सूरजपुर वनमंडलों के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि आरडीएफ मानदंडों के अनुसार, 130 रनिंग मीटर के लिए 3.5 मानव दिवस (100 रनिंग मीटर के लिए 2.69 मानव दिवस) वहां लागू होंगे जहां जेट्रोफा/नागफनी के पौधे, खंभों/कांटेदार तारों वाली बाड़ के किनारे लगाये जाते है। जबकि वनमंडल ने सीपीटी कार्य किया और जेट्रोफा/नागफनी/बबुल के पौधे सीपीटी की मेड़ में लगाए गए। इसलिए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुसूचित दर के अनुसार, उपरोक्त कार्य 2.5 मानव दिवस पर किया जाना था।

(ग) कोरिया एवं जशपुर वनमण्डलों के अभिलेखों की जांच के दौरान देखा गया कि वनमण्डलों द्वारा वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि में 139 कम्पार्टमेंट में 4,42,896 रनिंग मीटर में सीमेंट कंक्रीट पोल की फेंसिंग का कार्य किया गया। बिगड़े वनों के उपचार कार्य के अंतर्गत 4,42,896 रनिंग मीटर फेंसिंग के किनारे दो लाइनों में अरंडी, नागफनी, बबूल, जट्रोफा आदि का रोपण कर लाइव हेज का निर्माण किया जाना था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 139 कम्पार्टमेंट में 4,42,896 रनिंग मीटर के स्थान पर 9,24,268.95 रनिंग मीटर लाइव हेज के लिए दो पंक्तियों में हेजिंग कार्य के लिए 2.69 मानव दिवस प्रति रनिंग मीटर पर राशि ₹ 300 से राशि ₹ 323 प्रतिदिन की मजदूरी दर लागू करके अनुचित तरीके से व्यय की गणना की गई थी। परिणामस्वरूप, मात्रा की गलत गणना[65] के कारण राशि ₹ 38.99 लाख का अधिक व्यय हुआ, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.5.7*** में विस्तृत है।

इंगित किये जाने पर वनमंडलाधिकारी ने बताया (सितंबर 2023) कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने आरडीएफ (वृक्षारोपण रहित) कार्य के लिए मानदंड तय किए थे। तदनुसार, परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई और 3.5 मानव दिवस में

[65] सीपीटी की किनारे पर दो पंक्तियों में हेजिंग कार्य के लिए प्रमुख मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित दर 2.5 मानव दिवस थी, लेकिन व्यय की गणना करते समय विभाग द्वारा गलती से इस मात्रा को दुगुना कर दिया गया।

दो लाइन में लाइव हेज कार्य किया गया। कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने दो पंक्तियों में हेजिंग कार्य के लिए प्रति 130 रनिंग मीटर पर 3.5 मानव दिवस निर्धारित किया था, न कि एक लाइन में कार्य के लिए। हालांकि, वनमंडल ने व्यय की गणना करते समय 100 मीटर के लिए 3.5 मानव दिवस प्रति 100 रनिंग मीटर जो कि दो पंक्तियों के लिए लाइव हेज के लिए निर्धारित था, को अपनाते हुए की, लेकिन निर्मित फेंसिंग क्षेत्र को दोगुना करके व्यय की गणना की।

इस प्रकार, व्यय की गणना के लिए लिया गया मात्रा सही नहीं था।

3.5.11.4 सफाई कार्य पर राशि ₹ 1.11 करोड़ का अधिक व्यय

कार्ययोजना के अनुसार, आबादी वाले क्षेत्रों से सटे कम घनत्व वाले विरल और बहुत खुले वनक्षेत्रों को आरडीएफ/पीएलडब्लूसी कार्य वृत्त में शामिल किया गया है। किसी भी क्षेत्र की सफाई कार्य के अंतर्गत उस क्षेत्र की झाड़ियों की कटाई किया जाना शामिल है और मिट्टी के कटाव से प्रभावित न होने वाले क्षेत्रों में लैंटाना (खरपतवार) को जड़ सहित उखाड़ दिया जाएगा एवं पेड़–पौधों के प्रजनन को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए बिना जमीन को जोतकर या कुदाल चलाकर बीज बोए जाएंगे। स्टंप की ड्रेसिंग की जाएगी और विकृत पौधों की छंटाई की जाएगी। यदि एक स्टंप की कई कॉपिस हैं, तो विभिन्न उपलब्ध प्रजातियों के अच्छे प्रजनन के लिए दो स्वस्थ कॉपिस रखना और बाकी को काटना आवश्यक होगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु निर्धारित (नवम्बर 2013) दर के अनुसार, सघन जड़ भंडार वाले क्षेत्र की सफाई हेतु जिसमे 20 सेमी तक के गोलाकार आकार के अनुपयोगी/कॉपिस प्रजातियों के पौधों एवं स्टंप की कटाई, ड्रेसिंग एवं सफाई कार्य किया जावेगा, प्रति हेक्टेयर **नौ मानव दिवस** एवं अल्प जड़ भंडार वाले क्षेत्रों के लिए प्रति हेक्टेयर **पांच मानव दिवस** की दर निर्धारित की गई।

दो[66] वनमंडलो के अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 2019–20 से 2022–23 के दौरान वनमंडलो ने 519 कम्पार्टमेंट्स[67] के 33891.58 हेक्टेयर में आरडीएफ (वृक्षारोपण रहित) कार्य किया। आगे, उपरोक्त कार्य की परियोजना रिपोर्ट और वाउचर की जांच के दौरान देखा गया कि 519 कम्पार्टमेंट्स में से 186 से संबंधित कुल 14330.78 हेक्टेयर में उपचार कार्य के दौरान, वनमंडल ने 9088.27 हेक्टेयर को सघन वन और शेष 1718.73 हेक्टेयर को विरल वन मानते हुए सफाई कार्य किया, जिस पर राशि ₹ 2.77 करोड़ खर्च हुए।

कार्य योजना के अनुसार, आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त में केवल विरल वन/रिक्त/खुले वन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। यदि वन क्षेत्र सघन है तो उस क्षेत्र को अन्य कर्यवृत जैसे विशेष सह सुधार कार्यवृत्त/सुधार कार्यवृत्त/संरक्षण कार्यवृत्त आदि कार्यवृत में वर्गीकृत किया जाएगा और इसे आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता है। वनमंडल की कार्ययोजना के अनुसार, इन 186 कम्पार्टमेंट को आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त के रूप में वर्गीकृत किये गये थे, जिसका अर्थ है कि इन कम्पार्टमेंट में कोई घना जंगल नहीं था। तथापि, विभाग ने प्रति हेक्टेयर पांच मानव दिवसों के बजाय नौ मानव दिवसों की दर से क्षेत्र सफाई का कार्य किया। परिणामस्वरूप, विरल वन क्षेत्र को सघन वन क्षेत्र मानकर और

66 बलरामपुर और बस्तर

67 बस्तर – 294 कम्पार्टमेंट (15541.613 हेक्टेयर) + बलरामपुर – 225 कम्पार्टमेंट (18349.967 हेक्टेयर)

अधिक मानव दिवस का उपयोग करके क्षेत्र सफाई कार्य किये जाने के कारण राशि ₹ 1.11 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.5.8*** में विस्तृत है।

इंगित किये जाने पर, वनमंडलाधिकारी बस्तर ने बताया (सितम्बर 2023) कि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, सघन/कम जड़ भंडारण वाले वनक्षेत्रों में सफाई कार्य हेतु प्रावधान था। आरडीएफ कार्य कराए जाने के पूर्व परिक्षेत्र अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है। वन क्षेत्र में सघन रूट स्टॉक विद्यमान था, अतः निर्धारित मापदण्डों एवं स्वीकृत दर अनुसूचि के अनुसार क्षेत्र सफाई कार्य कराया गया।

वनमंडलाधिकारी बलरामपुर ने बताया (अगस्त 2023) कि चूंकि मापदण्ड वर्ष 2017 में निर्धारित किए गए थे तथा कार्य वर्ष 2020–2022 की अवधि में कराया गया, अतः उक्त अवधि में मजदूरी/सामग्री की दरों में वृद्धि होने के कारण कार्य हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सम्पूर्ण क्षेत्र में कार्य कराया जाना संभव नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने कम जड़ भंडार वाले क्षेत्र में सफाई कार्य के लिए पांच मानव दिवस का मानदंड तय किया है। वे कम्पार्टमेंट जिनमें कम जड़ भंडार वाले/रिक्त/खुले वन क्षेत्र हैं, उन्हें आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त में शामिल किया गया है। चूंकि आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त के ये 188 कम्पार्टमेंट कम स्टॉक वाले/रिक्त/खुले वन क्षेत्र थे, इसलिए, विरल वन क्षेत्र की सफाई का काम निर्धारित पांच मानव दिवसों के अनुसार किया जाना था।

3.5.12 वृक्षारोपण कार्य के साथ बिगड़े वनों का सुधार

वृक्षारोपण के साथ आरडीएफ के मानदंडों के अनुसार, यदि एक स्थान पर 10 हेक्टेयर से अधिक रिक्त क्षेत्र[68] उपलब्ध है और आरडीएफ क्षेत्र में रूट स्टॉक पर्याप्त नहीं है, तो उस क्षेत्र को वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण कार्य और वृक्षारोपण क्षेत्र को आग, चराई और अतिक्रमण से बचाया जा कर क्षेत्र को उपचारित किया जाना है।

3.5.12.1 बांस रोपण पर अतिरिक्त व्यय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ ने प्रथम वर्ष से छठे वर्ष तक बांस रोपण कार्य हेतु प्रति हेक्टेयर अधिकतम व्यय के मापदंड[69] निर्धारित (जून 2017) किए।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2022) कि मुख्य वन संरक्षक, रायपुर ने 13 कम्पार्टमेंट के 449.83 हेक्टेयर में बांस रोपण के लिए क्षेत्र तैयारी (दूसरे वर्ष का कार्य) के लिए वर्ष 2021–22 की अवधि के दौरान महासमुंद वनमंडल को राशि ₹ 1.77 करोड़ (₹ 39,366 प्रति हेक्टेयर) जारी किए थे। आवंटन के विरुद्ध, वनमंडल ने इन 13 कम्पार्टमेंट में से चार[70] के 87 हेक्टेयर में बांस रोपण के लिए क्षेत्र तैयारी कार्य पर राशि ₹ 82.10 लाख का व्यय किया। हालांकि, प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा बांस रोपण के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार, 87 हेक्टेयर में अधिकतम व्यय राशि ₹ 34.25[71] लाख किया जाना था। इस प्रकार, बांस रोपण के निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं करने के कारण वनमंडल ने कार्य पर राशि ₹ 47.85 लाख का अधिक व्यय किया था।

---

68 एक वृक्षहीन क्षेत्र जहाँ किसी कारणवश बहुत कम वृक्ष उग रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं उग रहे हैं।

69 प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुसार बांस रोपण के मानदंड–– प्रथम वर्ष– ₹ 600 प्रति हेक्टेयर, दूसरे वर्ष– ₹ 39366 प्रति हेक्टेयर, तीसरे वर्ष– ₹ 16659 प्रति हेक्टेयर, चौथे वर्ष– ₹ 3870 प्रति हेक्टेयर, पांचवें वर्ष– ₹ 1800 प्रति हेक्टेयर और छठे वर्ष– ₹ 1819 प्रति हेक्टेयर,

70 चार कम्पार्टमेंट –– (C/X 36 -10 हे., C/X 72 -22 हे., C/X 35 -15 हे., और C/X 20 - 40 हे.)

71 ₹ 39,366 X 87

इसी प्रकार, वनमंडल ने वर्ष 2021–22 के दौरान दो कम्पार्टमेंट[72] के 50 हेक्टेयर में बांस रोपण का तृतीय वर्ष का कार्य भी किया था। मानदंडों के अनुसार, राशि ₹ 16,659 प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम अनुमेय व्यय राशि ₹ 8.33[73] लाख था। लेकिन, वनमंडल ने राशि ₹ 13.77 लाख का व्यय किया, परिणामस्वरूप, राशि ₹ 5.44 लाख का अधिक व्यय हुआ। इस प्रकार, वनमंडल द्वारा बांस रोपण के मानदंडों का पालन न करने के कारण कार्यों पर राशि ₹ 53.29 लाख का अधिक व्यय हुआ।

राज्य सरकार ने बताया (अगस्त 2023) कि मुख्य वन संरक्षक और वनमंडलाधिकारी को पत्र लिखकर मामले में उत्तर मांगा गया है। वनमंडल से उत्तर मिलने के बाद जल्द ही उत्तर दिया जावेगा।

3.5.12.2 असफल वृक्षारोपण

वन नियमावली 2020 के पैरा क्रमांक 11.2.3 के अनुसार, वृक्षारोपण पूर्ण होने के पश्चात, वृक्षारोपण के प्रभारी वनरक्षक (प्रत्येक वर्ष अक्टूबर एवं मार्च माह में) जीवित बचे पौधों का प्रतिशत गिनेंगे। यह गणना पांच वर्षों की अवधि के दौरान रोपित पौधों की चयनित 20 प्रतिशत पंक्तियों में जीवित बचे पौधों की संख्या की गणना करके की जाएगी। इस प्रकार प्राप्त जीवित रहने के प्रतिशत को वनमंडल के वृक्षारोपण पत्रिका एवं वृक्षारोपण पंजी में दर्ज किया जाएगा। पैरा 11.2.5 के अनुसार, वृक्षारोपण के तीन वर्ष पश्चात्, उसकी सफलता का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा:–

क्र.	वृक्षारोपण का प्रकार	वृत्त नाम	सफल वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम जीविता प्रतिशत
1	असिंचित वृक्षारोपण (कैटल ट्रेंच सहित)	सभी कार्यवृत	40 प्रतिशत से अधिक
2	असिंचित, उच्च तकनीक वृक्षारोपण (कांटेदार तार की फेंसिंग सहित)	बिलासपुर/दुर्ग/रायपुर	60 प्रतिशत से अधिक
		जगदलपुर/कांकेर/सरगुजा	70 प्रतिशत से अधिक
3	सिंचित वृक्षारोपण	सभी कार्यवृत	85 प्रतिशत से अधिक

(स्त्रोतः वन मैनुअल 2020)

इसके अलावा, वन नियमावली के पैरा 11.2.6 के अनुसार, असफल वृक्षारोपण पर होने वाला व्यय सरकार के लिए वित्तीय हानि माना जाएगा, जिसकी सूचना महालेखाकार एवं सरकार को देनी होगी। हानि की राशि की वसूली जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों से की जावेगी।

आरडीएफ कार्य के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य के अभिलेखों की जांच के आधार पर की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है:

(क) महासमुंद वनमंडल में लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019–22 की अवधि में आरडीएफ उपचार कार्य के अंतर्गत 47 कम्पार्टमेंट के 1092.32 हेक्टेयर में 5,31,428 पौधे रोपे गए, जिस पर राशि ₹ 2.22 करोड़ रुपए व्यय हुए। आगे यह भी देखा गया कि इन 47 कम्पार्टमेंट में से तीन कम्पार्टमेंट[74] के 85 हेक्टेयर में 55,000 पौधे रोपे गए। वनमंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर लेखापरीक्षा ने यह देखा कि सितंबर 2022 तक इन तीन कम्पार्टमेंट C/VIII 40, C/VIII 144 और C/IX 20 में रोपे गए पौधों का जीवित रहने का प्रतिशत क्रमशः 36.50 प्रतिशत, 44 प्रतिशत और 51.54

[72] C/X 281- 20 हेक्टेयर और C/X 271 – 30 हेक्टेयर

[73] ₹ 16,659 X 50 हे = ₹ 8,32,590

[74] C/VIII 40, C/III 144, C/IX 20

प्रतिशत था, जो कि कांटेदार तार की बाड़ के साथ उच्च तकनीक वाले असिंचित वृक्षारोपण के लिए निर्धारित न्यूनतम जीवित रहने के मानक 60 प्रतिशत से कम था।

इंगित किये जाने पर, शासन द्वारा बताया गया (अगस्त 2023) कि उच्च कार्यालय से प्राप्त निर्देशों एवं समय–समय पर जारी आदेशों के अनुपालन में मृत पौधों के स्थान पर पौध रोपण का प्रतिस्थापन का कार्य किया गया है। माह जनवरी 2023 की स्थिति में कम्पार्टमेंट क्रमांक 40,144 एवं 20 में रोपित पौधों का जीवित प्रतिशत क्रमशः 75,95 एवं 50 है, जिसकी प्रविष्टि रोपण पंजिका में दर्ज है।

विभाग का उत्तर इस तथ्य की स्वीकारोक्ति है कि जो पौधे मर गए थे, उनके स्थान पर नए पौधे रोपे गए। साथ ही विभाग ने यह भी कहा कि कंपार्टमेंट नंबर 20 में रोपे गए पौधों का जीवित रहने का प्रतिशत 50 प्रतिशत है, जिसे असफल रोपण माना जाता है, क्योंकि यह सफल रोपण के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित सफलता दर (60 प्रतिशत) से कम है।

(ख) लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019–22 की अवधि के दौरान, मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा ने कंपार्टमेंट क्रमांक 2745 के 40 हेक्टेयर में मिश्रित वृक्षारोपण कार्य के लिए बलरामपुर वनमंडल को कुल राशि ₹ 54.14 लाख (दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष का कार्य के लिए) का आवंटन किया। वन मंडल ने वर्ष 2019–22 के दौरान 44,000 पौधे लगाकर वृक्षारोपण कार्य प्रारंभ किया और राशि ₹ 54.14 लाख का व्यय किया।

कंपार्टमेंट क्रमांक 2745 की परियोजना प्रतिवेदन की जांच के दौरान देखा गया कि वनमंडल ने वर्ष 2020 में इस कंपार्टमेंट के 40 हेक्टेयर क्षेत्र में 44,000 पौधे (सागौन, बीजा, शीशम व अन्य पौधे) रोपे थे। हालांकि, परिक्षेत्र अधिकारी, राजपुर के साथ उक्त कंपार्टमेंट के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2023) किए जाने पर देखा गया कि केवल 10–15 प्रतिशत पौधे ही जीवित थे और शेष 85–90 प्रतिशत पौधे मर चुके थे। पौधों की अत्यधिक मृत्यु मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप से उगे पौधों के कारण थी जो नए वृक्षारोपण के विकास में बाधा डाल रहे थे। परिणामस्वरूप, पौधों की मृत्यु दर निर्धारित मानदंड 30 प्रतिशत से बहुत अधिक थी, जो वृक्षारोपण की विफलता को दर्शाता है।

इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि रिक्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य किया गया है, जिसमें जड़ भंडार नहीं था। दिनांक 04.07.2023 को बीट गार्ड, परिक्षेत्र सहायक, परिक्षेत्र अधिकारी एवं उप वन अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा वृक्षारोपण क्षेत्र का पुनः निरीक्षण किया गया, जिसमें 78 प्रतिशत पौधे जीवित पाए गए तथा पौधों की वृद्धि अच्छी पाई गयी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिक्षेत्र अधिकारी की उपस्थिति में किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया था कि पौधों की मृत्यु दर अत्यधिक थी और केवल 10 से 15 प्रतिशत पौधे ही जीवित थे, जिसे परिक्षेत्र अधिकारी ने प्रमाणित किया था। उक्त कंपार्टमेंट संख्या 2745 की वर्तमान गूगल इमेज (केएमएल फाइल) वनमंडल कार्यालय से मांगी गई थी, ताकि रोपण की स्थिति का आकलन किया जा सके, लेकिन यह लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई और इसके बजाय उनके कर्मचारियों द्वारा की गई भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई।

(ग) वर्ष 2022–23 के लिए अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (निगरानी एवं मूल्यांकन) में वृक्षारोपण स्थलों की अंतर वृत्तीय निगरानी एवं मूल्यांकन रिपोर्ट

की लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि 30 कम्पार्टमेंटों में पौधों का जीवित रहने का प्रतिशत, निर्धारित प्रतिशत से कम था। जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.5.9*** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2015–22 की अवधि में 12 वनमंडलो के 30 कम्पार्टमेंटों के 935.33 हेक्टेयर क्षेत्र में मिश्रित वृक्षारोपण कार्य किया गया, जिसमें 3,24,798 पौधे ₹ 10.85 करोड़ व्यय कर रोपे गए। वर्ष 2022–23 की निगरानी एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि 12 वनमंडलो के इन 30 कम्पार्टमेंटों में मात्र एक से 63 प्रतिशत पौधे ही जीवित रहे तथा शेष 99 से 37 प्रतिशत पौधे जीवित नहीं रहे। इस प्रकार, निर्धारित 30 प्रतिशत के मानदंड से अधिक पौधों की अत्यधिक मृत्यु के कारण 3.76 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय हुआ।

इंगित किये जाने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बताया (सितंबर 2023) कि असफल वृक्षारोपण में हुई क्षति की गणना करते हुए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए वन मंडलो को पत्र लिखा गया है।

3.5.12.3 अकार्य योग्य क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किये जाने से परिहार्य व्यय

नमूना परीक्षण किए गए सभी वनमंडलों के कार्य योजना, कम्पार्टमेंट इतिहास, कैशबुक और भुगतान वाउचर की जांच (अगस्त 2022) के दौरान, देखा गया कि मुख्य वन संरक्षक, रायपुर ने महासमुंद वनमंडल को 11 कम्पार्टमेंट के 449.83 हेक्टेयर में बांस रोपण कार्य के लिए राशि ₹ 1.77 करोड़ स्वीकृत (मई 2021) किए। वनमंडल ने वर्ष 2021–22 के दौरान 11 कम्पार्टमेंट के 449.83 हेक्टेयर में बांस रोपण कार्य किया और राशि ₹ 1.39 करोड़ का व्यय किया। इन 11 कम्पार्टमेंट में से एक (C/X 327) में 64.61 हेक्टेयर में ₹ 14.75 लाख का व्यय कर 25,844 पौधे लगाए गए। वनमंडल के अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार, कम्पार्टमेंट C/X 327 का कार्ययोग्य क्षेत्र "शून्य" और 64.61 हेक्टेयर अकार्य योग्य क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था। इस कम्पार्टमेंट में कार्य योग्य क्षेत्र की अनुपलब्धता के बावजूद, राशि ₹ 14.74 लाख की लागत से 64.61 हेक्टेयर में 25,844 बांस के पौधे रोपे गए, जो कि परिहार्य और अनियमित था।

इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि कंपार्टमेंट क्रमांक C/X 327 का क्षेत्रफल 64.61 हेक्टेयर है। कार्ययोजना से मिलान करने पर पता चला कि उक्त कंपार्टमेंट में 23.63 हेक्टेयर क्षेत्र पहले से ही रिक्त था। परिक्षेत्र अधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी सरायपाली द्वारा स्थल निरीक्षण के बाद रिक्त क्षेत्र पाया गया तथा उस क्षेत्र का चयन पौधरोपण के लिए किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वनमंडल के अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार, कम्पार्टमेंट मे कार्य योग्य क्षेत्र "शून्य" था, केवल अकार्य योग्य क्षेत्र उपलब्ध था और कार्य योजना के अनुलग्नक से स्पष्ट था कि किसी भी प्रकार के उपचार के लिए कम्पार्टमेंट में कार्य करने योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं था।

3.5.12.4 क्रय नियम का पालन किए बिना सामग्री का अनियमित क्रय

भण्डार क्रय नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार परिशिष्ट 1 में उल्लेखित वस्तुओं की दरों का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) द्वारा की जाएगी तथा इन वस्तुओं का क्रय विभागों द्वारा सीधे किया जा सकेगा। अन्य वस्तुएं, जिनका उल्लेख परिशिष्ट 1 में नहीं है, का क्रय संबंधित विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा। क्रय नियम 4.3.1 एवं 4.3.2 के अनुसार, जिसमें अनुमानित वार्षिक क्रय राशि ₹ 5001 एवं राशि ₹ 50,000 के मध्य है, क्रय सीमित निविदा प्रणाली के अंतर्गत कम से कम तीन आपूर्तिकर्ताओं से सीधे संपर्क कर क्रय किया जाएगा तथा अनुमानित वार्षिक क्रय राशि

₹ 50,000 से अधिक होने पर क्रमशः खुली निविदा प्रणाली के अंतर्गत क्रय किया जाएगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने (मार्च 2021) निर्देश जारी किए थे कि सभी वृक्षारोपण कार्यों में उपयोग होने वाले गोबर, वर्मी कम्पोस्ट इत्यादि को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित "गौठान" से कृषि विकास एवं कृषक कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर क्रय किया जाना है अथवा संबंधित जिला कृषि अधिकारी द्वारा "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी करने के पश्चात प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के अनुमोदन के पश्चात ही छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 का पालन करते हुए अन्य संस्थाओं से क्रय किया जा सकता है।

बलरामपुर और महासमुंद के वनमंडलों के सामग्री की क्रय से संबधित अभिलेखों का परीक्षण किए जाने पर निम्नलिखित कमियां पाईः

(क) इन दोनों[75] वनमंडलो के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, यह पाया गया कि वर्ष 2020–22 की अवधि के दौरान, दो निजी फर्मों[76] और संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जेएफएमसी) से बीजों के क्रय पर राशि ₹ 30.75 लाख का भुगतान किया, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.5.10*** में विस्तृत है। इसके अलावा, क्रय फाइलों की जांच से पता चला कि वनमंडलो ने निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए क्रय के मूल्य को राशि ₹ 50,000 तक के व्यक्तिगत बिल में सीमित करके एजेंसियों से सीधे बीज खरीदे। इस प्रकार, वनमंडलो ने पचास हजार से अधिक मूल्य की सामग्री की वार्षिक क्रय करते समय भंडार क्रय नियमों 4 या 3 का पालन नहीं किया।

शासन ने अपने उत्तर में बताया कि (अगस्त 2023) भण्डार क्रय नियम 2002 का उल्लंघन जांच में सही पाया गया, जिसके लिए वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है तथा वनमंडलाधिकारी, राजनांदगांव से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(ख) दो वनमंडलो[77] के वाउचरों की जांच के दौरान पाया गया कि वनमंडलाधिकारी और परिक्षेत्र अधिकारी ने राशि ₹ 51.86 लाख की लागत से 6019.47 घनमीटर गोबर/वर्मी कम्पोस्ट छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित "गौठान" के बजाय मेसर्स दुर्गा महिला सेवा सहायता समूह, गुंचापाली और मेसर्स मीरा सेल्स से खरीदा था। हालांकि, "गौठान" के बजाय अन्य आपूर्तिकर्ताओं से खरीदने से पहले न तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक की मंजूरी ली गई और न ही संबंधित जिला कृषि अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की गई। परिणामस्वरूप, क्रय नियमों और प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देशों का पालन किए बिना, वनमंडलो ने गोबर क्रय पर राशि ₹ 51.86 लाख का अनियमित व्यय किया ***(परिशिष्ट 3.5.11)***।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि भंडार क्रय नियमों के विरुद्ध खरीदी के संबंध में वनमंडलाधिकारी, राजनांदगांव और वनमंडलाधिकारी, महासमुंद से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

3.5.12.5 मिट्टी की जांच किए बिना ही पौधारोपण का कार्य किया जाना।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर ने सभी वनमंडलाधिकारी को निर्देश जारी किए (मार्च 2015) कि वृक्षारोपण कार्य करने से पहले, वृक्षारोपण स्थलों की मिट्टी

---

75 बलरामपुर, राजनांदगांव

76 मेसर्स कौशल सीड्स एंड कान्हा एग्रो फार्म, अंबिकापुर

77 महासमुंद और राजनांदगांव

परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि मिट्टी की रिपोर्ट के अनुसार वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त पौधों की प्रजातियों का चयन किया जा सके। मिट्टी का नमूना निदेशक, वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (एफआरटीआई), रायपुर को भेजा जावेगा।

लेखापरीक्षा में पाया कि वर्ष 2019–22 की अवधि के दौरान, चयनित 12 वनमंडलों में से पाँच[78] वनमंडलों के 44 कम्पार्टमेंट्स के 1089.04 हेक्टेयर में 9,54,498 पौधे लगाए थे, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.5.12*** में विस्तृत है। एफआरटीआई को भेजे गए मिट्टी के नमूनों का संग्रह और मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां न तो वनमंडलों के अभिलेखों में उपलब्ध थीं और न ही मांग करने पर लेखापरीक्षा को प्रदान की गईं। इससे स्पष्ट है कि वनमंडलों ने न तो वृक्षारोपण स्थल से कोई मिट्टी का नमूना लिया और न ही उन्होंने नमूना एफआरटीआई, रायपुर को भेजा, जिससे प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देशों की अनदेखी हुई। इसका अर्थ यह भी है कि रोपे गए पौधों की उचित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी की प्रकृति और पोषक तत्व सामग्री का पता लगाए बिना ही पौधों का चयन और रोपण किया गया।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि स्थानीय स्तर पर मिट्टी परीक्षण कराया जा कर वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव द्वारा पौधे रोपे गए। वनमंडल दक्षिण कोंडागांव द्वारा प्रत्येक रोपण स्थल से मिट्टी का नमूना एकत्र कर एफआरटीआई रायपुर को भेजा गया, लेकिन समय पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण उन पौधों की प्रजातियों का चयन किया गया जो मानदंडों में निर्धारित थे। वनमंडल बस्तर द्वारा मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना कृषि विश्वविद्यालय भेजा गया, लेकिन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण उपलब्ध पौधों का रोपण किया गया। वनमंडल महासमुंद के परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा मिट्टी के नमूने मिट्टी परीक्षण के लिए विभिन्न संस्थानों की प्रयोगशालाओं में भेजे गए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वनमंडलों द्वारा नियमानुसार मिट्टी का नमूना एफआरटीआई, रायपुर को भेजना आवश्यक था। इसके अलावा, वनमंडलो एफआरटीआई/अन्य एजेंसी की मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करा सके। एफआरटीआई, रायपुर से तथ्यों का सत्यापन किये जाने पर कहा कि (जुलाई 2023) कि संस्थान में वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 में मिट्टी परीक्षण के लिए निर्दिष्ट वन वनमंडलों के संबंधित कम्पार्टमेंट के मिट्टी के नमूने प्राप्त नहीं हुए थे।

3.5.12.6 वृक्षारोपण पत्रिका का अनुचित रखरखाव

वन नियमावली में उल्लेखित प्रावधान (11.1.15) के अनुसार, प्रत्येक वृक्षारोपण के लिए एक वृक्षारोपण पत्रिका रखी जाएगी, जिसमें वृक्षारोपण क्षेत्र की सभी बुनियादी जानकारी, पौधों का विवरण और वृक्षारोपण की विभिन्न गतिविधियों पर होने वाले व्यय का विवरण होगा। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और मार्च के महीनों में रोपे गए पौधों की प्रजातिवार औसत वृद्धि की गणना की जाएगी और इसे वृक्षारोपण पत्रिका में दर्ज किया जाएगा। वृक्षारोपण के निरीक्षण के बाद अधिकारियों द्वारा पत्रिका में एक नोट दर्ज किया जाएगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने निर्देश दिया (मार्च 2013) कि बीट गार्ड, परिक्षेत्र सहायक, परिक्षेत्र अधिकारी, उप वनमंडलाधिकारी और वनमंडलाधिकारी को प्रत्येक वर्ष मार्च और अक्टूबर के दौरान क्रमशः 100 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 2 प्रतिशत पौधे की गणना करना है और इसे पौधरोपण के चार साल तक किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पौधरोपण का मूल्यांकन अन्य वृत्तों के वन संरक्षक, वनमंडलाधिकारी, उप–वनमंडलाधिकारी और परिक्षेत्र अधिकारी टीम द्वारा किया जाएगा।

[78] बलौदाबाजार, बस्तर, महासमुंद, राजनांदगांव और दक्षिण कोंडागांव

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019–22 की अवधि के दौरान नमूना जाँच किए गए 12 वनमंडल के 148 कम्पार्टमेंट के 5,729.70 हेक्टेयर में ₹ 53.65 करोड़ व्यय करके कुल 63,02,670 पौधे रोपे गए ***(परिशिष्ट 3.5.13)***। वर्ष 2019–22 की अवधि के दौरान वनमंडलों द्वारा 148 वृक्षारोपण स्थलों पर वृक्षारोपण कार्य किया गया, जिसमें से केवल 47 वृक्षारोपण पत्रिका लेखापरीक्षा को जाँच के लिए प्रस्तुत किए। वृक्षारोपण पत्रिका की जाँच से पता चला कि पौधों का विवरण जैसे कि हर वर्ष पौधों की ऊँचाई के साथ–साथ परिक्षेत्र अधिकारी/उप–वनमंडलाधिकारी/वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर और दिनांक वृक्षारोपण पत्रिका में दर्ज नहीं किये गये थे।

शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) द्वारा एक पत्र लिखा गया है जिसमें सभी वन प्रभागों को निर्देश दिया गया है कि वे पूर्ण अद्यतन के बाद लेखापरीक्षा को वृक्षारोपण पत्रिका उपलब्ध कराएं। हालाँकि, आज तक (जून 2024) इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

3.5.13 अनुश्रवण और मूल्यांकन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ ने बिगड़े वन भूमि के उपचार हेतु प्रति हेक्टेयर अधिकतम व्यय की दर[79] निर्धारित (जून 2017) की गयी। मानदण्डों के अनुसार, बिगड़े वनों के उपचार हेतु आरडीएफ कार्य की परियोजना रिपोर्ट अधिकतम छः वर्ष की अवधि के लिए तैयार की जानी है, जिसमें आरडीएफ के छठे वर्ष के कार्य का उद्देश्य सर्वेक्षण के दौरान डाले गए ग्रिड[80] पर उपचार के प्रभाव का अध्ययन करना है।

3.5.13.1 छठे वर्ष में निर्धारित वृक्षारोपण रहित बिगड़े वनों के सुधार कार्यों का मूल्यांकन नहीं करना।

वर्ष 2014–22 की अवधि के दौरान 12 चयनित वनमंडलों के 57,125.149 हेक्टेयर में बिगड़े वन क्षेत्रों का उपचार कार्य किया गया (पहले वर्ष से छठे वर्ष तक), जिसका विवरण निम्नलिखित ***तालिका 3.5.4*** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.5.4: बिगड़े वन कार्य के उपचार का विवरण (I से VI वर्ष)

(₹ करोड़ में)

आरडीएफ कार्य का मूल्यांकित वर्ष (6वां वर्ष)	उपचार अवधि	उपचारित आरडीएफ क्षेत्र (हेक्टेयर में)	आबंटन (प्रथम से छठे वर्ष तक का कार्य)	व्यय (प्रथम से छठे वर्ष तक का कार्य)
2019–20 (VI वर्ष)	2014–15 से 2019–20	21567.493	39.14	38.41
2020–21 (VI वर्ष)	2015–16 से 2020–21	15980.314	30.56	29.12
2021–22 (VI वर्ष)	2016–17 से 2021–22	19577.342	49.25	48.37
कुल	**2014–15 से 2021–22**	**57125.149**	**118.95**	**115.90**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 57125.149 हेक्टेयर क्षेत्र में आरडीएफ उपचार कार्य के पांच वर्ष पूरे होने के बाद, छठे वर्ष में निर्धारित रखरखाव, संरक्षण और मूल्यांकन कार्य वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 की अवधि के दौरान किया जाना था। मानदंडों के अनुसार, प्रथम वर्ष के सर्वेक्षण के दौरान ग्रिडवार उपचारित क्षेत्र के 10

---

79 आरडीएफ (मिश्रित वृक्षारोपण कार्य सहित)– ₹ 1,47,090.04 प्रति हेक्टेयर (छः वर्षीय परियोजना प्रतिवेदन हेतु), आरडीएफ (वृक्षारोपण कार्य रहित)– ₹ 26,747.45 प्रति हेक्टेयर (छः वर्षीय परियोजना प्रतिवेदन हेतु)।

80 एक नेटवर्क जो दो रेखाओं के समूहों से मिलकर बना होता है, जिनमें प्रत्येक समूह एक निश्चित ढाँचे के अनुसार खींचा गया होता है और वे एक–दूसरे को एक विशेष ज्यामितीय विन्यास में प्रतिच्छेद करते हैं।

प्रतिशत में जीपीएस के माध्यम से ग्रिडवार नमूना भूखंडों में प्लॉट अंकित कर, छठे वर्ष में प्राकृतिक पुनरूत्पत्ति का अध्ययन किया जाना आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने पाया कि वनमंडलो ने निर्धारित मानदंडों के अनुसार छठे वर्ष में मूल्यांकन कार्य नहीं किया। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि उचित मूल्यांकन के अभाव में, विभाग उपचार अवधि के पांच साल बाद आरडीएफ उपचार कार्य के परिणामों का पता लगाने की स्थिति में नहीं था, जबकि वनमंडल ने इस छः साल की उपचार अवधि के दौरान उपचार कार्य पर राशि ₹ 115.90 करोड की राशि खर्च की थी। इसके अलावा, उच्च अधिकारियों के पास उपचारित आरडीएफ क्षेत्रों के मूल्यांकन के लिए कोई अन्य तंत्र नहीं था जिससे उपचार कार्यों के परिणामों का आकलन किया जा सके ***(परिशिष्ट 3.5.14)***।

इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि वनमंडलधिकारी कोरबा, मरवाही, राजनांदगांव, जशपुर, कोरिया, दक्षिण कोंडागांव, सूरजपुर और बलरामपुर द्वारा छठे वर्ष के कार्य में निर्धारित मानदंडों के अनुसार ग्रिड सर्वेक्षण किया गया। आरडीएफ कार्य के बाद पौधों की अच्छी पुनरूत्पत्ति हुई है। वनमंडलधिकारी, बस्तर ने कहा कि परिक्षेत्र अधिकारी और उप–वनमंडलाधिकारी द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किए जाने के बाद परिक्षेत्र स्तर पर अभिलेख संधारित किए गए हैं। वनमंडलधिकारी, बीजापुर ने कहा कि छठे वर्ष में उपचार कार्य की प्रभावशीलता का अध्ययन नहीं किया गया था क्योंकि रखरखाव कार्य पर राशि खर्च हुई थी और वनमंडलधिकारी बलौदाबाजार ने कहा कि छठे वर्ष में प्रस्तावित कार्य नहीं करने के लिए संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि छठे वर्ष के कार्य के मानदंडों के अनुसार पूर्व में डाले गए ग्रिड पर उपचार के प्रभाव के अध्ययन के परिणाम, लेखापरीक्षा को उत्तर के साथ उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में नहीं पाए गए। नौ वनमंडलों[81] ने केवल उपचारित क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की प्रतिवेदन प्रस्तुत की तथा ग्रिडवार डेटा/मूल्यांकन प्रस्तुत नहीं किया। इस कारण यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्व में डाले गए ग्रिड पर कार्य शुरू होने से पहले और बाद में क्षेत्र की वनस्पति की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है। दो वनमंडलों (बीजापुर और बलौदाबाजार) ने स्वीकार किया है कि उपचार के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया गया।

3.5.13.2 उपचार कार्य पूरा होने के बाद भी बिगड़े वनों का सघन वनों में परिवर्तित न होना ।

बिगड़े वनों के सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य बिगड़े वन क्षेत्रों में उपचार कार्य करके क्षेत्र को घने जंगल में बदलना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2003 पुराने आरडीएफ/ वृक्षारोपण कार्यवृत्त कम्पार्टमेंट में से 1620 कम्पार्टमेंट फिर से वर्तमान/नई कार्य योजना के इन वनमंडलों के आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त में शामिल किए गए, जैसा कि ***तालिका 3.5.5*** में दर्शाया गया है।

[81] कोरबा, मरवाही, राजनांदगांव, जशपुर, कोरिया, दक्षिण कोंडागांव, सुरजपुर, बलरामपुर और बस्तर

तालिका 3.5.5: नई कार्ययोजना के दूसरे कार्यवृत्त में परिवर्तित पुराने आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त कम्पार्टमेंट की संख्या का विवरण

वनमंडल नाम	पुराने कार्ययोजना की अवधि	पिछले कार्ययोजना के आरडीएफ /वृक्षारोपण कार्यवृत्त में मौजूद पुराने कक्षों की संख्या	नई कार्ययोजना की अवधि	नई कार्य योजना के आरडीएफ/ वृक्षारोपण कार्यवृत्त में पुनः मौजूद पुराने कक्षों की संख्या	नई कार्या योजना के अंतर्गत पुराने आडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त परिक्षेत्रों की संख्या को अन्य कार्यवृत्त (विशेष सह सुधार कार्यवृत्त/सुधार कार्यवृत्त/संरक्षण कार्यवृत्त) में रूपांतरित किये गये
बस्तर वनमंडल	2005–06 से 2014–15	447	2019–20 से 2028–29	381	66
बलरामपुर वनमंडल	2003–04 से 2012–13 एवं 2007–08 से 2016 –17	237	2015–16 से 2024–25 एवं 2018–19 से 2027–28	167	70
सूरजपुर वनमंडल	2007–08 से 2016–17 एवं 2010–11 से 2019–20	379	2020–21 से 2029–30	308	71
जशपुर वनमंडल	2003–04 से 2013–14	704	2020–21 से 2029–30	587	117
कोरिया वनमंडल	2005–06 से 2014–15	236	2018–19 से 2027–28	177	59
कुल		**2003**		**1620**	**383**

(स्त्रोतः वनमंडलो की कार्य योजना)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2003 कंपार्टमेंट में बिगड़े वनों के उपचार कार्य के पश्चात् मात्र 383 कंपार्टमेंट (19.08 प्रतिशत) को ही सफलतापूर्वक अन्य कार्यवृत्तों में परिवर्तित किया जा सका। परिणामस्वरूप, इन कंपार्टमेंट को वनमंडलों के नई कार्ययोजना के विशेष सह सुधार कार्यवृत्त/सुधार कार्यवृत्त/संरक्षण कार्यवृत्त[82] में शामिल किया गया, जबकि 1620 कंपार्टमेंट (80.92 प्रतिशत) को पुनः उसी आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त में सम्मिलित/स्थानांतरित कर दिया गया।

लेखापरीक्षा में आगे यह भी देखा गया कि उपरोक्त पांच वन वनमंडलों की नई स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार, तीन[83] वनमंडलों में बिगड़े वनों का क्षेत्रफल पुरानी कार्य योजना के क्षेत्रफल से कहीं अधिक है, जैसा कि ***तालिका 3.5.6*** में दर्शाया गया है।

[82] चयन सह सुधार वृत्त/सुधार कार्य वृत्त/संरक्षण कार्य वृत्त
[83] बस्तर, बलरामपुर और कोरिया

तालिका 3.5.6: अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त के क्षेत्र की तुलना का विवरण

वनमंडल का नाम	पुराने कार्ययोजना की अवधि	पिछले कार्ययोजना के अनुसार बिगड़े वनों का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	नए कार्य योजना की अवधि	नए कार्ययोजना के अनुसार बिगड़े वनों का क्षेत्रफल
बस्तर वनमंडल	2005–06 से 2014–15	60109.369	2019–20 से 2028–29	76138.594
बलरामपुर वनमंडल	2003–04 से 2012–13 एवं 2007–08 से 2016 –17	50367.822	2015–16 से 2024–25 एवं 2018–19 से 2027–28	93099.650
सूरजपुर वनमंडल	2007–08 से 2016–17 एवं 2010–11 से 2019–20	79656.202	2020–21 से 2029–30	76007.694
जशपुर वनमंडल	2003–04 से 2013–14	60155.900	2020–21 से 2029–30	53365.030
कोरिया वनमंडल	2005–06 से 2014–15	50059.043	2018–19 से 2027–28	55006.250
कुल		**300348.336**		**353617.218**

(स्त्रोत: वनमंडलों की कार्य योजना)

उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि पांचों वनमंडलों के आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त में बिगड़े वन क्षेत्र के उपचार कार्य के बावजूद बिगड़े वन क्षेत्र में 53268.882 हेक्टेयर की वृद्धि हुई। इसप्रकार, नई कार्य योजना में पुनः शामिल किये गये कम्पार्टमेंट के संदर्भ में बिगड़े वन का उपचार कर वन घनत्व बढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है। वनमंडलाधिकारी बलरामपुर और सूरजपुर ने कहा (अगस्त 2023) कि संपूर्ण रूट स्टॉक क्षेत्र को घने जंगल में परिवर्तित करने के लिए 10 वर्ष की अवधि पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए पुनः इन कम्पार्टमेंटों को नई कार्य योजना में शामिल किया गया। वनमंडलाधिकारी जशपुर और कोरिया ने कहा (सितंबर 2023) कि जैविक दबाव, अतिक्रमण और हाथियों के प्रवास के कारण, उपचारित क्षेत्र को घने जंगल में परिवर्तित नहीं किया जा सका, इसलिए, इसे फिर से नई कार्य योजना में आरडीएफ कार्यवृत्त में रखा गया है। वनमंडलाधिकारी जगदलपुर ने कहा (जुलाई 2023) कि वन क्षेत्र का निरीक्षण वनमंडलाधिकारी (कार्य योजना) जगदलपुर द्वारा किया गया था और आरडीएफ कार्यवृत्त के लिए उपयुक्त पाए जाने के बाद, कम्पार्टमेंटों को फिर से इस कार्यवृत्त में शामिल किया गया।

उपरोक्त उत्तरों से यह स्पष्ट होता है कि बिगड़े वन क्षेत्र को सघन वन क्षेत्र में परिवर्तित करने के उद्देश्य से किए गए सुधार कार्य का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

3.5.14 निष्कर्ष

वर्ष 2019–22 की अवधि के दौरान, विभाग ने उपचार के लिए निर्धारित उपचार क्षेत्र (1,19,560.515 हेक्टेयर) की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक क्षेत्र (1,39,120.312 हेक्टेयर) में बिगड़े वनों का सुधार कार्य किया। आरडीएफ वृक्षारोपण रहित कार्य को रिक्त वन क्षेत्रों में ₹ 10.02 करोड़ की लागत से संपादित किया गया, जो कि रिक्त क्षेत्रों हेतु निर्धारित उपचार मानकों से भिन्न था। बिगड़े वन क्षेत्र का उपचार कार्य के अंतर्गत 575.12 हेक्टेयर अतिक्रमित क्षेत्र में वृक्षारोपण रहित आरडीएफ कार्य करके

₹ 99.14 लाख का परिहार्य व्यय किया। बीजापुर वनमंडल द्वारा 173.565 हेक्टेयर रिक्त क्षेत्र तथा 795.421 हेक्टेयर कार्य–योग्य वन ग्राम क्षेत्र में आरडीएफ (वृक्षारोपण रहित) कार्य कर कुल ₹ 1.67 करोड़ की राशि व्यय की गई। चूंकि वन ग्राम क्षेत्र में लोग कृषि कार्य हेतु निवास कर रहे थे एवं मकानों का निर्माण कर चुके थे, अतः ऐसे वन क्षेत्रों में बिगड़े वन क्षेत्र का उपचार कार्य संभव नहीं था, परिणामस्वरूप, राशि ₹ 1.39 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

लाइव हेज़ के निर्माण में निर्धारित मानव–दिवस मानकों का पालन न करने के कारण क्रमशः ₹ 93.87 लाख एवं ₹ 39.46 लाख की अतिरिक्त व्यय की स्थिति उत्पन्न हुई। साथ ही मात्राओं की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण ₹ 38.99 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। विरल वन क्षेत्र को सघन वन क्षेत्र मानते हुए सफाई कार्य में अधिक मानव–दिवस उपयोग किये जाने के कारण राशि ₹ 1.11 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

चयनित 12 वनमंडलो में से पांच में मिट्टी की जांच किए बिना वृक्षारोपण कार्य किया गया। इसके अलावा, छः वनमंडलों में वृक्षारोपण पंजी का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था। निर्धारित मानदंडों के अनुसार छठे वर्ष में आरडीएफ वृक्षारोपण रहित सुधार कार्य का मूल्यांकन 10 वनमंडलो द्वारा नहीं किया गया। इसके अलावा, नमूना जांच वाले वनमंडलो के 2003 कम्पार्टमेंटों में बिगड़े वनों के उपचार कार्य किए जाने के बावजूद केवल 383 कम्पार्टमेंट (19.08 प्रतिशत) को सफलतापूर्वक घने वनों में परिवर्तित किया जा सका और शेष 1620 कम्पार्टमेंट (80.92 प्रतिशत) को नई कार्ययोजना में पुनः उसी आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त में शामिल कर लिया गया, जो वांछित परिणाम की प्राप्ति नहीं होने का संकेत देता है।

3.5.15 अनुशंसा

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

1. ***राज्य में वनों के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना और निर्धारित पद्धति के अनुसार बिगड़े वनों का उपचार करना।***
2. ***सर्वेक्षण और मूल्यांकन कार्यों का अध्ययन तथा आरडीएफ कार्य के अभिलेखों के उचित रखरखाव सहित कम्पार्टमेंट–वार/ग्रिड–वार केएमएल (कीहोल मार्कअप लैंग्वेज) फाइलों की तैयारी के लिए जीपीएस और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग।***
3. ***आरडीएफ कार्यों के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए विभाग द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों, विशेष रूप से लागत और कार्मिक मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना।***
4. ***आरडीएफ वृक्षारोपण रहित कार्य के परिणाम का आकलन करने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा रिपोर्टिंग और निगरानी की एक प्रभावी प्रणाली विकसित करना।***

3.6 लेखापरीक्षा कंडिकाएं

लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गंभीर कमियां पाई जो कि राज्य शासन की प्रभावशीलता पर असर डालती हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा में दृष्टिगत कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस अध्याय में दर्शाए गए हैं। ये टिप्पणियाँ नियमों और विनियमों के अनुपालन न करने/अनुपालन के अभाव तथा दूरदर्शिता/प्रशासनिक नियंत्रण में कमी से संबंधित हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है:

लोक निर्माण विभाग

3.6.1 कार्य पूरा होने से पहले अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा विमुक्त करना

सूरजपुर संभाग के कार्यपालन अभियंता द्वारा निविदा की विशेष शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्य पूरा होने से पहले ठेकेदार को अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा का समय–पूर्व विमुक्त करना और परिणामस्वरूप अनुबंध समाप्त होने के बाद ठेकेदार से जुर्माने सहित ₹ 1.44 करोड़ की वसूली न करना।

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) की विशेष शर्तों के अंतर्गत एक सफल बोलीदाता को करार पर हस्ताक्षर करते समय कार्यपालन अभियंता के पक्ष में सावधि जमा रसीद के रूप में 'अनुबंध की संभावित राशि के 90 प्रतिशत' और 'बोली राशि' के अंतर की सीमा तक अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा जमा करने की आवश्यकता थी, यदि बोली राशि असंतुलित (अनुमानित लागत से 10 से 20 प्रतिशत कम) या गंभीर रूप से असंतुलित (अनुमानित लागत से 20 प्रतिशत से ज्यादा कम) है। सावधि जमा रसीद कार्य पूरा होने के बाद सामान्य सुरक्षा जमा राशि के साथ विमुक्त/लौटाई जाएगी। यदि ठेकेदार काम पूरा करने में विफल रहता है या काम को अधूरा छोड़ देता है तो अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा को विभाग द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और करार समाप्त कर दिया जाएगा तथा अनुबंध के खंड 3 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग (भवन एवं सड़क), सूरजपुर के कार्यालय में अभिलेखों की जांच (नवंबर 2019) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि नवापारा से भटगांव तक 10.20 किमी सड़क के सुदृढ़ीकरण, नवीकरण और चौड़ीकरण के कार्य के लिए शासन द्वारा ₹ 7.78 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति और ₹ 7.72 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। निविदा प्रक्रिया के बाद ठेकेदार[84] को अनुबंध की संभावित राशि ₹ 7.72 करोड़ के विरूद्ध ₹ 5.48 करोड़[85] की अनुबंध राशि के लिए कार्य आदेश[86] जारी किया गया था (दिसंबर 2017)। अनुबंध की विशेष शर्तों के अनुसार, असंतुलित बोली के कारण ठेकेदार ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सावधि जमा रसीद के रूप में ₹ 1.47 करोड़ की अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा राशि जमा कराई। कार्य पूरा होने का निर्धारित समय वर्षा ऋतु सहित 12 महीने अर्थात् 06 दिसंबर 2018 तक था। चूंकि काम अधूरा रहा, कार्यपालन अभियंता द्वारा ठेकेदार को दिसंबर 2021 तक पांच समय–वृद्धि[87] प्रदान किए गए। हालांकि, कार्यपालन अभियंता द्वारा अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा की पूरी राशि काम पूरा होने से पहले ही अप्रैल से जुलाई 2019 के दौरान ठेकेदार को विमुक्त की गई थी जिसमें से ₹ 20 लाख फिर से जुलाई 2019 में ठेकेदार द्वारा जमा किया गया था। संभाग ने ठेकेदार को ₹ 3.67 करोड़ का भुगतान कर दिया

84 मेसर्स रेनबो कंस्ट्रक्शन कंपनी

85 दर अनुसूची से 29.04 प्रतिशत कम की दर पर

86 करार संख्या 40/डीएल/2017–18 के अंतर्गत

87 06.12.2018 से 11.06.2019, 12.06.2019 से 31.12.2019, 01.04.2020 से 31.12.2020, 01.01.2021 से 31.04.2021, 01.05.2021 से 31.12.2021

है (दिसम्बर 2021 तक)। ठेकेदार ने दिसंबर 2021 के बाद काम बंद कर दिया और ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया (जुलाई 2022) तथा विभाग द्वारा अनुबंध के खंड 3 के अंतर्गत अनुबंध समाप्त कर दिया गया (अगस्त 2022)। कार्य का अंतिम माप दर्ज किया गया था और कार्यपालन अभियंता द्वारा एक अपूर्ण देयक तैयार किया गया था (दिसंबर 2023) और जनवरी 2024 तक ठेकेदार से ₹ 1.44 करोड़ की वसूली लंबित थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसंबर 2018 में कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि के बाद ठेकेदार को जुर्माने के साथ पाँच बार समय–वृद्धि दिसंबर 2021 तक की स्वीकृति दी गई थी जो ठेकेदार द्वारा कार्य के निष्पादन में देरी का संकेत देती है। कार्य की धीमी प्रगति और ठेकेदार द्वारा केवल लगभग 30 प्रतिशत कार्य[88] पूरा करने (मई 2019) के बावजूद कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुबंध की विशेष शर्तों का उल्लंघन करते हुए अप्रैल से जुलाई 2019 के दौरान अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा की पूरी राशि विमुक्त की गई। कार्यपालन अभियंता ने कारण बताओ नोटिस जारी करने में भी जुलाई 2022 तक की देरी की, भले ही ठेकेदार द्वारा दिसंबर 2021 के बाद काम में कोई प्रगति नहीं की गई। अनुबंध समाप्ति आदेश (अगस्त 2022) में ठेकेदार को कार्य की माप के लिए एक महीने (सितंबर 2022) का समय दिया गया था। ठेकेदार की उपस्थित होने में विफलता के बावजूद अंतिम माप दर्ज किया गया था और एक वर्ष बीत जाने के बाद संभाग द्वारा अधूरा देयक तैयार किया गया था (दिसंबर 2023) जिससे ठेकेदार से वसूली शुरू करने की प्रक्रिया में और देरी हुई। परिणामस्वरूप, ठेकेदार से अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा और जुर्माने[89] की राशि ₹ 1.44 करोड़ की वसूली जनवरी 2024 तक लंबित थी और बयाना राशि और सुरक्षा जमा को संभाग द्वारा जब्त किया जाना बाकी था। इस प्रकार, ठेकेदार को सरकार के वित्तीय हितों की रक्षा किए बिना कार्य पूरा होने से पहले अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा जारी करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया था।

यह प्रकरण विभाग और शासन के संज्ञान में लाया गया था (जनवरी 2020 और अगस्त 2022)। प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग ने अपने उत्तर (जनवरी 2021) में स्वीकार किया कि कार्यपालन अभियंता अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन का दोषी था और बताया कि तात्कालीन कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग, सूरजपुर के विरूद्ध विभागीय जांच शुरू की गई है। प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग ने आगे सूचित किया (फरवरी 2023) कि प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने की अनुशंसा सहित मामला शासन को भेजा गया था और यह शासन के पास लंबित था।

शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

[88] छठवें चल देयक (अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा विमुक्त करने से पहले भुगतान किया गया अंतिम देयक) के अनुसार, किये गये कार्य का कुल मूल्य ₹ 164.63 लाख था जो कि अनुबंध राशि (₹ 548.02 लाख) का लगभग 30 प्रतिशत था

[89] ₹ 16,82,655

3.6.2 अपूर्ण स्काई वॉक पर निरर्थक व्यय

स्काई वॉक के निर्माण की परियोजना को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जल्दबाजी में प्रारंभ किया गया था तथा परियोजना के लिए प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति (मार्च 2017) प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी (दिसंबर 2016)। कंसल्टेंट द्वारा निविदा पूर्व चरण का कार्य पूरा किए बिना ही कार्यादेश जारी कर दिया गया जिससे कार्य के निष्पादन में बाधा उत्पन्न हुई। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्काई वॉक के डिजाइन और संरचना में बाद में किए गए संशोधन ने परियोजना की लागत में वृद्धि की तथा परियोजना के पूरा होने में और देरी की। परिणामस्वरूप, स्काई वॉक परियोजना बिना किसी उपयोगिता के अधूरी रह गई जिससे ₹ 36.82 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया।

छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग ने निरंतर बढ़ते पैदल यात्री यातायात को वाहनों के यातायात से अलग करने और पैदल यात्रियों के सड़क पार करने को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शास्त्री चौक, रायपुर में एक पैदल यात्री ओवर ब्रिज (स्काई वॉक) का निर्माण करने की योजना बनाई (2016–17)।

विभाग द्वारा स्काई वॉक परियोजना के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग एवं परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाओं के कार्य हेतु प्रस्ताव निवेदन (आरएफपी) जुलाई 2016 में जारी किया गया था। स्काई वॉक की अनुमानित लागत ₹ 20.00 करोड़ थी। छत्तीसगढ़ शासन ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए कार्य की लागत का 2.50 प्रतिशत की दर तथा परियोजना प्रबंधन परामर्शी (पीएमसी) शुल्क के रूप में कार्य की लागत का 3.75 प्रतिशत की दर को सितंबर 2016 में स्वीकृति दी। यह कार्य अक्टूबर 2016 में मुंबई स्थित एक परामर्शदाता फर्म को सौंपा गया था जिसकी पूर्णता अवधि 12 महीने या परियोजना के पूरा होने तक, जो भी बाद में हो, निर्धारित थी। हालांकि, स्काई वॉक परियोजना के लिए डीपीआर/प्राक्कलन आदि तैयार करने के लिए ₹ 50 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिसंबर 2016 में दी गई थी।

आरएफपी की शर्तों के अनुसार, परामर्श कार्य को तीन चरणों निविदा–पूर्व, निविदा और निविदा के बाद के चरण में विभाजित किया गया था। निविदा पूर्व चरण के अंतर्गत, कंसल्टेंट को एक योजना कार्यक्रम, स्थलाकृति सर्वेक्षण, उप–मृदा जांच एवं यूटिलिटी जांच आदि करने के बाद यूटिलिटी सेवाओं को हटाने, उनके पुनर्स्थापन और स्थानांतरण तथा अतिक्रमण हटाने एवं पेड़ों की कटाई के लिए लागत अनुमान तैयार करना था तथा ड्राइंग और विस्तृत अनुमानों के साथ एक अंतिम रिपोर्ट तैयार करना था। करार के अनुसार निविदा पूर्व के सभी कार्यकलापों को प्रारंभ होने की तारीख (13 अक्टूबर 2016) से 100 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना था। तथापि, कंसल्टेंट द्वारा निविदा पूर्व कार्यकलाप निर्धारित समय–सीमा के भीतर पूरे नहीं किए जा सके। अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग के ठेकेदार को पत्र दिनांक 06 अप्रैल 2017 से लेखापरीक्षा ने पाया कि कोई उप–मृदा जांच नहीं की गई थी और कंसल्टेंट द्वारा अतिक्रमण की पहचान करने और हटाने और स्काई वॉक संरचना के लेआउट प्लान एवं विवरण को प्रभावित करने वाली संरचना/यूटिलिटी की पहचान करने और यूटिलिटी स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए कोई पहल नहीं की गई थी। इसके अलावा, ड्राइंग आदि की प्रूफ चेकिंग का कार्य भी कंसल्टेंट द्वारा सौंपा गया था जिसे तीसरे पक्ष द्वारा जुलाई 2017 में पूरा किया गया था।

कंसल्टेंट ने दिसंबर 2016 में विभाग को एक प्रारंभिक रिपोर्ट, मसौदा रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसमें कार्य को पूरा करने के लिए कार्य क्षेत्र, मानक और

कार्यप्रणाली तथा जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग (जीएडी)[90] शामिल थी। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत (दिसंबर 2016) अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट और अंतिम डीपीआर को तैयार करने एवं अंतिम रूप देने के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण, इन्वेंट्री और स्थलाकृति सर्वेक्षण आदि के बाद निविदा–पूर्व चरण के विभिन्न कार्यकलापों को किया जाना था। तथापि, कंसल्टेंट द्वारा तैयार की गई और विभाग द्वारा अनुमोदित अंतिम डीपीआर लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। माँग किए जाने पर, केवल दिसंबर 2016 की अंतिम रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रदान की गई थी।

निर्माण विभाग मैनुअल के खण्ड 2.120 के अनुसार, जब तक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती और धन आवंटित नहीं कर दिया जाता तब तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा या इसके संबंध में कोई देनदारी नहीं बनाई जाएगी। विभाग ने परियोजना की तकनीकी–व्यवहार्यता रिपोर्ट और डीपीआर को अंतिम रूप दिए बिना कंसल्टेंट द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के आधार पर दिसंबर 2016 में स्काई वॉक के निर्माण के लिए पहला निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) (संख्या 398) प्रकाशित किया। उसके बाद दूसरा एनआईटी 04 फरवरी 2017[91] को प्रकाशित हुआ। हालांकि, शास्त्री चौक, रायपुर में स्काई वॉक के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन (₹ 49.09 करोड़) और तकनीकी स्वीकृति (₹ 35.30 करोड़ प्लस ₹ 10.51 करोड़) क्रमशः छत्तीसगढ़ शासन और विभाग द्वारा मार्च 2017 में प्रदान की गई थी। केवल एक बोली को पात्र पाया गया और मेसर्स जी. एस. एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (ठेकेदार) की एकल वित्तीय बोली को ₹ 42.55 करोड़ की आइटम दर पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकार किया गया था (07 अप्रैल 2017)। आठ महीने अर्थात् जनवरी 2018 तक की कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि के साथ ठेकेदार को कार्य आदेश जारी किया गया था (24 अप्रैल 2017)।

इस प्रकार, स्काई वॉक परियोजना के निर्माण के लिए एनआईटी को निर्माण विभाग मैनुअल के प्रावधानों का घोर उल्लंघन कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और विस्तृत अनुमानों की तकनीकी स्वीकृति के बिना प्रकाशित किया गया था। विभाग द्वारा परियोजना शुरू करने में अनुचित जल्दबाजी दिखाते हुए परियोजना की तकनीकी–व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत डिजाइन एवं ड्राइंग/सर्वेक्षण/डीपीआर तैयार करने और अनुमोदन से पूर्व यह कार्य सौंपा गया था।

निविदा–पूर्व चरण के कार्यकलापों को पूरा किए बिना कार्य शुरू होने के कारण कंसल्टेंट द्वारा यूटिलिटी स्थानांतरण योजना, विस्तृत डिजाइन एवं ड्राइंग प्रस्तुत करने और नगर निगम, सीएसईबी/बीएसएनएल आदि सांविधिक प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में विलंब के कारण ठेकेदार द्वारा कार्य का निष्पादन बाधित हुआ। ठेकेदार के कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग को पत्र (नवंबर 2017) के अनुसार, नौ स्थानों पर पियर कैप की ड्राइंग एवं डिजाइन और आठ स्थानों पर सुपरस्ट्रक्चर का पूरा विस्तार कंसल्टेंट द्वारा प्रदान नहीं किया गया था। इनके अलावा, कंसल्टेंट द्वारा विस्तृत ड्राइंग और नींव का ब्यौरा तथा सीढ़ी/एस्केलेटर/लिफ्ट का स्थान भी ठेकेदार को उपलब्ध नहीं कराया गया था। ठेकेदार ने इस पत्र में ओवरहेड हाईटेंशन बिजली के लाइनों, भूमिगत केबल, बिजली के खंभो एवं ट्रांसफार्मर तथा कलेक्ट्रेट की चारदीवारी के कारण होने वाली बाधाओं को भी सूचीबद्ध किया था।

---

[90] एलिवेटेड रोड, स्काई वॉक, जल निकासी, संकेतक, ग्रीन बेल्ट सेंट्रल वर्ज आदि के लिए कार्यस्थल पर निष्पादन योग्य ड्राइंग तथा एलिवेटेड रोड, स्काई वॉक, इसके घटको और उप–घटकों जैसे कि नींव प्रणाली, उप–संरचनाएं एवं व्यवस्थाएं, सुपर स्ट्रक्चर्स, बियरिंग सिस्टम सतह स्तर के मार्ग, फुटपाथ, सर्विस रोड तथा पूर्ण जल निकासी योजना के लिए विस्तृत डिजाइन एवं ड्राइंग, लाईट फिटिंग के लिए व्यवस्था का निर्धारण सहित अन्य सहायक एवं संबंधित संरचनाओं के लिए विस्तृत संरचनात्मक डिजाइन, ड्राइंग, निर्माण ड्राइंग।

[91] प्रथम आमंत्रण में प्राप्त बोलियों का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

इसके अलावा, कार्य के निष्पादन के दौरान, स्काई वॉक के डिजाइन में अनुबंध की निर्धारित समय अवधि समाप्त होने के नौ महीने बाद कई संरचनात्मक परिवर्तन[92] प्रस्तावित किए गए थे (अक्टूबर 2018) ताकि छत्तीसगढ़ शासन (लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय) की समीक्षा बैठक (अप्रैल 2018) में दिए गए निर्देशों के आधार पर स्काई वॉक के सौंदर्य में वृद्धि किया जा सके।

विभाग ने कंसल्टेंट द्वारा डिजाइन और ड्राइंग को प्रस्तुत करने और अंतिम रूप देने में विलंब, पाइप लाइन, हाई टेंशन तारों जैसी यूटिलिटी के स्थानांतरण और हुड संरचना, रेलिंग आदि में संशोधन के कारण ठेकेदार को बिना किसी जुर्माने के दिसंबर 2018 तक की तीन बार समय–वृद्धि की मंजूरी दी।

कार्य के निष्पादन के दौरान प्रस्तावित परिवर्तनों के कारण लागत अनुमानों को ₹ 49.09 करोड़ से संशोधित कर ₹ 77.10 करोड़ कर दिया गया और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिसम्बर 2018 में पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया। हालांकि, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण मंडल, रायपुर द्वारा मुख्य अभियंता को प्रस्तुत (मार्च 2019) तकनीकी स्वीकृति (₹ 50.68 करोड़) के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया था।

इसके अलावा, एक समीक्षा बैठक (मार्च 2019) में स्काई वॉक के संरचनात्मक डिजाइन, उपयोगिता और व्यवहार्यता के बारे में जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को देखते हुए इसके निर्माण कार्य को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्देश जारी किया गया था। समीक्षा बैठक में जारी आदेश के अनुसरण में कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर ने एनआईटी के खण्ड 14 के अन्तर्गत लगभग 70 प्रतिशत पूर्णता चरण में ही कार्य रोक दिया (अप्रैल 2019)। तब तक ठेकेदार को ₹ 28.29 करोड़[93] का अप–टू–डेट भुगतान किया गया था। काम अभी भी अधूरा है (दिसम्बर 2024)। संभाग द्वारा अंतिम देयक को अंतिम रूप दिए जाने तक ₹ 2.83 करोड़ की सुरक्षा अग्रिम एवं मोबिलाईजेशन अग्रिम की वसूली/समायोजन किया जाना था और ठेकेदार से/ठेकेदार को देय अंतिम राशि, यदि कोई हो, लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

इस प्रकार, कंसल्टेंट द्वारा निविदा पूर्व चरण के कार्य को पूरा करने से पहले निविदा एवं स्काई वॉक का निर्माण शुरू करने में अनुचित जल्दबाजी तथा स्काई वॉक के डिजाइन और संरचना में बाद में किये गये बदलाव के कारण कार्य में देरी हुई और परियोजना की लागत में वृद्धि हुई जिसके कारण काम रूक गया और परियोजना पूरी नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त, विभाग और कंसल्टेंट की ओर से हुई चूक के कारण विभाग को ठेकेदार को बिना किसी जुर्माने के तीन बार समय–वृद्धि स्वीकृत करना पड़ा और उसे ठेकेदार को ₹ 1.30 करोड़ के मूल्य–वृद्धि प्रभारों का भुगतान करना पड़ा।

---

92 जैसे मार्ग की चौड़ाई को 3 मीटर से बढ़ाकर 3.75 मीटर करना, विस्तारित फर्श क्षेत्र के संशोधित ड्राइंग के अनुसार तीन मीटर चौड़ाई की सभी स्थापित डेक शीटों को हटाना, छत और डिवाइडर की संरचना में परिवर्तन, पैदल मार्ग और सीढ़ी के लिए फर्श टाइल्स/चेकर्ड टेरेजो टाइल्स के स्थान पर रंगीन हैवी ड्यूटी विट्रिफाइड टाइल्स का प्रावधान, छत के लिए पॉलीकार्बोनेट शीट के स्थान पर एमएस प्रोफाइल शीट का प्रावधान, दो लिफ्ट और एक अतिरिक्त सीढ़ी का प्रावधान आदि।

93 व्हाचर क्रमांक 14 दिनांक 08.01.2019 के माध्यम से।

इसके अलावा, अधूरा ढांचा मौसम के प्रभाव के कारण क्षतिग्रस्त/जंग खा रहा था जिससे जनता/राहगीरों के जीवन के लिए खतरा पैदा हो गया था। अपूर्ण कार्य के कारण संरचना का उपयोग न तो पैदल यात्रियों द्वारा किया गया था और न ही किसी वैकल्पिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था, इस प्रकार उस उद्देश्य को विफल कर दिया गया जिसके लिए परियोजना शुरू की गई थी। इसके परिणामस्वरूप परियोजना पर ₹ 36.82 करोड़[94] का निरर्थक व्यय हुआ।

फोटोग्राफ की तिथि : 08.12.2022

इंगित किए जाने पर छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग ने बताया (मार्च 2024) कि कंसल्टेंट द्वारा प्रस्तुत डीपीआर के आधार पर स्काई वॉक के निर्माण के लिए एनआईटी जारी किया गया था तथा समीक्षा बैठकों के आधार पर कार्य की आवश्यकता के अनुसार, उच्च अधिकारियों ने संरचनात्मक डिजाइन को संशोधित करने का निर्देश दिया था। विभाग ने आगे बताया कि जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को देखते हुए स्काई वॉक का निर्माण कार्य कुछ समय के लिए रोक दिया गया था और इन आपत्तियों की जांच के लिए सामान्य सलाहकार समिति और तकनीकी सलाहकार समिति नामक दो समितियों का गठन किया गया था। दोनों समितियों के प्रतिवेदनों के आधार पर शासन द्वारा जैसा निर्णय लिया जायेगा वैसी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ शासन का यह उत्तर कि एनआईटी डीपीआर के आधार पर जारी किया गया था, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनआईटी निविदा पूर्व चरण के कार्यकलापों के पूरा होने और कंसल्टेंट द्वारा डीपीआर तैयार करने से पहले जारी किया गया था। उत्तर से स्पष्ट है कि कार्य के निष्पादन के दौरान सौंदर्य और अन्य कारणों से मूल डिजाइन और संरचना में विभिन्न परिवर्तनों का प्रस्ताव एक उत्तर चिंतन के रूप में किया गया था जो परियोजना शुरू करने से पहले योजना की कमी को दर्शाता है। तथ्य यह है कि स्काई वॉक की परियोजना को पूरा नहीं किया जा सका जिससे ₹ 36.82 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया।

---

94 परामर्शी प्रभार– ₹ 1.06 करोड़, कार्य की लागत– ₹ 28.29 करोड़, प्रूफ चेकिंग– ₹ 0.20 करोड़, यूटिलिटी स्थानांतरण एवं अन्य व्यय– ₹ 7.27 करोड़